



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1, 1979 (अग्रहायण 10, 1901)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 अक्टूबर, 1979

सं० ए० 35014/1/79-प्रणा० II--संघ लोक सेवा आयोग सं० के० सं० से० मंत्रालय के निम्नलिखित 2 स्थायी अनुभाग अधिकारियों की सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 10-10-1979 से तीन मास की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट पद पर प्रतिनियुक्ति पर तदर्थ प्राधार में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है :--

1. श्री जे० ए० साहनी, अनुभाग अधिकारी (विशेष), परीक्षा संवीक्षा एवं भ्रमन्वय ।
2. श्री ए० ए० विश्वास, अनुभाग अधिकारी, (विशेष परीक्षा नियम एवं प्रबंध ।
2. अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर उनकी नियुक्ति हो जाने के परिणामस्वरूप सर्वश्री जे० ए० साहनी और ए० ए० विश्वास का वेना समय समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय

1-346 GI/79

व्यय विभाग के का० शा० सं० एफ० 10 (24)-ई० III/60, दिनांक 4-5-1961 की शर्तों के अनुसार विनियमित होगा ।

एस० बालचन्द्रन,
अवर सचिव,
कुटे सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

का० एवं प्र० मु० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर, 1979

सं० ए०-19035/5/79-प्रणासन-5--निवेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, अपने प्रसाद में श्री चमारी राम, अपराध जहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 11 सितम्बर, 1979 के अपराध से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं ।

9853

सं० ए-19036/4/79-प्रशा०-5--निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्वारा, श्री एस० के० पन्त, निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जोन-6 को दिनांक 27 नवम्बर, 1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-19035/7/79-प्रशासन-5--निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, अपने प्रसाद में श्री एस० के० शर्मा, अपराध सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 6 नवम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

की० ला० ग्रावर,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०),
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

सं० ओ० दो० 1437/79-स्थापना--महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर (श्रीमती) ऊमाराणी नारजरी को 22-10-79 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिये अथवा उस पद पर नियमित नियुक्त होने तक, इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

सं० ओ० दो० 1447/79-स्थापना--महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर निखारन मोहन्ती को 29-10-1979 के पूर्वाह्न से केवल छः माह के लिये अथवा उस पद पर नियमित नियुक्त होने तक इनमें जो भी पहले हो, उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

ए० के० बन्धोपाध्याय,
सहायक निदेशक, (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 9 अक्टूबर, 1979

सं० ई०-38013 (2)/1/79-कार्मिक--रांची से स्थानांतरित होने पर श्री वी० के० भल्ला भा० पु० सेवा (सं० प्र०-62) ने श्री सी० पी० मिह के स्थान पर 6 अक्टूबर, 1979 के पूर्वाह्न से के० श्री० सु० ब० यूनिट बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया और श्री सी० पी० मिह ने मध्य प्रदेश राज्य को प्रत्यावाहित होने पर उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया।

ह० अण्ठनीय
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली 110011, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

सं० 11/98/79-प्रशा० I-23541--राष्ट्रपति, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अण्ठोक जोशी को तत्काल से अगले आदेशों तक अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में वेतन जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री जोशी का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा।

पी० पञ्जनाभ,
भारत के महापंजीकार

मुद्रण निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर, 1979

सं० एच० (4)/प्रशा०-II--मुद्रण निदेशक ने श्री पी० आर० हलदर, लेखाकार, भारत सरकार मुद्रणालय, टेम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता को 15-10-79 के अपराह्न से अगले आदेश होने तक, रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में भारत सरकार फार्म भण्डार, कलकत्ता में महायन्त्र प्रबंधक (प्रशासन), के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है।

मदन मोहन जोशी,
उप निदेशक, प्रशासन

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता, दिनांक 8 नवम्बर, 1979

सं० 53/79/जी०--श्री के० एम० घाई (मौलिक एवं स्थायी एस० ओ० ग्रेड-I) दिनांक 7 जुलाई, 1978 (अपराह्न) से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में स्थायी रूप से समाहृत होने पर उसी तारीख से सेवा निवृत्त हुए।

वी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक,
आर्डनेन्स फैक्टरियां

उद्योगमंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

सं० सी० ई० आर०/1/79--सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० ई० आर०/

1/68, दिनांक 2 मई, 1968 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूँ, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 के अंत में विद्यमान 'टिप्पणी' के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित की जाएगी।

“टिप्पणी” नियंत्रित धोती, नियंत्रित साड़ी, नियंत्रित लांग-क्लाथ और नियंत्रित शर्टिंग का उत्पादन वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी ई आर/2/77 दिनांक 15-4-77 के अधीन होगा।

सं० सी० एल० बी०/1/5/79—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से मैं एतद्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० एल० बी०/1/5/65/ए, दिनांक 4 मार्च 1966 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूँ, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम संख्या 8 ए के सामने स्तंभ I में

के स्थान पर

पढ़ें

“अधिसूचना सं० टी सी एम 1/20 “अधिसूचना सं० सी ई आर/दिनांक 22 सितम्बर 1949” 2/77 दिनांक 15-4-1977”

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम संख्या 8 बी के सामने स्तंभ I में

के स्थान पर

पढ़ें

“अधिसूचना सं० 9(9) टी इ एफम “अधिसूचना सं० सी ई आर/—1/49 दिनांक 15 अप्रैल 1950 10/77 दिनांक 15-4-77” और सं० 9(9) सी टी (ए)/54 दिनांक 26 अगस्त 1954”

म० वा० चेंबुरकर,
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

बम्बई-20, दिनांक 5 नवम्बर 1979

सं० ई० एस० बी० 1-2 (690)/4295—वेतन एवं लेखा कार्यालय (वस्त्र), उद्योग मंत्रालय, बम्बई के लेखा-अधिकारी श्री सी० बी० नागराज राव सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30 सितम्बर 1979 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए।

जो० चं० हांसवाक्,
उप-निदेशक (प्रशासन)

नागरिक पूर्ति विभाग

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली-110019, दिनांक 18 अक्टूबर 1979

सं० ए०-11013/1/79-स्थापना—नागरिक पूर्ति विभाग में स्थानापन्न वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री पी० एम० रावल, को 28 सितम्बर, 1979 (अपराह्न) से 29 फरवरी, 1980 तक वनस्पति,

वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में हिन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है।

ए० के० अग्रवाल,
मुख्य निदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 नवम्बर 1979

सं० 14/9/79-स्मारक (पर्यटन)—श्री० के० वी० सौन्दर राजन, निदेशक (स्मारक) प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्ववीय स्थल एवं अवशेष नियमावली, 1959 के नियम-6 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निदेश जारी करता हूँ कि “चैत्य गिरी”, बिहार के 27वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मांछी जिला रायसेन (मध्य प्रदेश) के बौद्ध स्मारकों में 24 नवम्बर से 26 नवम्बर, 1979 तक प्रवेश मुक्त नहीं लिया जायेगा।

के० वी० सौन्दरराजन,
निदेशक (स्मारक)

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० एफ० 15-8/78-ए-1—अभिलेख निदेशक, भारत सरकार एतद्वारा कुमारी शांता इवनाती, नियमित अस्थायी हिन्दी अधिकारी (श्रेणी 2 राजपत्रित) को मूल हैसियत पर दिनांक 6-5-78 से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 8 नवम्बर 1979

सं० एफ० 11-23/79-ए-1—अभिलेख निदेशक, भारत सरकार एतद्वारा श्री गोरखनाथ, स्थायी सहायक माइक्रो-फोटो-ग्राफिस्ट (ग्रेड 1) को 5-11-79 से आगामी आवेशों तक बिल्कुल तदर्थ आधार पर स्थानापन्न माइक्रोफोटोग्राफिस्ट (श्रेणी-2 राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई है और इस ग्रेड में नियमित नियुक्ति करने के लिए किसी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और इस ग्रेड में की गई सेवा को इस ग्रेड के वरिष्ठता संबंधी उद्देश्य और अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति संबंधी योग्यता के लिए भी नहीं गिना जाएगा।

बी० एम० कालड़ा, प्रशासन अधिकारी,
राष्ट्रीय अभिलेखागार,
कृते अभिलेखा निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1979

सं० 6-52/79-डी० सी०—विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्ययन-वृत्ति (फेलोशिप) कार्यक्रम के अधीन प्रतिनियुक्ति पर विदेश

जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता के ए.सो-शिपेट फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट डा० ए० सी० दासगुप्त ने 12 सितम्बर, 1979 अपराह्न से इस पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

विदेश प्रतिनियुक्त से पूर्व उसी कार्यालय में जीवरसायनज्ञ (बायोकेमिस्ट) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे डा० गुप्त को 12 सितम्बर, 1979 अपराह्न से ए.सोशिपेट फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट के अपने मूलपद पर प्रत्यावर्तित किया गया समझा जायेगा।

संगत सिंह,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० ए० 19019/9/77-(एन० आई० सी० डी०)/प्रशासन-I—सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने पर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के सहायक निदेशक (जीव रसायन) डा० एम० रामचन्द्रन 30 सितम्बर, 1979 अपराह्न से सरकारी सेवा से रिटायर हो गये हैं।

सं० ए० 12026/27/79-प्रशासन-I—राष्ट्रपति ने डा० (श्रीमति) अविनाश तलवाड़ को 1 अगस्त, 1979 को नई-जीरिया सरकार से अपनी विदेश सेवा से लौटने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत उसी दिन के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (दन्त चिकित्सा) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० ए० 38012/2/79 (मुख्य) प्रशासन I—राष्ट्रपति ने कु० एन० मणि राव, उप-सहायक महानिदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम), केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली को मूल नियम 56(के) में की गई व्यवस्था के अनुसार 30 सितम्बर, 1979 की अपराह्न से स्वैच्छिक तौर पर सरकारी सेवा से रिटायर होने की अनुमति दे दी है।

शाम लाल कुठियाला,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1979

सं० ए० 19019/19/79-के० स० स्वा० यो० I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० भोम प्रकाश को 22 अक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में आयुर्वेदिक कार्य-चिकित्सक के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

एन० एन० घोष,
अवर सचिव

कृषि और मिचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० मि० 3(48)/78-स्था० (1)—अधीक्षक (कोटि प्रथम) के पद पर सर्व श्री एम० एल० धीर, के० आर० विज और श्री० पी० भसीन की तदर्थ नियुक्तियां 30-10-1979 से आगे 30-11-1979 तक बनी रहें।

सं० मि० 2(1)/79-स्था० (1)—सहायक संपादक (हिन्दी) के पद पर श्री भोम प्रकाश गुप्त की तदर्थ नियुक्ति 1-11-1979 से आगे 30-11-1979 तक बढ़ा दी गई है।

बद्रीनाथ चड्ढा,
निदेशक प्रशासन

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० ए० 1925/19/79-प्र० III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री आंशीष कुमार चक्रवर्ती, वरिष्ठ निरीक्षक को इस निदेशालय में नई दिल्ली में दिनांक 8-10-79 (पूर्वाह्न) से आगे आदेशों तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग II) नियुक्त किया गया है।

दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० ए० 19023/11/79-प्र० III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री एम० सी० सरकार को तारीख 16-10-79 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक इस निदेशालय में फरीदाबाद में स्थानापन्न विपणन अधिकारी (वर्ग I) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एल० नमिहार,
निदेशक प्रशासन,
कृते कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 18 सितम्बर 1979

सं० 5/1/79-स्थापना-II/3545—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित अधिकारियों को तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सेवा के लिये उनके नाम के सामने की अवधि

तक प्रशासनिक अधिकारी II/सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न सेवा के लिये नियुक्त किये गये	अवधि से पूर्वार्ह	तक अपराह्न
1.	श्री जे० आर० कर्णिक सहायक कार्मिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी II	18-6-79	19-7-79
2.	श्री एन० रामन सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी	18-6-79	27-7-79
3.	श्री एल० बी० गावडे सहायक	„	18-7-79	28-8-79
4.	श्री जी० गोपाकुमार एस० जी० सी०	„	18-6-79	19-7-79
5.	श्री एस० आर० पींगे एस० जी० सी०	„	21-7-79	20-8-79

दिनांक 21 सितम्बर 1979

सं० 5/1/79/स्था० II/3573—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित अधिकारियों को तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सेवा के लिये उनके नाम के मामले की अवधि तक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न सेवा के लिये नियुक्त किये गये	अवधि से पूर्वार्ह	तक अपराह्न
1.	श्री एस० एन० सेन सहायक सुरक्षा अधिकारी	सुरक्षा अधिकारी	19-6-79	21-7-79
2.	श्री पी० ई० जोष सहायक सुरक्षा अधिकारी	सुरक्षा अधिकारी	25-6-79	27-7-79

सं० आर०-487/स्था० II/3590—निवर्तन की आयु हो जाने के परिणाम स्वरूप श्री माथुर वेंकटेश्वरन रंगनाथन, स्थायी सहायक प्रशासनिक अधिकारी (ह० 650-960) अपराह्न तारीख 31-8-1979 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

दिनांक 26 सितम्बर 1979

सं० एस०-41/स्था०-II/3625—निवर्तन की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री पदमनभा पील्ले चन्द्रशेखर, एक स्थायी सुरक्षा अधिकारी (भा० प० अ० केन्द्र) अपराह्न तारीख 31-8-1979 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

दिनांक 25 अक्टूबर 1979

सं० बी०/618/स्था० II/3955—निवर्तन की आयु हो जाने के परिणाम स्वरूप श्री सदानंद ढोंडीराम भोंसले, एक स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक और स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र अपराह्न तारीख 31-8-79 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

कु० एच० बी० विजयकर, उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग

मुम्बई-5, दिनांक 26 अक्टूबर 1979

सं० पी पी ई डी/4(699)/79—प्रशासन—विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग के स्थायी वैज्ञानिक सहायक 'बी' तथा स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता-ग्रेड 'एस बी' श्री बी० के० सरकार ने, उनका त्याग-पत्र निदेशक, विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर, इस प्रभाग में अपने पद का कार्यभार दिनांक 18 सितम्बर, 1979 के अपराह्न में छोड़ दिया।

बी० बी० थट्टे, प्रशासन-अधिकारी

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना

कलपाक्कम दिनांक, 2 नवम्बर 1979

सं० एम ए पी पी/8(16)/78—भर्ती—विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग के निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी आशुलिपिक और स्थानापन्न अधीक्षक श्री आर० सुब्रह्मण्यम को मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में दिनांक 1 मार्च, 1979 के पूर्वार्ह से 9 अक्टूबर, 1979 के अपराह्न तक के लिए सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति श्री बी० के० संधानम के स्थान पर की जा रही है, जिन्हें छुट्टी मंजूर की गई है।

के० बालकृष्णन, प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० ए० 12025/8/77-ई० एस०—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्री जय वीर सिंह को दिनांक 11-9-1979 से अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग में स्थानापन्न तौर पर विमान सुरक्षा अधिकारी (इंजीनियरी) के रूप में नियुक्त करते हैं और क्षेत्रीय निदेशक, बम्बई क्षेत्र, बम्बई के कार्यालय में तैनात करते हैं।

आर० एन० दास, सहायक निदेशक प्रशासन, महानिदेशक नागर विमानन

दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० ए० 32013/10/79-ई०सी०—राष्ट्रपति ने श्री सुरेश चन्द्र, बरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, महानिदेशक नागर विमानन (मुख्यालय) को दिनांक 27-9-79 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि के लिए अथवा तदर्थ आधार पर रिक्ति उपलब्ध रहने तक, जो भी पहले हो, सहायक निदेशक संचार के ग्रेड में नियुक्त किया है और उन्हें उसी कार्यालय में तैनात किया है।

सं० ए० 38012/1/79-ई०सी०—श्री बी० के० बोम, सहायक संचार अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के परिणाम स्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 30-9-79 (अपराह्न) को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दिनांक 12 नवम्बर 1979

सं० एफ० 23014/1/79-ई०सी०—राष्ट्रपति ने श्री आर० बी० इमरानी, सहायक तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, गोहाटी की सेवाएं दिनांक 1-10-79 (अपराह्न) से सहायक इंजीनियर (रेडियो) के रूप में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विदेश सेवा शर्तों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंप दी गई है।

सं० ए० 32014/2/79-ई०सी०—महानिदेशक, नागर विमानन श्री विक्टर चंद्रन, संचार सहायक, वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई को दिनांक 18-10-79 (पूर्वाह्न) से श्री पी० एम० आर० पिल्लै, सहायक संचार अधिकारी, जिन्हें अर्जित छुट्टियां मंजूर की गई हैं, के स्थान पर तदर्थ आधार पर सहायक संचार अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० एन० दाम,
सहायक निदेशक प्रणामन

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० 16/52/75-स्थापना I—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, ने डा० बी० के० सूद अनुसंधान अधिकारी का दिया गया त्यागपत्र दिनांक 25 अक्टूबर, 1979 के अपराह्न से स्वीकृत कर दिया है।

गुरुदयाल मोहन,
कुल सचिव,

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

नारकोटिक्स विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० 4—श्री एच० सी० कपूर, प्रणामनिक अधिकारी को एतद्द्वारा सहायक मुख्य लेखा अधिकारी/प्रणामनिक अधिकारी, ममूह 'ख' के ग्रेड में रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में

दिनांक 1-8-76 से वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग के दिनांक 6-4-77 के पत्र पा० सं० ए० 11012/12/76-ए० डी०-I द्वारा स्वीकृत पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

मदन मोहन भटनागर,
नारकोटिक्स आयुक्त,

दक्षिण मध्य रेलवे

मिकन्दराबाद, दिनांक 26 अक्टूबर 1979

सं० पी० (जी०) 1/85/ई० एल०—विद्युत विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उसी विभाग की श्रेणी-II सेवा में सहायक विद्युत इंजीनियरों के रूप में स्थायी किया गया है :

क्रम सं०	नाम सर्वश्री	पदनाम	स्थायी करने की तारीख
1.	टी० एम० सुब्रह्मा	स्थानापन्न मंडल, विद्युत इंजीनियर, हुबली।	22-6-1978
2.	एस० मारंगपाणि	स्थानापन्न मंडल, विद्युत इंजीनियर, गुंटकल।	31-7-1978
3.	एस० प्रभाकरन	स्थानापन्न मंडल, विद्युत इंजीनियर, मालडिब्बा प्रायोजना, गुण्टुपल्ली।	23-3-1979

एन० नीलकण्ठ शर्मा,
महाप्रबन्धक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधी बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और सं० उड़ीसा मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

काटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एस० ओ० 521/79-3380(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सं० उड़ीसा मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै० मिश्रा डेरी एण्ड एग्रीकल्चरल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 645/79-3381 (2):—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मिश्रा डेरी एण्ड एग्रीकल्चरल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै० इन्डो कार्मिंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 659/79-3382(2):—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मै० इन्डो कार्मिंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै० ईस्ट कोस्टर रिफ़ैक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 670-79-3383(2):—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मै० ईस्ट कोस्टर रिफ़ैक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै० नाएक एक्सट्राकशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 673/79-3384(2):—कम्पनी अधिनियम, 1976 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मै० नाएक एक्सट्राकशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै० हिरा खन्ड एन्टर-प्राईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 512/79/3385(2):—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि हिरा खन्ड एन्टर-प्राईजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै० प्रावती प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 451/79/3386(2):—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै० प्रावती प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै० उड़ीसा रिटेल डीलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 508/79/3387(2):—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मै० उड़ीसा रिटेल डीलर्स एसोसिएशन लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और के० पानपोम फाइनान्सीअल चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 590/78/3388(2):—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पानपोम फाइनान्सीअल चिट फण्ड प्राईवेट का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै० सूबरस सेक्सिम एण्ड फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ओ० 729/79/3389 (2):—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सूबरस मै० सेक्सिम एण्ड फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी० के० पाल
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैमर्स फिन्सर प्राईवेट लिमिटेड, जबलपुर

तालियर-474001, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० 1067/लिव्ही/मी० पी०:—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 उपधारा (2) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि मै० फिन्सर प्राईवेट लिमिटेड, जबलपुर को मध्य प्रदेश, उच्च

न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 11-9-79 के द्वारा परिसमापन करने का आदेश दिया गया है तथा सरकारी सामग्री, इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया गया है।

सुरेन्द्र कुमार मकसेना,
कम्पनी रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश
खालियर-9

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स बर्मा सेल प्रोवीडेंट फस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
बम्बई, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० 15128/560 (3):—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बर्मा सेल प्रोवीडेंट फस्ट प्राइवेट लिमिटेड का कानाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एल० एम० गुप्ता,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार,
महाराष्ट्र

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्देश सं० III-3631/अर्जन/79-80—प्रतः मुझे ज्योतिन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हमें इसका पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 2, 2610-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० तो जी-नं० 2610 और 2612 है, तथा जो रायपुरा जिला सारन में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सारन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2 मार्च 1979

को पूर्वोक्त समाप्त के उक्त बाजार मूल्य से कम के मान्यदृष्ट प्रतिफल के लिए अस्तित्व की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परमदृष्ट प्रतिफल अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिकी (अन्तरिकियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित अन्तरण में उक्त अन्तरण लिखित में प्राकृतिक रूप से कबित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के अन्तर्गत के दायित्व में कमी करने या अन्तरण करने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या प्रत्यापत्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

2—346GI/79

1. (1) श्री रघुनाथ प्रसाद वल्द श्री विन्दा प्रसाद साह
(2) श्रीमती कमला देवी, पत्नी श्री रघुनाथ प्रसाद
(3) श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री विन्दा प्रसाद
(4) श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता, सा० / पोस्ट गरखा जिला सारन।
(अन्तरक)

2. मैसर्स दुर्गा भवानी कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि० द्वारा रायपुर बाजार, थाना अमनोर जिला सारन
(2) श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद सा०/पोस्ट गोरखा, हकूजला सारन।
(अन्तरिकी)

3. श्री रघुनाथ प्रसाद वल्द श्री विन्दा प्रसाद साह सा०/थाना गरखा जिला सारन।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका रकबा 1घ कट्टा 11 धुर जिसका तौजी नं० 2610, 2612 है जो रायपुरा थाना अमनोर में स्थित है तथा जो रजिस्ट्रार सारन द्वारा पंजीकृत दस्तावेज संख्या 2615 दिनांक 2-3-1979 में पूर्ण रूप से वर्णित है।

ज्योतिन्द्र नाथ

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार पटना

तारीख: 2-11-1979

मोहर:

प्रकृत आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए-78--अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 92/191 है तथा जो गौतमबुद्ध मार्ग लखनऊ में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30 मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धन या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

1. मैसर्स ब्रिटिश इण्डियन एशोसिएशन अवध द्वारा श्री हिमाशंकर सिंह और वाइस प्रेसिडेंट।
(अन्तरक)

2. मैसर्स कृष्णापाल सिंह क्रमशः प्रेसिडेंट व अमर नाथ
(अन्तरिती)

3. श्री बी० एन० भार्गवा व विक्रेता।
(वह व्यक्ति, जिसके अंशभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होनी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

* भवन नम्बर 92/191 स्थित वासमण्डी का नीचे का भाग लखनऊ। लखनऊ मय भूमि तथा फार्म 37 जी संख्या 1457 में वर्णित है जो किसव रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 30-3-1979 को पंजीकृत हो चुक है।

अमर सिंह बिसेन,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 9-11-1979

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

2. श्रीमती मरस्वती देवी।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० एस-181/एसीक्यू—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० 92/8 है तथा जो गीतमबुद्ध मार्ग लखनऊ में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा, (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राधेकृष्णा अग्रवाल, राधेरमन अग्रवाल, मनोज कुमार अग्रवाल श्रीमती वीना अग्रवाल।
(अन्तरक)

3. विक्रेता व किरायद्वारा:—

- (1) श्री दशरथ प्रसाद सोनकर
- (2) भैरालाल सोनकर
- (3) हरिशचन्द्र सोनकर
- (4) श्री लखन सोनकर
- (5) श्री गुरु बचन सिंह
- (6) श्री बराती
- (7) सालिगराम सोनकर
- (8) मो० हनीक
- (9) श्री नजीर अहमद
- (10) जमोल अहमद
- (11) श्री रसूल अहमद
- (12) श्री रामू
- (13) श्री हीरा लाल
- (14) भाई लाल
- (15) केदारनाथ सोनकर

(वह व्यक्ति जिनके नामों में सम्पत्ति है।

को यह सूचना जारी करते पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के पश्चात् में कोई भी आश्रेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रयोद्दस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान पुस्तक नम्बर 92/8 दो मंजिला मय आराजी बाकें गीतमबुद्ध मार्ग केशरबाग लखनऊ व सम्पत्ति का यह सब विवरण जो एआइ नं० आई 37-जी० संख्या 1165 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 19-3-1979 को दर्ज हो चुकी है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 9-11-1979
मोहर:

प्रथम आई० टी० एन० एन०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, II दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II /379/1237/5078/3716—यतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी

सं० डी-9 है तथा जो कीर्ती नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिक्त में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या धर्म्य वास्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपावे में सुविधा के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री जोगिन्दर सिंह पवडेवा पुत्र श्री करनार सिंह निवासी 71 ब्रैड एव्यू रोड लाला मा नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० महारानी फैशन, जी-96, मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली इनके पाठन श्री चन्दर मोहन शर्मा व वासुदेव एच० हुडलानी के द्वारा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके शीघ्रतः शान्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन क संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; क भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक डब मंजिला मकान जो फ्री होल्ड प्लॉट क्षेत्रफल 500 वर्ग गज जिसका नं० 9 ब्लॉक नं० डी० कीर्ती नगर गांव बसई वारापुर दिल्ली राज्य नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है।

उत्तर: मकान प्लॉट नं० डी० 8 के ऊपर
दक्षिण: मकान प्लॉट नं० डी० 10 के ऊपर
पूर्व: सर्विस लेन
पश्चिम: सड़क।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 12-11-1979

मोहर:

प्रकरण भा.३० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/3-79/5116/3716—यतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 2/1, ब्लॉक 4 है तथा जो सिंहसभा रोड़ दिल्ली-7 में स्थित है (और इससे उभावृद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पट्टा प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व में कमो करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या धन-बाधित्वों को, तबसे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, टिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुवर्ण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री अर्जुन सिंह
(2) श्री गुरबचन सिंह पुत्राग करन सिंह निवासी
2/4 ब्लॉक 41, शक्ति नगर दिल्ली-7।
(अन्तरक)

2. श्रीमति गुलशन मलहोत्रा पति श्री रविन्दर मलहोत्रा
निवासी 7360, प्रेम नगर दिल्ली-7।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके प्रोक्त पंक्ति के अर्थों के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त पंक्ति के अर्थों के संबंध में कोई भी शंका :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन या तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह्य में स्थापित होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वस्तोत्तरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 2/1 ब्लॉक नं० 41 अक्षफल 310 वर्गगज सिंह सभा रोड़ दिल्ली-7 में निम्न प्रकार स्थित है।

उत्तर : सड़क

दक्षिण : मकान नं० 2/2

पूर्व : सड़क

पश्चिम : प्लॉट नं० 3/1

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 12-11-79

मोहर :

प्रकरण प्रो० सी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज-II, दिल्ली-1

तई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एनयू०-I/3-79/4985/3716—यतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० 19 है तथा जो रिशब नगरी माडल टाऊन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपायद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5 मार्च, 1979

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तुत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से उचित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राप या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्राप-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रामनाथ पुत्र श्री नानक चन्द निवासी आर०-19 रिशब नगर माडल टाऊन दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मानिक देवी पति श्री गौरी दत्त शर्मा 213, टैगोर पार्क दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जो प्लॉट नं० आर- 19 क्षेत्रफल 300 वर्गगज पर बना है, रिशब नगरी माडल टाऊन दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है।

उत्तर : सड़क 24 फुट

दक्षिण : खुला पार्क लेन

पूर्व : प्लॉट नं० 18

पश्चिम : प्लॉट नं० 20।

आर० बी० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज-II, दिल्ली, तई दिल्ली-1

तारीख : 12-11-1979

मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-II, दिल्ली-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी/एक्यू०-II /डी०-I/3-79/5029/3716—यतः मझे, आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एफ-11/11 है, तथा जो माडल टाऊन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य धास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

यह: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् 1--

1. श्री नानक चन्द पुत्र जयराम निवासी 164 महात्मा गांधी रोड़ कलकत्ता-71 अव: एफ. 11/11 माडल टाऊन दिल्ली-79।

(अन्तरक)

2. श्री कुलदीप सिंह पुत्र महिन्दर सिंह निवासी एफ०-2/21, माडल टाऊन दिल्ली।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रष्टोद्देश्यकारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

सहायक आयकर अधिकारी:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अन्वय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्रीहोल्ड प्रापर्टी नं० एफ० 11/11 क्षेत्रफल 292.82 वर्ग गज माडल टाऊन गांव मलिकपुर छावनी दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है।

उत्तर: सड़क

दक्षिण: मकान नं० एफ- 10/11

पूर: सड़क

पश्चिम: मकान नं० एफ-11/10;

आर० बी० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 12-11-1979

मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एम०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, -II दिल्ली-1 नई दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनांक, 12 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०एक्यू०-II/3-79-5024/3716

यतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन नभम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सी०-5/14 है तथा जो राना प्रताप बाग दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिनियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से उचित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तिकों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री ज्ञान प्रकाश चौपड़ा पुत्र श्री राम लाल निवासी हंस राज कालेज परीमिजेज दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सावित्री देवी सिंगल पत्नी श्री प्रोम प्रकाश सिंगल निवासी डी०-6/2-ए राना प्रताप बाग दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होनी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० सी-5/14 जिस का क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज जिस की बाउंडरी निम्नलिखित है।

पूर्व: प्लॉट नं० सी०-15/13 (बिल्डिंग)

पश्चिम: प्लॉट नं० सी०-15/15 (बिल्डिंग)

उत्तर: प्लॉट नं० सी०-6/16 (बिल्डिंग)

दक्षिण: रोड

आर० बी० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज II दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 12-11-79

मोहर:

अरूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, दिल्ली-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/3-79/498-7/3716—यतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 15 सड़क नं० 7 है तथा जो पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5 मार्च 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

3—346GI/79

1. श्री विमल कुमार बनाम खेमचन्द्र पुत्र रिमान सिंह निवासी 15/28, पंजाबी बाग नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री बृज लाल, सतीश कुमार व यशविरेंद्र कुमार पुत्रगण श्री गुलाब राय निवासी 6/60 पंजाबी बाग दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 70-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जोफ्री होल्ड प्लॉट नं० 15 सड़क नं० 7 क्लास सी० क्षेत्रफल 279.55 वर्ग गज पर बना है, पंजाबी बाग, गांव बसई दारापुर, दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है।

उत्तर: सविस लेन

दक्षिण: सड़क नं० 7

पूर्व: मकान प्लॉट नं० 13 के ऊपर

पश्चिम: प्लॉट नं० 7।

आर० बी० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 12-11-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 1979

निर्देश सं० 17-ए०गाजियाबाद/78-79—यतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/र० से अधिक है

और जिसकी सं० बी-20 है तथा जो सूर्य नगर गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपायद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय दादरी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का प्रद्वह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम; या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

धतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हरभजन सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह निवासी 57 गोलफानिक नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती माया चन्दानी पत्नी श्री एच० डी० चन्दानी निवासी दक्षिणेश्वरी फ्लेट नं० 30 आठवीं मंजिल 10 हेली रोड नई दिल्ली-511

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० बी०-20 क्षेत्रफल 599-22 वर्ग मीटर सूर्य नगर गाजियाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 5-10-1979
मोहर:

प्रकरण आई. टी. एन. एम.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 1979

निर्देश सं. 770-ए/हरिद्वार—यतः मुझे, बी. सी. चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें हमने पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सशम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. मकान है तथा जो मुरतापुरा में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हरिद्वार में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31 अगस्त, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कृपया नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तिव्यों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार ग. में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री कृष्ण लाल खुराना पुत्र श्री शंकर दास निवासी मोती बाजार हरिद्वार डा० खास जिला सहारनपुर। (अन्तरक)

2. श्रीमती स्वर्ण कुमारी पत्नी श्री किशन लाल तिवाड़ी, निवासी निर्मला छावनी हरिद्वार जिला सहारनपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अधिन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अधिन के संबंध में कोई भी धाकोप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

उक्त सम्पत्ति निरीक्षक सहायक आयकर के आदेशानुसार इस मकान की बाजारी मूल्य कीमत 70,000 रुपये की है। जो कि क्रय मूल्य से 151 से अधिक होती है।

बी. सी. चतुर्वेदी
सशम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, कानपुर

तारीख : 15-9-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० 787-ए/देहरादून—यतः मुझे, बी० सी०
 चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
 का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
 बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
 और जिसकी सं० 839, 840 है, तथा जो ग्राम भरवाला ग्रन्ट
 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण से रूप से
 वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में,
 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
 तारीख 30 जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
 दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
 विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
 उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
 दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और
 अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
 ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित
 उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
 नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त, अधि-
 नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
 कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
 को, जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
 धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
 प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
 गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
 सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
 सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
 (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजामोहन सिंह निवासी तिलोई स्टेट रायबरेली।
 (अन्तरक)

2. श्री जे० एम० कापूर निवासी 8 हैलीरोड नई दिल्ली।
 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
 कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
 तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
 समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
 किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
 अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
 में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
 अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
 वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आयकर निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भरवाला
 ग्रन्ट पर सेन्टलडून जिला देहरादून में कृषि भूमि की दर 6000/-
 रुपये प्रति बीघा है जब कि खरीद दार ने इस भूमि को
 2500/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीदी है। आयकर
 निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि की कीमत 1,32,200/-
 रुपये है जब कि यह भूमि को खरीद दार ने 45000/-रुपये में
 खरीदा है।

बी० सी० चतुर्वेदी
 सक्षम प्राधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 (अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख: 22-9-1979

मोहर:

प्रकृत आई० टी० एन० एस० --

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजयन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० 788-ए/देहरादून—यतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
से अधिक है

और जिसकी सं० 841, 828, 829, 837 है तथा जो ग्राम
माधवाला ग्रन्ट में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख 30 जुलाई 1979

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी
(अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से
कबित नहीं किया गया है :—

1. श्रीमती रानी सोनी मतीश्वरी द्वारा जनरल अटौर्नी
राजामोहन सिंह, निलोई स्टेट, रायबरेली।
(अन्तरक)
2. श्री जे० एम० कापर हैली रोड़ नई दिल्ली।
(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में वृद्धि
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, धन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
यै, प्रायकर अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, परचात् :—

प्रायकर निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम माधवाला
ग्रन्ट पर० सेन्टलदून, जिला देहरादून में कृषि भूमि की दार
6000/- रुपये प्रति बीघा है जबकि खरीददार ने इस भूमि को
2500/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीदा है प्रायकर
निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि की कीमत 78000/-
रुपये है। जब कि इस भूमि को खरीददार ने 25000/- रूपये
में खरीदा है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 22-9-79

मोहर :

प्रकृप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 16 अक्टूबर, 1979

निदेश सं० 869-ए/हरिद्वार/79-80-यतः मुझे, बी० सी०
चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसका सं० है तथा जो निरन्जनी/करनलाल
में स्थित है (और इसके उपावद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय
हरिद्वार में, रजिस्ट्रार/करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख 28 मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी घाब की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
आधिकार में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी प्राय या किना धन या अन्य मास्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. अखाड़ा पंचायती निरन्जनी मायापुर हरिद्वार द्वारा
श्री महन्त रूप गिरि जी वं हरदयाल गिरि सेक्रेटरी
अखाड़ा।

(अन्तरक)

2. मे० निर्मल उग्रोति शिखा ब्रह्मलोक स्वामी निर्मल
जी महाराज निवासी मेवाक निवाम कखल हरिद्वार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, घोषणाकर्ता के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 2530 वर्ग फुट स्थित निरन्जनी अखाड़ा कखल
हरिद्वार में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, कानपुर

तारीख : 16-10-1979

मोहर :

प्रख्या आई० टी० एन० एन०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 1979

निर्देश सं० 906-ए/गाजियाबाद/78-79-यतः मक्षे,
बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० बी-18 है तथा जो सूर्य नगर,
गाजियाबाद में स्थित है (और इसमें उपाखण्ड अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार/कर्ता प्राधिकारी के
कार्यालय दादरी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 9 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जान सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी: 57 गोलफ
लिक, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती अन्जू जैन पत्नी श्री विजय कुमार जैन निवासी
21 टोडर मल लेन कैलाशी मार्केट नई दिल्ली-
110001।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध
निसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय-20क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नम्बर बी०-18 क्षेत्रफल 579-71 वर्ग मीटर सूर्य
नगर, गाजियाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 5-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979

निर्देश सं० 907-ए०/ गाजियाबाद/78-79—(यतः मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० 28 ब्लाक सी है तथा जो सूर्य नगर टी० एच० ए० सेक्टर नं० गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरो में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9 मार्च 1979 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

1. डा० सी० प्रकाश पुत्र चौ० टेकन राम, करनबीर दीपक प्रकाश पुत्रगण डा० सी० प्रकाश निवासी 162, विविध वाडन पाम गेशन कोर्ट, रोहतक। (अन्तरक)

2. श्री श्याम लाल रैना सुपुत्र श्री धर्मचन्द्र रैना श्रीमती तारावती भट्ट पत्नि स्व० श्रीकान्त भट्ट निवासी एफ-76 ग्रीन पार्क नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 28 ब्लाक सी० रकवई 8000 वर्ग गज स्थित सूर्य नगर टी० एच० ए० सेक्टर नं० 7 गाजियाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, कानपुर

तारीख: 5-10-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० 980-ए/पी०एन०/गाजियाबाद/78-79--(यतः, मुझे बी० सी० चतुर्वेदी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसको पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 40 (नया) है तथा जो मोहल्ला मिरजाजान मिहानी गेट, गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24 मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविकता, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

4—346GH79

1. श्री नारायण दास पुत्र लाला दम्भूमल निवासी 1241 रंगमहल नोबेलटी सिनेमा के पास दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती अरुणा कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार श्रीमती गकुलता देवी; पत्नी राधेश्याम निवासी 120 पक्की मोरी गाजियाबाद व श्रीमती पूष्पा देवी पत्नी रामकुमार, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी निवासी 125 पक्की मोरी गाजियाबाद रामनिवास।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हैं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशयः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

संश्लेषण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया हुआ है।

अनुसूची

एक दो मंजिला मकान जिसका नं० पुराना 22 तथा नया 40 स्थित मोहल्ला मिरजाजान मिहानी गेट गाजियाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 17-10-1979
मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 1979

निर्देश सं० 1016-ए/देहरादून 78-79—यतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी,

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 35 है, तथा जो सुभाष रोड़ में स्थित है (श्रीर इससे जावद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26 मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिकूल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकूल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिकूल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अस्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अस्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिकूल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अस्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अस्तरक के दायित्व न कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पश्चात्:—

1. श्रीमती सारस्वती देवी निवासी 11/4 पूसरोड़ नई दिल्ली।
- (2) श्रीमती अन्जू माथुर पत्नी मेजर यू० पी० माथुर अरसी, एअर ट्रान्स्पॉर्ट स्कूल आगरा
- (3) श्रीमती रजनी, तलवार पत्नी दीपक तलवार केअर आफ टाटा ऐकसपोर्ट इन्दौर
- (4) कुमारी मन्जू दयाल नि० 35 सुभाष रोड़ देहरादून
- (5) कुमारी इन्दु दयाल नि० 11/4 पुमा रोड़ नई दिल्ली
- (6) श्री विजय दयाल और
- (7) हरीशवर दयाल नि० 35 सुभाष रोड़, देहरादून (अन्तरक)

2. श्री रवेन्द्र नाथ एडवोकेट निवासी 2, कनवैन्ट रोड़ देहरादून। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 35 जिसका क्षेत्रफल 1656.76 वर्ग मीटर है तथा 35-लैटिन रोड़ देहरादून में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 5-10-1979

मोहर:

प्रारूप अ.ई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० 263/अर्जन/आगरा—यतः मुझे भ० च०
चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 15/24 है तथा जो कटरा शाहगंज में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूपसे वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिवारी के कार्यालय, आगरा में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21
जून 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए,
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रवीन्द्र प्रकाश वधावा पुत्र स्व० बंशी राम वाधना
नि० 15/24 चौराहा शाहगंज आगरा हालवार पास
रोड नई आबादी फिरोजाबाद आगरा।

(अन्तरक)

2. श्री कल्याण दाम व आसन दाम व देवी दाम व नन्द
किशोर व धनश्याम दास पुत्रगण मेवा राम साकीन
10/19 कोल हाई शाहगंज आगरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान पुस्ता जून दो मंजिला 15/24.
कटरा शाहगंज आगरा में 90000/- को बेचा गया।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख : 19-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 16 अक्टूबर, 1979

निर्देश सं० 1235/अर्जन/अलीगढ़/79-80—मत: मुझे,
बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाय अन्तर्गामी में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अलीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19 मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरित्री (अन्तरित्री) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी राशि का अन्तर्गत प्राय नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किंमत घन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित्री द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

मत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गामी में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा के (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् 1--

1. श्री नरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री आनरीलाल बंसल पत्थर बाजार अलीगढ़।

(अन्तरक)

2. श्रीमती आभा रानी पत्नि आनन्द कुमार गुप्ता गांव ब डाकखाना इजतपुर जिला अलीगढ़।

(अन्तरित्री)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप्ति:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

अन्तरित्रीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

12 बीघा 6 बिगवा 6 विस्वांसी कृषि भूमि।

बी० सी० चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख: 16-10-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 1979

निर्देश सं० 1218 एन्यू-इटावा/79-80—अतः, मुझे,
भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये
से अधिक है

और जिनकी सं० 474/15 तथा जो ग्राम नरहोली में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इटावा में,
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 7 मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसी दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधि-
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269घ के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. मु० रामश्री पत्नी श्री राम दाम नि० ग्राम नरहोला
भिडरूआ पर० इटावा।

(अन्तरक)

2. श्री रमेश बाबू व मुत्रालाल व कमलेश बाबू पुत्र अतर
सिंह नि० ब्रह्म० चतुरी मी० नरहोली भिडरूआ
पर० इटावा श्री चन्दपाल वल्लभ डिप्टी सिंह नि० व०
कबूली मौजा रिकरोगी त० करहल जि० मैनपुरी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20 में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

474/5-15 ल 303-00 रु०

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख : 22-10-1979

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269B (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 अक्टूबर, 1979

निर्देश सं० टी०आर० 1259/(एक्यू)/ एफ० वाद/
78-79--यतः मुझे भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269B के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 323 अब व है तथा जो मौजा डोलपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5 मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269B के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269B की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजेन्द्र सहाय व बीरेन्द्र व महेन्द्र सहाय पुत्र श्री मुंशी गंगा सहाय साकिन ग्राम डोलपुरा त० फिरोजाबाद जि० आगरा।

(अन्तरक)

2. श्री सरम सिंह व गजाधर सिंह व वेद सिंह पुत्र श्री राम लाल यादव साकिन ग्राम डोलपुरा त० फिरोजाबाद जि० आगरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मौजा डोलपुरा त० फिरोजाबाद खसरा नं० 323 'अ' रकबा के 8 विषवा 15 विसवांसी पुख्ता लगनि 73-40 पैसे व खसरा नं० 323 व रकबा 6 विषवा 13 विसवांसी पुख्ता लगानी भूमि घटी 4.35 पैसे मालाना, कित्ता 2 रकबा के दावे 16 विषवा विषवा 8 विसवांसी पुख्ता पैमायस 5 ख आसामि मेघ सिंह बूबू राम हेत सिंह पश्चिम चकरोड उत्तर चक्र रोड़ वक्षिण चकरोड।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज) कानपुर

तारीख: 22-10-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)

की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 1979

निदेश सं० एफ० नं० 1254/एक्यू/कानपुर/78/79—यसः

मुझे भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से अधिक है

और जिमकी सं० 118/219 है तथा जो कौशलपुरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6 अप्रैल, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती अमर कौर पत्नी एम० अजीत सिंह।

(अन्तरक)

2. श्री चरणसिंह और हरवंश सिंह पुत्र ध्यान सिंह 118/216 कौशलपुरी कानपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होनी हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान नं० नं० 118/123-बी कौशलपुरी कानपुर।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(अर्जन रंज), कानपुर

तारीख: 24-10-1979

सोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 1979

निर्देश सं० 915-ए/पी०एन०/जी०बाद/78-79—यत मुझे भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1230 है तथा जो स्थित शाहपुर बम्हेटा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और यह कि अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाया चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कमला देवी उपनाम कमलोपत्नी श्रीलाक चन्द्र द्वारा श्री हरिचन्द्र कुमार चौधरी स्वयं श्री शेर सिंह मुख्तार ग्राम व श्रीमती कमलो देवी वर्तमान निवासी बम्बई-3 सुरेश कुमार चौधरी पुत्र स्व० छवील दाम चौधरी निवासी 5 जी० टी० रोड, गाजियाबाद।

(अन्तरक)

2. श्री खचेडू सिंह पुत्र वीरनरायण व धर्मवीर पुत्र निखीराम निवासी ग्राम दुशन परगना दादरी जिला गाजियाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गारा नं० 1230/1 III/3 स्थित शाहपुरबम्हेटा परगना डामना तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है।

भ० च० चतुर्वेदी

सक्षम प्राधिकारी

निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 22-10-1979

मोहर :

का प्राई०टी०एन०एच०—

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 अक्टूबर, 1979

निर्देश सं० 959-ए/पी०एन०/मु० नगर/78-79—यतः
मुख्य वी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन मसम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 271 है तथा जो मौजा खरड में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुढाना में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
23-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुख्य यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
अन्तर्गत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कबिा नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी घाय की भावत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के सापेक्ष में
कमी करने या उसमें कटने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी घाय या किसी धन या धर्म आस्तियों
को जिन्हें भारतीय घाय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
घाय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए।

यतः धर, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—
5—346G1/79

1. श्री मलखान पुत्र गंगाराम नि. खरड परगना व तह०
बुढाना जिला मुजफरगढ़।

(अन्तरक)

2. श्री अंकार व योगेन्द्र व देवेन्द्र (बालिगान) व
विशेष कुमार (नाबालिग) पुत्र श्याम सिंह सरक्षक
जहान सिंह पुत्र गंगा राम निवासीगण खरड
परगना व तहसील बुढाना जिला मुजफरनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोदस्ताख्तों के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि न० ख० 1462/61) 2 व 1235/53 व
1236/52+14 व 1237/52 व 1238/51+14 व
1239म/11+6 व 1246म/1) 2 व 1419/1) 2 व
1448/II व 1451/III) 2+8 व 1454/11) 4 व
1489/52 10 व 1508/1 III 1 व 1247/53 व 1246/
1/2 15 किते 1212) 1+12 लगानी 125 रु० सालाना
वाके रकबा मौजा खरड परगना व तहसील बुढाना मुजफर-
नगर में स्थित है।

वी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, कानपुर

तारीख : 22-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 1979

निर्देश सं० 979-ए/गाजियाबाद/79-80—यतः मुझे
बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 95/184 है तथा जो ए, एच, बी० दयानन्द नगर गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29 मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री कुंवर कृष्ण व श्री ललित कुमार पुत्रगण श्री धूमिलाल उपनाम श्री धूमी मल निवासी 79 एफ० कमला नगर, देहली बर्तमान निवासी माडल टाऊन देहली। (अन्तरक)

2. श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री इन्द्र रतन जैन निवासी 95/184 ए० बी० दया नन्द नगर माडल टाऊन गाजियाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी नम्बर 95/184 ए, एच, बी० स्थित दयानन्द नगर माडल टाऊन गाजियाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सभ्य अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 24-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० इन० एन०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 अक्तूबर, 1979

निर्देश सं० 1009-ए/पी०एन०/सधर्ना/78-79—यतः
मुझे भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269 ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
र० से अधिक है

और जिसकी सं० 223, 226 है तथा जो ग्राम निरपुड़ा में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सरधना में, रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
26 मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
परन्तु प्रतिगत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तिनों
को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ण की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कदमा पुत्र हरदेवा जाट निरपुड़ा परगना बरनावा
तह० सरधना (मेरठ)।

(अन्तरक)

2. सुरज सिंह, जयपाल सिंह, राजपाल सिंह पुत्रगण
रघुवीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र कदमा जाट निरपुरा
परगना बरनावा तह० सरधना जिला (मेरठ)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम
लिखित में किए जा सकेंगे।

संश्लेषण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 901/4-15 लगान 104.80 पैसे नम्बरान
223 226
9 III) 2-15' II) 2 निरपुरा परगना बरनावा तहसील
सरधना जिला मेरठ में स्थित है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 22-10-1979
मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० 1261/अर्जेन/फिरोजाबाद/78-79—यतः
मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
₹० से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० एक किता बिल्डिंग है तथा जो दत्तोजी
निकट लेबर कालोनी में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची
में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, फिरोजाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख 31 मार्च 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान को
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितों
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिकाल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
घनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया
गया या या किया जाना चाहिए या, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनु-
सरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्री स्वाधीन प्रसाद व रामसेवक व जगदीश प्रसाद व
रघुवीर प्रसाद पुत्रगण श्रीरामजी व श्री मती
सुशीला देवी विधवा पत्नी प्रवीणदत्त व श्री प्रमोद
चन्द पुत्र स्वाधीन प्रसाद निवासी म्यामगली, फिरोजा-
बाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती जयन्ती बेवी बंसल धर्मपत्नी श्री हारलाल
व श्री सुरेशचन्द पुत्र श्री श्रीधरलाल निवासी
गण जलेशर रोड, फिरोजाबाद।

(अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जेन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जेन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में द्रिदबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता बिल्डिंग कारखाना वाके मोजा दत्तोजी निकट
लेबर कालोनी फिरोजाबाद, पूर्व आराजी रघुवर दयाल पश्चिम
एम० के० ग्लास वर्क्स उत्तर सड़क सरकारी दक्षिण जायदाद श्री
धरलाल जी व उर्मिला देवी। बिल्डिंग का क्षेत्रफल 17750
वर्ग फुट है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेन रेंज, कानपुर

तारीख: 2-11-1979

मोहर:

प्रकरण आई. टी. एम. एस.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० 1260/अर्जेंट/फिरोजाबाद/78-79—यतः
मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० एक अहाता है तथा जो मौजा दतोजी में
स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख 31 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तथापाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री स्वाधीन प्रसाद, श्री रामसेवक, जगदीश प्रसाद
व रघुवीर प्रसाद पुत्र श्रीराम जी व श्री सुमीला
देवी विधवा पत्नि श्री प्रवीण दत्त निवासीगण
श्याम गली, कस्बा-फिरोजाबाद।

(अन्तरक)

2. श्री धरलाल पुत्र श्री शंकर लाल जी व श्रीमती उर्मिला
देवी पत्नि श्री सुरेश चन्द्र निवासी जलेश्वर रोड़
फिरोजाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाकोप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रयोद्घस्तावरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

एक किता अहाता बाके मौजा दतोजी निकट लेबर कालोनी
फिरोजाबाद बाहर चुंगी

पूर्व : भोराजी रघुवर व्याल
पश्चिम : एम० के० ग्लास वर्स
उत्तर : नवीन ग्लास प्रोटैक्टस
दक्षिण : सड़क सरकारी।
अहाता 28984 वर्ग फुट है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, कानपुर

तारीख : 2-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 1212/अर्जन/मथुरा/78-79—यतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 42 अ० है तथा जो मौजापुरा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19 मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए न्य पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से स्थित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह नि० ग्राम मगोरी डा० खास तहसील व जिला मथुरा।

(अन्तरक)

2. श्री धमंडी सिंह पुत्र श्री मुरलीधर, हिस्सा 1/2 व प्रह्लाद सिंह व रमेशचन्द बालिग व जितेन्द्र सिंह उम्र 12 साल नाबालिग पुत्रगण व विलायत जगन प्रसाद मगोरी डा० खास तह० मथुरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्वितीय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्याख्याकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी नम्बर 42 अ, रकम 17.01 दि० लगानी 56/- रुपये बरके मौजा पुरा तहसील व जिला मथुरा में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 2-11-1979

मोहर :

प्रारूप आइ० टी० एन० एम०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 747/अर्जन/आगरा/78-79—यतः, मुझे, बी०
सी० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 33/28 है तथा जो वाके आदर्श
नगर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख 23 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पश्चिमी प्रतिशत से
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए उक्त पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से दर्शा नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;
और/या

(ख) ऐजे किशो आय या किशो धन या अन्य प्राप्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोक्ताओं
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वयण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पश्चात् :—

1. श्री कैलाश नाथ प्रसाद वैद्य पुत्र श्री मुंशी प्रसाद
कल्लू नि० हाल नादान महल रोड समीप राम नाथ
थियेटर बिल्डिंग, लखनऊ। (अन्तरक)

2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी नारायण प्रसाद व श्रीमती
नीना कुमारी पति अशोक कुमार व अनिल कुमार
पुत्र श्री प्रकाश नारायण, 63 प्रतापपुरा छावनी
आगरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

मकान नम्बर 33/28 वाके आदर्श नगर रकावगंज वाड
आगरा में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 2-11-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 746/अर्जन/आगरा/78-79—यत्., मुझे, बी०
सी० चतुर्वेदी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
₹ से अधिक है।

और जिसकी सं० 1/3, 36/2/12 है तथा जो न्यू आगरा
महापालिका में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 18 फरवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सरवती देवी विधवा श्री बृजवासीलाल सक्सेना
निवासी ए-3, 36/2, न्यू आगरा।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुषमा शर्मा पत्नी श्री कृष्ण गोपाल शर्मा
निवासी सूर्यनगर हाल ए-1/3 न्यू आगरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

सकान नम्बर 1/3 नगर महापालिका नम्बरी 36/2/12/
न्यू आगरा का पूर्वी भाग है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 2-11-1979

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एम.—-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 390/अर्जन/अलीगढ़—यतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हमें इसके पश्चात् 'इस अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि व्यापार सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो

में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31 मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विधि में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वेध के अन्तरक के आविष्कार में कमा करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किमी धार या किमी या या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, विधान में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

6—346G1/79

1. श्री इन्द्रजीत मिह पुत्र श्री परमानन्द बोहरा साकिन सराय दमान जीत गंज अलीगढ़।

(अन्तरक)

2. श्री मोहम्मद फिरोज पुत्र श्री हाजी अब्दुल वजीद साकिन उस्मान बाड़ा अतायान अलीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आप्रोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त व्यापार सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाग लिखित में किए जा सकेंगे।

स्थगनीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अन्वय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अन्वय में दिया गया है।

अनुसूची

चार किता मकान में वाला खाना जीना के सऊजी सण्डी मोहम्मद अली रोड़ अलीगढ़ में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 2-11-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० ए०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 916-ए/गाजियाबाद/78-79—यतः भुझे
बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के
अधीन मसम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिस की सं० 151 है तथा जो चन्द्रपुरी सिहानी गेट में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 9 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य प्राप्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए छिपाने में
सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों पर कार्यवाही :—

1. श्री बजलाल पुत्र गुलाब राम निवासी 860 ए.जी० टी०
रोड़ गाजियाबाद बखाते खुद व भागीदार मैसर्स
एवरेस्ट फाउन्डरी एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी व
मैसर्स एवरेस्ट फाउन्डरी एण्ड कम्पनी मुकन्द नगर
हापुड़ रोड़ गाजियाबाद जिसके भागीदार इस समय
बृज लाल एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृज लाल 86ए
गुप्ता कालोनी जी० टी० रोड़ गाजियाबाद।

(अन्तरक)

2. मैसर्स बाधूराम श्रीचन्द कबाड़ी 151 चन्द्र
पुरी सिहानी गेट गाजियाबाद, द्वारा भागीदार
हरीचन्द गुप्ता पुत्र लाला बाबू राम निवासी 151
चन्द्रपुरी सिहानी गेट गाजियाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नवम्बर 142-बी क्षेत्रफल 2204 वर्ग गज
मुकन्दनगर हापुड़ रोड़ गाजियाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 3-11-1979

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए०पो० नं० 619—अतः मुझे, सुखदेव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें हमने पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन पत्रम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो मानसा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार कर्ता अधिकारों के कार्यालय मानसा में रजिस्ट्रार कर्ता अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-5-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान मूल्य का निर्णय प्रस्तुत हो गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का तदनुसार प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के अर्थत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री शंकर दास पुत्र राम प्रसाद पुत्र सोहन लाल चाणी बी-14 सेठी कलौनी जैपुर (अन्तरक)

2. श्री राजिन्दर कुमार पुत्र हंस राज भाफत मदन लाल चुनो लाल ग्रेन मार्किट, मानसा ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समन्वयी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमोन जो कि विलेख करता अधिकारी नं० 738 मिसी 25-5-79 में रजिस्ट्रार कर्ता अधिकारी मानसा में लिखी गई है ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 10-9-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 10 दिसम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 620—अतः मुझे सुख, देव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो मानमा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय मानमा में रजिस्ट्रार/करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-5-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण , मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जुगल किशोर पुत्र राम प्रसाद मानसा ।
(अन्तरक)
2. श्री पियारा लाल पुत्र जौहर चन्द उलर तहसील, दपतर मानसा ।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है ।
(वह व्यक्ति, जिनके अभिधोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जो कि विलेख नं० 739 मिति 25-5-79 को रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी मानमा में लिखा गया है ।

सुख देव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-9-79
मोहर :

प्रत्येक आई० टी० एन० एस०-----
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
 269-घ(1) के अधीन सूचना
 भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 12 अक्टूबर 1979

निदेश सं० ए० पी० सं० 636—अतः मुझे, मुखदेव चन्द, सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इनमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति निम्नता उचित बाजार मूल्य 25,000/- ₹० से अधिक है

और जिसका सं० जमा कि ऊपर अनुसूची में लिखा है तथा जो हरजिन्दर नगर तहसील फरीदकोट में स्थित है (और उसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रार कर्ता अधिकारों के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1908 1908 का 16) के अधीन दिनांक 12 अप्रैल 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिनी (अन्तरिनी) के बीच के अन्तरण के लिए नया पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमंत: मुदेश पति मूल राज पुत्र पारम राम वासी फरीदकोट ।
(अन्तरक)
2. श्री कौकर सिंह, पुत्र विशन सिंह पुत्र चनन सिंह वासी पिड पंच ग्रोन खुद तहसील, फरीदकोट
(अन्तरिनी)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जो हरजिन्दर नगर जोकि विलेख नं० 93 मिति 12-4-79 को रजिस्ट्रार कर्ता अधिकारों फरीदकोट में लिखा गया है ।

मुखदेव चन्द,
 सक्षम प्राधिकारी,
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
 अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख 12-10-79

मोहर :

प्रका. आई० डी० एन० एस०—
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा,

भटिंडा, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 637—अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० में अधिक है और जिसको सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो सांविजन, तहसील मोगा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-4-79 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपापूर्वीक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाम की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के बाबत में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी क्रिया वाय या क्रिया धन वा अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा या किया जाना चाहिए वा, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रोखो राम पुत्र दोलत राम पुत्र रलाराम वासी पिंड सांविजन तहसील मोगा। (अन्तरक)
2. श्री मुख्तियार सिंह, जगराज सिंह, गुरमेल सिंह, हरबंस सिंह और इंदर सिंह पुत्र बिशन सिंह वासी पिंड मलका तहसील मोगा। (अन्तरितों)
3. जैसाकि ऊपर नं० 2 में लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शर्तों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जोकि विलेख 315 मिति 18-4-79 को रजिस्ट्रारकी अधिकारी, तहसील मोगा में लिखी गई है।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 12-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिडा

भटिडा, दिनांक 12 अक्टूबर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 638—अतः मुझे, सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिन इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा अप वैहवल खुरद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय फरिदकोट में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक 23-4-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, जैसे दृश्यमान प्रतिफल का अद्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण में हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या धर्म्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

1. श्री हजुरा सिंह पुत्र बाजिन्दर सिंह पुत्र हजारा सिंह वासी कोट कपूरा ।

(अन्तरक)

2. श्री राम लुभाया पुत्र मैहगी मल पुत्र वैहगा मल वासी पिंड वैहवल खुरद तहसील फरीदकोट पुराना सेहरा ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में दृष्टि रखता हो ।

'वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी धर्म्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सकान जो कि विलेख नं० 183मिती 23-4-79 को रजिस्ट्री करता अधिकाारी के कार्यालय में लिखा गया है ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिडा

तारीख : 12-10-79
मोहर :

प्रकाश आर्क • टी • एन • एस •

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 12 अक्टूबर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 639—अतः मुझे मुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि म्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा है गया है तथा जो नवां शहर आबादी में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-5-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विधि में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाधा उत्पन्न अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

पता: प्रथम, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरप्रकाश, गरदियाल पुत्र गुरदास राम पुत्र भाना वासी रेलवे रोड, नया शहर।

(अन्तरक)

2. श्री पुरुषोत्तम लाल, अणवनी कुमार, पुत्र देभराज पुत्र निहान चन्द वासी नया शहर मोहनवा प्रनदोख तहसील नया शहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवृद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी धांधले :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त म्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जोकि आबादी नया शहर जैसा कि विलेख नं० 462 मिती 14-5-79 को तहसील नया शहर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा गया है।

मुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख 12-10-79

मोहर :

प्रकृप आई० टी० एन० एस०—

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक घायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 10 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 617, —अनः मुझे सुखदेव चन्द घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और

जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो मुकसूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुकसूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-4-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वापिस में हमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या हिस्से वन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय घायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अनः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसारक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

7—346GI/79

श्री भगवान सहाव पुत्र देवी सहाय पुत्र गोपाल सहाव
वासी मुकसूर ।

(अन्तरक)

2. (1) श्री रिखी राम पुत्र कापूर चन्द
- (2) राजकुमार पुत्र रिखी राम है
- (3) नरिन्दर कुमार राजेश कुमार पुत्र बातीर चन्द पुत्र सोहनलाल भारफत अग्रवाल पार्सिप सटोट, नेलवे रोड, मुकसूर ।

(अन्तरिती)

3. जैहा कि ऊपर नं० 2 में है ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो ।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धायोपः—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जोकि विलेख नं० 186 गिती 18-4-79 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुकसूर में लिखा गया है ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक घायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

घायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 618—अतः मुझे सुखदेव चन्द
घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा
जो बैंक रोड, मुकसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय मुकसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का
16) के अधीन तारीख 20-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये ठय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन व अन्य प्राप्तियों
को जिन्हें भारतीय धाय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के
लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. चमन लाल पुत्र बाहली राम मुकसर
कलियान देवी पत्नी बाहली राम, मुकसर।
दर्शन देवी पुत्री बादली राम, मुकसर।
(अन्तरक)
2. डा० दर्शन पाल बासल पुत्र श्री राम बैंक रोड,
मुकसर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आप्ञेय:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20 में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 105.2 वर्ग गज, जोकि बैंक रोड, मुकसर में
विलेख नं० 223, मिति 20-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
मुकसर में लिखा गया है।

सुखदेव चन्द
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 10-9-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 27 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 634—अतः मझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो नई सूर्य नगरी, मंडी अबोहर में स्थित है (और इससे उपापद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत्, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी हरजिन्दर सिंह वासी पिंड बकायन वाला तहसील फाजिलका ।
(अन्तरक)

2. कुमारी रेनु पुत्री प्रेम कुमार पिंड धरागंवाला, तहसील फाजिलका ।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितपद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जोकि विलेख नं० 279 मिति 27-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में लिखा गया है।

सुखदेव चन्द
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 27-9-79
मोहर :

प्रकृष धाई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 11 अक्टूबर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 635—अतः मुझे सुखदेव चन्द
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से
अधिक है।

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा
जो मकान गांधी चौक, मुकसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय मुकसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधीन दिनांक 27-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक
(अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक
के अभाव में तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार
उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्—

1. श्री रामप्रकाश पुत्र तथा सिंह
वासी मुकसर, अब फीरोजपुर
(अन्तरक)
2. श्री विजय कुमार, आदर्श कुमार पुत्र शाम सुन्दार, पुत्र
गुरधरन सिंह मारफत शोवर मैडिकल हाल,
गांधी चौक, मुकसर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान जोकि गांधी चौक मुकसर में विलेख नं० 272
मिती 27-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुकसर में लिखा
गया है।

सुखदेव चन्द
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 11-10-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 23 अक्टूबर, 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 648 (79-80) बी-टी० आई०—

अतः मझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में है लिखा गया है तथा जो नजदीक बस स्टेड भाटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पत्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के सिद्धे तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धार की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। और/वा

(ख) ऐसी किसी धार या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः धन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र अमरसिंह वासी मानसा रोड, नजदीक बस स्टेड, सिविल स्टेशन, भटिंडा ।

(अन्तरक)

2. सर्वश्री सुखदेव सिंह, जगदेव सिंह पुत्र, करनैल सिंह व करनैल सिंह पुत्र विशन सिंह वासी माता बाला तहसील मुकसर, जिला फरीदकोट ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

शब्दीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान 1/2 को जो कि विलेख नं० 422 मिति 18-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में लिखा गया है ।

सुखदेव चन्द

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 23-10-79

मोहर :

प्ररूप आई० एन० टी० एस०—
भाबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 23 अक्टूबर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 647 (79-80) बी०टी० आई—
अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि एवावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा नजदीक बस स्टैंड, भाटिण्डा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-4-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृक्ष्यमान प्रतिफल से के लिए अन्तरण की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृक्ष्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृक्ष्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; धीर्य्या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या धन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्मात् :—

1. श्रीमती हरनाम कौर पत्नी बखतावर सिंह पुत्र कुंडासिंह नजदीक बस स्टैंड, सिविल स्टेशन, भटिण्डा।
(अन्तरक)

2. श्री बलवन्त सिंह गुरदेव पुत्र करनैल सिंह पुत्र विशनसिंह वासी माना बाना तहसील मुक्तसर, जिला फरीदकोट।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त एवावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों धीर पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान 1/2 का जो कि विलेख नं० 421 मिति 18-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में लिखा गया है।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 23-10-79
मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एह०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

एत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 22 अक्तूबर, 1979

निदेश न० ए० पी० नं० 646—अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो आई० टी० आई० के सामने, मोगा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तुत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पचापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रन्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को, जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या इन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री हरनेक सिंह मेजर सिंह अजीत सिंह, इकबाल सिंह पुत्रगण चमन सिंह वासी पट्टी, उसंगमोगा महल सिंह (अन्तरक)

2. श्री दारा सिंह पुत्र नथा सिंह मारफत दारा मशीनरी स्टोर, मैजिस्टिक सिनेमा रोड, मोगा। (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धारणा:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट जोकि आई० टी० आई० के सामने विलेख नं० 309 मिति 18-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखी गई है।

सुखदेव चन्द
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 22-10-79
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एन० एन०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 22 अक्तूबर, 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 645—अतः मुझे सुखदेव चन्व
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो
आई० टी० आई० के सामने मोगा में स्थित है (और इससे
उपाब्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908
(1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-4-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तिनों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पश्चात्:-

1. श्री हरनेक सिंह, मेजर सिंह अजीत सिंह, इकबाल सिंह
पुत्र चमन सिंह वासी पट्टी उमग मोगा, महल सिंह।
(अन्तरक)

2. श्री दर्शन सिंह पुत्र तथा मिर्च मारकत द्वारा मशीनरी
स्टोर, मैजिस्टिक मिनेमा रोड, मोगा।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट जोकि फीरोजपुर और लुधियाना रोड आई० टी०
आई० के सामने मोगा में विलेख नं० 308 मिति 18-4-79 को
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा गया है।

सुखदेव चन्व
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 22-10-79
मोहर :

प्रकरण आई० डी० एम० एन०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 22 अक्टूबर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 644—अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका लिखित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो कोट कपूरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अस्तित्व की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पदापूर्वोक्त सम्पत्ति पर उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय थाया गया प्रतिफल, अनन्तलिखित दृश्यमान उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बावत में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या अर्थो अथवा अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्तर्गत अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ वास्तुिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अत्र उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार मैं, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र चन्दा सिंह पुत्र ध्यान सिंह वासी पिंड कचरा तसहसील फरीदकोट।
(अन्तरक)

2. श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी मुजीत गिल, डाकखाना, रोमाना अलबिल, तहसील फरीदकोट।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवृद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करवाएँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काय को संरक्षण :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को प्राप्त से 30 दिनों की अवधि, जो भी अवधि बाव में सभापत होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जोकि तहसील फरीदकोट कोट कपूरा रोड पर खसरा नं० 2510, कीला नं० 28-2, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में विलेख नं० 106 मित्ती 16-4-79 को लिखा गया है।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 22-10-79
मोहर :

प्रकृष आर्ई० टी० एन०एस०—

घायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 नवम्बर, 1979

निवेश सं० ए० पी० सं० 656—अतः मुझे सुखदेव चन्द घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो फिरोजपुर छावनी बजार नं० 3 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए घट्टरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पट्टरु से प्रतिशत अधिक है और घट्टरक (घट्टरकों) और घट्टरितो (घट्टरितियों) के बीच ऐसे घट्टरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त घट्टरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) घट्टरण से हुई किसी घाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के घट्टरण के बायिस्व में कमी करने या घट्टसे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी घाय या किसी घन या अन्य घास्तियों को, जिन्हें भारतीय घाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ घट्टरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाये में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्यात् :—

1. श्री नरेश कुमार पुत्र मोहन लाल
बस्ती वालोचान वाली फिरोजपुर शहर।

(अन्तरक)

2. श्री कमल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद और कुशालियादेवी
गली नं० 6, फिरोजपुर छावनी।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण 1—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 297 फिरोजपुर छावनी में जैसा कि विलेख नं० 6001 मिति 28-3-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में लिखा गया है।

सुदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 6-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 655—अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो मैन बाजार फिरोजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फीरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 27-3-79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के साधित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री राम लाल पुत्र गासीटा मल और फुलवती पत्नी राम लाल वासी नीम वाली गली, फीरोजपुर शहर।
(अन्तरक)
2. श्री सूरज प्रकाश पुत्र राम लाल वासी गली नीम वाली, फीरोजपुर शहर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सकान जोकि फीरोजपुर शहर में विलेख नं० 5990 मिति 27-3-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फीरोजपुर में लिखा है।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख 6-11-79
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 नवम्बर 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 654—अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके अन्तर्गत 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन मगम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो काशी नगरी सरकुलर रोड, फिरोजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1909 का 16) के अधीन तारीख 21-3-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का अनुपात प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए यह तथा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्मात्तः—

1. सुखजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह
वासी काशी नगरी फिरोजपुर शहर।

(अन्तरक)

2. (1) साधूराम पुत्र बोंगा मल और सरोजरानी पत्नी
साधू राम वासी ताप सिंह वाला

(2) लाजवन्ती पत्नी बनारसी दास वासी फीली
तहसील फिरोजपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में लिखा गया है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करवा हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धांधला:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात्की व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो मा अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जो कि काशी नगर जोकि विलेख नं० 5915 मिति 21-3-79 जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखी गई है।

सुखदेव चन्द

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 6-11-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 जुलाई 1979

सं० पी० प्रार० नं० 691, ए० सी० क्यू० 23-1458/19-7/79-80—अन. मुझे एन० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें एक पत्राचार 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० नोद्य नं० 663, वार्ड नं० 9, है तथा जो सिय्यामाता सेरी, वाडी फलिया सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-3-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके वृथमान प्रतिफल से, ऐसे वृथमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी भाव को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दावित्व में कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री नरेन कान्ता लाल ठाकोर,
"रामेश्वर" ब्लॉक बी-43, स्वामी विवेकानन्द
रोड, शांताकृज, बम्बई-56
(2) मायनोर रेतल नरेन ठाकोर,
गार्जियन—शकुन्तलाबेन नरेन ठाकोर,
"रामेश्वर" ब्लॉक बी-43, स्वामी विवेकानन्द रोड,
शांताकृज बम्बई-56
(अन्तरक)

2. श्री भूपेन्द्र बाबू भाई झवेरी,
वाडी फलिया, सिय्यासाता शेरी, सूरत।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका कुल माप 123 वर्ग गज है जो वाडी फलिया, सिय्यामाता शेरी, सूरत में स्थित है, और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा तारीख 21-3-79 को रजिस्ट्रेशन, नं० 1388 से रजिस्टर्ड किया गया है जिसका नोद्य नं० 663 वार्ड नं० 9 है।

एन० सी० परीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 27-7-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 अगस्त 1979

सं० पी० आर० 712 ए० सी० क्यू० 23-1491/19-7/79-80—अतः मुझे एस० सी० पारिख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक

और जिसकी सं० नोंध नं० 790, वार्ड नं० 6, है, जो महिधरपुरा छापरीआ शेरी, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1098 (1908 का 16) के अधीन 3-3-1979 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों :—

1. (1) हेमन्त कुमार रणछोड़दास कर्ता आफ एच० यू० एफ० धड़ीआली पोल, बड़ौदा।
- (2) विजयकुमार रणछोड़दास —वही—
- (3) जायँर चन्द नाथालाल कर्ता आफ० एच० यू० एफ० छपेरीआ, शेरी, सूरत।
- (4) भरत कुमार नाथालाल —वही—
- (5) जयन्त लाल चुन्नी लाल और उनके बेटे विपुल जयन्तीलाल
- (6) रमनलाल चुन्नी लाल और प्रभावतीबने रमनलाल धड़ीआली पोल बड़ौदा।

(अन्तरक)

2. श्री नरवर लाल मनोहर भाई पटेल, धहिरपुरा, छपारिया शेरी, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्ति पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो नोंध नं० 790 वार्ड नं० 6, छपरीआ शेरी, महीदपुरा, सूरत में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 126 वर्ग गज है और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत में कार्यालय में तारीख 3-3-79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 20-8-79

मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 अगस्त 1979

सं० ए० सी० अयू० 23-2113(844)/12-2/79-80-
अतः मुझे एस० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 10, प्लॉट नं० 68 है तथा जो
स्टेशन रोड, भुज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
भुज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के
अधीन दिनांक 9-3-79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक,
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्--

1. (1) कणबी, नारण बालजी जेसाण
- (2) कणबी केसरा बालजी जेसाणी
- (3) कणशी मावजी बालजी जेसाणी
गांव बलदीया, जिला भुज ।

(अन्तरक)

2. सोनारा जफर हाजीआमद,
अवडासा, मालुका, नलीया, कच्छ ।

(अन्तरिती)

3. किरायेदारों के नाम :

- (1) मैसर्स ओनेस्ट ईले० एजेन्सी,
- (2) श्री टी० सी० उम्मान
- (3) हरजी हरि बरसानी जी
- (4) मणीलाल न्याल चन्द वोहरा
- (5) " " "
- (6) मै० कच्छ आटो० मीबाईल्स
- (7) सी० जे० आटो० ईले०
- (8) मै० हाजी हीरजी बरसाणी
- (9) आरक्योलोजिकल डिपार्टमेंट

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रजन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी शंके:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रबन्धस्थापकी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

हमारत जो 205.21 वर्ग मीटर जमीन पर स्थित है
जिसका प्लॉट नं० 68 वार्ड नं० 10 है, जो स्टेशन रोड, भुज
में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 896 तारीख 9-3-1979 में
रजिस्ट्रीकृत बित्री वस्तावेज में पूर्ण वर्णन किया गया है ।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 21-8-79

मोहर :

प्रकृप भाई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 सितम्बर 1979

सं० पी० आर० 720 एकवी० 23-1430/19-1/79-80-
अतः मुझे, एम० सी० परीख
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है और
और जिसकी सं० नं० 275 है तथा जो बारडोली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बारडोली में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-3-79 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए धारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और धस्तरक (धस्तरकों) और धस्तरिती
(धस्तरितियों) के बीच ऐसे धस्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धस्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कवित नहीं किया गया है:—

(क) धस्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के धस्तरक के बाधित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या धन्य वास्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
धस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या
किया जाना चाहिए था, विधानों में सुविधा के लिये;

यह, यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्षा:—

1. (1) खुशालभाई नाथाभाई, पटेल
2 लेककुमार घमार प० अ० होलडर मोक
नागिन भाई लालुभाई ।
गीकर, तड़० बानोद, जिला सुरत ।
(अन्तरक)
2. श्री गोर्धन भाई दुरलभ भाई
भागीदार :
मै० लिम्बर, एजसी, देसाद, ताल० कामरेज,
जिला सुरत ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त धस्तरण के अर्जन के धस्तरण में कोई भी धस्तरण :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तारीख से 30 दिन की अवधि और भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाठ
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 21-ए में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 275 है और जो माप में 0 एकड़
और 11 गुंटा है । ये जमीन बारडोली में है और रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी बारडोली के कार्यालय में तारीख 22-3-79 के रोज
रजिस्टर्ड किया गया है ।

एम० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

भर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 सितम्बर 1979

निदेश सं० पी० आर० नं० 729 एववी० 23-19-7/79-80-

प्रतः मुझे, एस० सी० परीख

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 4, सब प्लॉट नं० 1, 2, 3 तथा 4 है
वा रांदेर में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची I में और
पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के
अधीन दिनांक 12-3-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि वचापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है, और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
निश्चित में वास्तविक रूप से उचित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धान की बाबत, उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के बाबत
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी धान या किसी धन या धन्य भास्तिवों
को जिन्हें भारतीय घायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया वा या किया जाना चाहिए वा, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार
में से, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती फातमा बीबी इसमाईल भरुचा.
नगीना लेन, बिग बाजार, रांदेर,
सूरत।

(अन्तरक)

2. (1) कादरभाई मामदभाई
चौक बाजार, सिदीवाद, सूरत।

(2) इमराहीम अब्दुल सत्तार चांदी वाला,
भागा तलाव, सिदीवाद, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशेष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रबोहस्ताक्षरी के पास
निश्चित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का; जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 4 और सब प्लॉट नं० 4 है और
जो रांदेर में है ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के
कार्यालय में ता० 12-3-1979 को रजिस्टर्ड किं गई है।

एस० वी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
भर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 15-9-79
मोहर :

प्ररूप आई० डी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 सितम्बर 1979

निदेश सं० पी० आर० 730एक्वी० 23-19-7/79-80

अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० स० नं० 4, सब प्लॉट नं० 1, 2, 3 तथा 4 है जो रांदेर, सब जिला चौयासी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक कर से अभिन नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे जमाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविक को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, लिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसूचन में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, पश्चात् :—

1. श्रीमती मोमिन बीबी इसमाईल अरुणा
नगीना लेन, बिग वजार के पास, रांदेर, सूरत।
(अन्तरक)

1. कादरभाई मामद भाई, मुख्य प्रमोटर
सेम नगर, को०आ० हा० सो० लि०
चौक बाजार, सिदीवाद, सूरत।

2. इबराहीम अब्दुल सत्तार चांदी वाला,
भागा तलाब, सिदीवाद, सूरत।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में मरणादौती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

प्रसूची

जमीन जो रांदेर में स्थित और जिसका सं० नं० 4 सब प्लॉट नं० 1 है वे जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी सूरत के कार्यालय में ता० 12-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 15-9-79

सोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 सितम्बर 1979

निर्देश नं० सं० पी० आर० 731एक्यू० 23/19-7/79-80---

अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नं० 4, सब प्लॉट नं० 1, 2, 3 और 4 है तथा जो शंभेर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए घन्तरक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पर्याप्त प्रतिशत अधिक है और घन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिकी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण उ हुई किसी धाम की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के घन्तरक के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किया आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिनके भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनों अन्तरिकी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, अधिनियम में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती आयसां बीबी एममाइल भरुवा,
नगीना लेन बीच बाजार, शंभेर, सूरत ।
(अन्तरक)

2. (1) जादरभाई मामदभाई
चोक बाजार, सोझवाडे, सूरत ।
(2) इमराहीम अब्दुल सत्तार चादी वाला,
भागा तलाद, सीसा वाडे, सूरत ।
(अन्तरिकी)

को यह सूचना दी जाये इसके पूर्वोक्त सम्पत्ति के घन्तरण के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के घन्तरण के प्रश्न में कोई भी आपत्तः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :- इसमें पयूक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रख्यात 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा या उक्त प्रख्यात में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जो शंभेर में है और जिसका सं० नं० 4 सब प्लॉट नं० 2 है, ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में तारीख 12-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है ।

एस० सी० परीख,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 15-9-79

मोहर :

प्रकृप आई० टी० एन० एस०-----
 प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
 धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना
 भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 सितम्बर 1979

निदेश सं० पी० आर० 732, एफ्यू० 23-19-7/79-80--

अतः मुझे एस० सी० परीख

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और

जिसकी सं० 4, सब प्लॉट नं० 1, 2, 3 और 4 है तथा जो शंदरे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय का बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उल्लेख बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती खान जी बीबी दसमाइल, भरुक नगीना लेन, बिज बाजार, शंदरे, सूरत।

(अन्तरक)

2. (1) कुदाभाई मामदभाई चौक बाजार, सीमावाड़, सूरत।

(2) इसमार्शल अब्दुल सत्तार, चांदो वाला, भाग, तलाव, सीमावाड़, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति में अर्जुन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप्ति—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसकी सं० नं० 4 पैकी सब प्लॉट नं० 3 है और जो शंदरे में है ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 12-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

ए० सी० परीख,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, अहमदाबाद

तारीख: 15-9-79

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 सितम्बर 1979

सं० पी० आर० सं० 861 ए० सी० ब्यू० 23-क-2221/1-1/79-80—अतः मुझे, एस० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० एस०-82, डी ब्लॉक है तथा जो केपिटल कार्मशियल सेंटर, एलीसबीज, अहमदाबाद में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-3-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैसर्स साधुराम गोरधनदास नेताजी बलाभ मार्केट, कालुपुर कोरजी रांग, अहमदाबाद। (अन्तरक)

2. श्रीमती सरोजनी प्रियकान्त बुच, सगीर मिलन प्रियकान्त बुच, सगीर गिरीन्द्र प्रियकान्त बुच, बुच मेन्शन, मीरा अम्बिका होटल के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-91 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 82-3, केपिटल कार्मशियल सेंटर के ब्लॉक नं० डी० में, जो 26.45 वर्ग मीटर है तथा एलीसबीज अहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 2382/79 ता० 15-3-1979 में रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसा पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० सी० पारीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 25-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

अहमदाबाद, दिनांक 3 अक्टूबर 1979

सं० ए० सी० क्यू-23-I-2248(863)/1-1/79-80—अतः मुझे, एस० सी० पारीख
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० फायनल प्लॉट नं० 167, सब प्लॉट नं० 9-ए, टी० पी० एस० 4 है। तथा जो मणीनगर, अहमदाबाद-8 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-3-1979 को पूर्वागत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के निम्न अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वगत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में प्रस्तुत करने से कृपित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किंवा प्राप्त की गयी, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाषा या किसी धन या अन्य मास्त्रियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वयेण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्मात् :—

1. श्री छोटालाल भीखाभाई मेहता 51-53, मिर्जा स्ट्रीट, राजमिलन, पांचवीं मंजिल, बम्बई। (अन्तरक)
2. महावीर प्लेट अर्नर्स असोसिएशन आगेनाइजेशन—
(1) श्री माणिक चंद लुकराम 5-बी, पाथे प्लेट, दक्षिणी सोसायटी मणीनगर, अहमदाबाद। (अन्तरितों)
(2) श्री मोतीलाल शिवलाल जैन रामपार्क, दक्षिणी सोसायटी, मणीनगर, अहमदाबाद के मराफत। (अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वागत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धारणा :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वागत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताख्तों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

संश्लोकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पंक्तियों का, या उक्त अधिनियम के अन्वयेण 20-क में परिभाषित है। कहीं धर्ष होगा, जो उस अन्वयेण में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 835 वर्ग गज है जिसका फायनल प्लॉट नं० 167, सब प्लॉट नं० 9-ए, टी० पी० एस०-4 में है जो खाखरा अहमदाबाद ता० सिटी अहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 2970 ता० 29-3-1979 में रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

तारीख : 3-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई टी एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्टूबर 1979

सं० ए० सी० ब्यू०-23-2-2307(864)/10-1/79
-80—अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 39-जी०-5, प्लॉट नं० 18/1, शेड 'ए' है तथा जो मोटर हाउस के सामने पटेल कालोनी जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अब्बासभाई तैयबअली, संधाडीया बाजार, जाम नगर। (अन्तरक)

2. श्री हातीमभाई इमुफअली, ग्रेन मार्केट, कालावाड़। (अन्तरिती)

3. युनाइटेड ब्रास इण्डस्ट्रीज, पटेल कालोनी, प्लॉट नं० 18/1 मोटर हाउस के सामने, जामनगर। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होत हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किस व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षर के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

125-41-50 वर्ग मीटर जमीन पर खड़ा शेड 'ए'
660-48-50 वर्ग मीटर जमीन के कामन प्लॉट के साथ जिसका सर्वे नं० 39-4-5 प्लॉट नं० 18/1 है जो मोटर हाउस के सामने, पटेल कालोनी जामनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 534 ता० 19-3-1979 के रजिस्ट्रीकृत बित्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० सी० परीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख: 4-10-1979
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एम.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्टूबर, 1979

सं० ए० सी० न्यू० 23-I-2307(865)/10-1/
79-80—अतः मुझे ए० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन सशम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, त्रिपका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है।

और जिसकी सं० सर्वे नं० 39-जी-5 पैकी शॉड 'बी', प्लॉट नं०
18/1 है तथा जो पटेल कालोनी, मोटर हाउस के सामने,
जामनगर में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता/अधिकारी के कार्यालय,
जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन, तारीख 19-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिकल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी राश की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी राश या किमी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:--

1. श्री अब्बासभाई तैय्यबअली, संवाड़ीया बाजार,
जामनगर। (अन्तरक)

2. श्री मनमुरभाई ईमुफअली, ग्रेन मार्केट, कालावाड़।
(अन्तरिती)

3. मेट्रो फर्नीचर वर्कस, पटेल कालोनी, प्लॉट नं० 181,
मोटर हाउस के सामने, जामनगर। (वह व्यक्ति जिसके
अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त आक्षेप सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पक्ष
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

'बी', शोड, 125-41-50 वर्गमीटर जमीन पर खड़ा,
कोमल प्लॉट 660-88-50 वर्गमीटर जमीन के साथ जिसका
सर्वे नं० 39-जी-5 प्लॉट नं० 18/1 है जो मोटर हाउस
के सामने पटेल कालोनी' जामनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रे-
शन नम्बर 532 ता० 19-3-1979 से रजिस्ट्रीकृत बिक्री
दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

ए० सी० परीख,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख: 4-10-1979

मोहर:

प्रथम भाई० टी० ए० ए० ए०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्टूबर 1979

सं० ए० सी० न्यू०-23-J-2307(866)/10-1/
79-80—अतः, मुझे, ए० सी० पारीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हमने इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि सहायक संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 39-जी-5, प्लॉट नं० 18/1, शेड 'सी' है तथा जो पटेल कालोनी, मोटर हाउस के सामने जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-3-1979

को पूर्णतः संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी धाय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या निफ्त धरा या अन्तः-साधियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, के अन्तः-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, विधायक सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में

में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथातुः—

10-346GI/79

1. श्री अब्बासभाई तैय्यबअली, संघाडीया बजार, जामनगर। (अन्तरक)

2. श्री वीरा साबीरभाई इसुफअली, ग्रेडन मार्केट, कालावाड। (अन्तरिती)

3. मेट्रो इलेक्ट्रीकल बुड वर्क, पटेल कालोनी, जामनगर (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशंका :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सहायक संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सप्रोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

125-41-50 वर्ग मीटर जमीन पर खड़ा शेड 'सी', 660-88-50 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली जमीन के साथ जिसका सर्वे नं० 39-जी-5, प्लॉट नं० 18/1 है जो मोटर हाउस के सामने, पटेल कालोनी जामनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 533, ता० 19-3-1979 से रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

ए० सी० पारीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 4-10-1979
मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 16 अक्टूबर 1979

सं ए० सी० ब्यू० 23-I-232(870)/11-1/79-80—अंतः, मुझे, एस० सी० परीख
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 270 है तथा जो जूनागढ़ में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जूनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 9-3-1979 का

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धार की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के राष्ट्रिय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी धार या किसी धन या अन्य प्राप्ति को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री पीरजादा सैयद बड़ाभीयां खलफ्णभियां, खेतीबाड़ी कैम्प के सामने, जूनागढ़। (अन्तरक)

2. (1) श्री चन्द्रकांत पोपटलाम लाखानी, एम० पी० रोड, जूनागढ़।

(2) श्री सरयू चन्द्रकांत लाखानी, एम० पी० रोड, जूनागढ़।

(3) श्री अतुलकुमार अनंतराय लाखानी, एम० पी० रोड, जूनागढ़। (अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसाबद हिसाब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के धार्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस धार्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जूनागढ़ में सर्वे नं० 270 वाली 1 एकर 10 गुंठा बागायती जमीन, जिसका बिक्री दस्तावेज नं० 262/9-3-1979 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जूनागढ़ ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी प्रापटी का पूर्ण वर्णन उसमें दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख: 16-10-1979

मोहर:

प्रकृत अर्द्ध-टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 16 अक्टूबर, 1979

सं० ए० सी० न्यू० 23-I-2162(869)/11-1/

79-80—अतः मुझे, एम० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 270 है तथा जो जूनागढ़ में स्थित है और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जूनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री पीरजादा सैयद मोहम्मद बड़े मीयां खलकशमीयां खेतीबाड़ी कैंपस के सामने, जूनागढ़। (अन्तरक)
2. (1) श्री चन्द्रकांत पोपटलाल लखानी अम० जी० रोड़, जूनागढ़।
(2) श्रीमती सरयू चन्द्रकांत लखानी, अम० जी० रोड़, जूनागढ़।
(3) श्री चेतनकुमार बाबूलाल लखानी अम० जी० रोड़, जूनागढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे नं० 270 बागाती जमीन जिसका क्षेत्रफल 1 अंकर 10 गुंठा है जूनागढ़ में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 265/12-3-79 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जूनागढ़ में रजिस्टर्ड किया गया है, प्रापटी का पूर्ण वर्णन उममें दिया गया है।

एम० सी० पारीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख: 16-10-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अक्टूबर 1979

सं० ए० सी० क्यू० 23-I-2250(868)/1-1/79-80—अतः, मुझे, ए० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० टी० पी० ए० 21 की फायनल प्लान नं० 444 वाले प्लान का 3/4 अविभक्त हिस्सा है तथा जो छदवाड, यु० के० बैंक के फ्लैट के पास की, आंबावाडी अहमदाबाद में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-3-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का अन्तर्गत अधिभूत है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक अदायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा पकड़ नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री चन्द्रलाल शम्बलाल शाह, गंगाक्षीया की पोल, सांकेडी शेरी, अहमदाबाद।
श्रीमती पुष्पाबेन कांतीलाल शाह, शेठनी पोल, सांकेडी शेरी, अहमदाबाद। (अन्तरक)
2. (1) श्रीमती नीताबेन नितीनकुमार शाह,
(2) हेमनाभाई चन्द्रलाल शाह,
(3) श्री बाबूभाई एम० मोदी,
(4) श्री शैलेश नटवरलाल बोरा,
(5) हीराबेन सुन्दरलाल कोठारी,
(6) दीनेश रतीलाल शाह, दीनेश ए० मेहता के मारफत, 1151, अलीफ मास्जिद के पोछे, भद्रे, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अर्थात् बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास निश्चित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिनका क्षेत्रफल 760 वर्गगज का 3/4 तथा 80 वर्ग मीटर विस्तार में प्लॉट तक का बांधकाम जिसका सब प्लान नं० 14-ए, फायनल प्लान नं० 444, टी० पी० ए० 21 का जो यु० के० बैंक फ्लैट्स के पास आंबावाडी अहमदाबाद, छदवाड में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 760 ता० 23-3-1979 में रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज में जैने पूर्ण वर्णित दिया गया है।

ए० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

सं० ए. सी. मो. वृ० 23-I-2182(871)/11-1/
79-80—अन०, मुझे, ए.सी. मो. परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 270 है तथा जो जूनागढ़ में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जूनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पीरजादा मयद मोहम्मद बड़ाभियां खलफाभियां खेनीवाडी केम्पल के सामने, जूनागढ़। (अन्तरक)

2. (1) महन्त श्री गोपालानन्दजी गुरुश्री परमानन्दजी बिलनाथ महादेव की जगह, जूनागढ़।

(2) श्री चन्द्रशान पोपटलाल लाखानो, एम० जी रोड, जूनागढ़।

(3) श्री प्रविणचन्द्र वसन्तजी शाह, एम० जी० रोड, जूनागढ़। (अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होना, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जूनागढ़ में सर्वे नं० 270 वाली 1 एकड़ 01 गुंठा बागायती जमीन जिसका बिक्री दस्तावेज नं० 261/9-3-1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जूनागढ़ द्वारा रजिस्ट्री किया गया है याने प्रापटी का पूर्ण वर्णन उसमें दिया गया है।

ए.सी. मो. परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 16-10-1979

मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० आर० नं० 749 एक्वी० 23-19-8/
79-80—अतः, मुझे, एस० सी० परीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० नोंध नं० 728 वाडं नं० 6 है तथा जो
गाले मन्डी, मोटी शेरी, सूरत में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन 1-3-1979 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके वृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए,
और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तिओं
को जिन्हें आय-कर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ईश्वरलाल विश्वनाथ भट्ट गाले मन्डी, मोटी
शेरी, सूरत। (अन्तरक)

2. श्री रमेशचन्द्र छोटुभाई पटेल, गाले मन्डी, मोटी
शेरी, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका नं० नोंध नं० 728 वाडं
नं० 6 गाले मन्डी, मोटी शेरी सूरत है। और जो रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 1-3-79 को
रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 17-9-1979

मोहर :

प्रथम भाई० टी०एन० एस०-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० आर० नं० 750 अश्वी० 23-19-8/79-80--

अतः, मुझे, एस० सी० परीख,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० नोंध नं० 5156 वाई नं० 2 है तथा जो फरोम मोहल्ला, रुस्तमपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1-3-79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) [ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए वा, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री फरसैराम शिबिलील, फरोम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत। (अन्तरक)

2. श्री वसंतलाल बालुभाई, फरोम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करती हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो वाई नं० 2 नोंध नं० 5156 में है और जो ब्लॉक नं० 1 का अतिरिक्त है और फरोम मोहल्ला रुस्तमपुरा, सूरत में है। और यह रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी सूरत के कार्यालय में ता० 1-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 17-9-1979

मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मितम्बर 1979

सं० पी० आर० नं० 751/एकवी०-23-19-8/79-80—
अतः, मुझे, एस० सी० परीख,
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 23,000/-
रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० नोंध नं० 5156 पैकी ब्लाक नं० 3
है तथा जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा सूरत में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख 1-3-1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण,
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उम्मीद बचाने में सुविधा
के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किंवा आय या किसी धन या अन्य आस्तियों,
को, जिन्हें प्रायकर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री फरसराय शीवलाल, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा,
सूरत। (अन्तरक)

2. श्री नवीनचन्द्र बाबूभाई, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा,
सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्रांति:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दृष्टबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका नोंध नं० 5156, बार्ड नं०
2 है और जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत में है।
और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में ता०
1-3-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
महायुक्त प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 17-9-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० आर० नं० 752/एफवी० 23-19-8/79-80

—अतः, मुझे, एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० नोंध नं० 5756 के अतिरिक्त ब्लाक नं०
5 है तथा जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
1-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

11—346GI/79

1. श्री फरसराम शिवलाल, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा,
सूरत। (अन्तरक)

2. अरविंद बाबुभाई, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अमीन और मकान जिसका नोंध नं० 5756 है और जो
ब्लाक नं० 5 की अतिरिक्त है और जो फराम मोहल्ला,
रुस्तमपुरा, सूरत में है और ये रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत
के कार्यालय में ता० 1-3-1979 को रजिस्टर्ड की गई
है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 17-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० आर० नं० 753/एब्यू०-23/19-7/79-80
अतः, मुझे, एस० सी० परीख
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० नोंध नं० 5756 वार्ड नं० 2 कि अतिरिक्त
है तथा जो ब्लाक नं० 2, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख 1-3-1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह
कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री फरसराम शीवलाल, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा
सूरत। (अन्तरक)
2. श्री महेन्द्र कुमार बाबुभाई, फराम मोहल्ला रुस्तमपुरा,
सूरत। (अन्तरिती)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या नरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामीन में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका नोंध नं० 5156 कि अति-
रिक्त ब्लाक नं० 2 वार्ड नं० 2 सूरत में है और जो
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 1-3-79
को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख : 17-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

निदेश सं० पी० आर० 754 एफ्यू-23/19-7/
79-80—अतः मुझे, एन० सी० परीख
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० नोंध नं० 5156 पैकी ब्लोक नं० 4
है तथा जो वार्ड नं० 2, फराम मोहल्ला रुस्तमपुरा में स्थित
है (और इसमें उपावद्ध असूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन 1-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री फरसराम शीवलाल, फराम मोहल्ला रुस्तमपुरा,
सूरत। (अन्तरक)
2. श्री प्रवीनचन्द्र देवसुखलाल, फराम मोहल्ला, रुस्तम-
पुरा, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका नोंध नं० 5156 और
वार्ड नं० 2 है। जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत में
है और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय
में ता० 1-3-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख: 17-9-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निवेश सं० ए० आर० नं० 757/एक्यू०-23/7-5/
79-80—अतः, मुझे, ए० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 872 कि अतिरिक्त है तथा जो
पारडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
पारडी, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन 13-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण,
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हसमुखलाल नगीनदास, पारडी, जि० बलसाड़।
(अन्तरक)

2. सै० गायत्री लेण्ड विकास क० के भागीदार श्री
विनोदराय सोमालार नायक, पारडी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 872 के अतिरिक्त है और
जो माप में 2 एकड़ और 8 गुंठा है और जो रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी पारडी के कार्यालय में ता० 13-3-79 को
राजस्टर्ड की गई है।

ए० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 19-9-79
मोहर:

प्रकृप. प्राई० टी० एन० एस०-----

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निदेश सं० पी० आर० नं० 760 एन्वी० 23/7-3/
79-80—प्रतः मुझे, एस० सी० पारीख
घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है,
और जिसकी सं० टी० नं० 6/2 सं० नं० 46/ए० है तथा
जो बाजार मोहल्ला बीलीमोरा में स्थित है (और इसमें
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, बीलीमोरा में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-3-79
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ए० दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय को बाबत उक्त अधि०
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसे किसी धाय या किसी धन या अन्य मास्तियों
को, जिन्हें भारतीय घायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

यथा धब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बचति:—

1. श्री डाक्टर सोराबजी डोसामार स्टेशन रोड बीली
मोरा। (अन्तरक)

2. (1) श्री मोहनलाल उत्तमचन्द पारेख

(2) कान्तीलाल उत्तमचन्द पारेख, उननाही।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम
के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो बीलीमोरा में हैं और जिसका
टीका नं० 6/2, सं० नं० 46-ए और जो रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी गनवेवी के कार्यालय में ता० 31-3-79 को
रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 19-9-1979
मोहर:

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन्त रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निदेश सं० आर० आर० नं० 761 एन्फ० 23/7-3/79-80—अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषय करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिनकी सं० रे० सं० नं० 418 के अतिरिक्त सं० नं० 1182 है तथा जो बीलीमोरा में स्थित है (और इसमें अतिरिक्त अनुसूची के अधीन पूर्व का सं० वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गवदेवी के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व की गई है और मुझे यह विषय करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के अतिरिक्त से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसूचन में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री भगवानदास ओछवलाल शाह पी० ए० राजेन्द्र ओछवलाल शाह, राजपुरिया बाग, गुजरात मंडल रोड, विले पारने, बाम्बे-571 (अन्तरक)

2. कान्स्टीट्यूट गैरली आफ बूड पोलीमर लि० अमलाल चुंयामाई पटेल, महात्मा गांधी रोड, बीलीमोरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अयोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिनका सं० रे० सं० नं० 418 के अतिरिक्त और सं० नं० 1182 के अतिरिक्त है और जो माप में 721-69-69 चौरस मीटर है ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बीलीमोरा के कार्यालय में ता० 21-3-79 के दिन रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन्त रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 19-9-1979
मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 दिसम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 767 एनवी 23/7-3/79-80—अतः मुझे. एन० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० रेक० सर्वे० नं० 418 पाइकी लिटी सं० नं० 1182 पाइकी है तथा जो बीलीमोरा में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बीलीमोरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-3-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गोविन्द प्रोद्योगकत भाइ एं० एं० होल्डर प्रा० लि० (द्वय) उक्त प्राधनपाल, राजपुत्रिका कम्प, गुजरान संडल रोड, विले-नारले, पोम्बे-57 । (अन्तरक)

2. नै० बुड पालीमर लि० प्रोद्योगक कं० प्रा० लि० महात्मा गांधी रोड, बीलीमोरा । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के लक्ष्य में कोई भी आवेग:—

(क) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तिगत रूप से सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोऋताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 418 और 1182 है और जो बीलीमोरा में है और जिसका ताप 556-41-45 वर्ग मीटर है वे जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी महदेशी के कार्यालय में ता० 21-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है ।

एन० सी० परीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 19-9-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक: 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 763 एचवी० 23/7-3/
79-80—अतः मुझे, एम० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० रे० सं० नं० 418/3 सी० सं० नं० 1182 है तथा जो बिलीमोरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बिलीमोरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दावित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजेन्द्रकुमार ओछवलाल शाह, राजपुरिया बाग गुजरात मंडल रोड़ विले-गारले बम्बई-571 (अन्तरक)

2. मै० बुड पोलीमिर लि० अंबालाल चूंथाभाई पटेल मन्नात्मा गांधी रोड़, बोलीमोरा। (अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जीन जिसका स नं० 418/3 और सं० नं० 1182 है और जो माप में 505-85-86 चोरस मीटर्स है और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 21-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एम० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 19-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 764 ए०वी० 23-7-3/

79-80—अतः मुझे, एम० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसको सं० रे० सं० नं० 418/6, 7 सी० सा० नं० 1182 है तथा जो बीलीमोरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिहारी के कार्यालय, बिलीमोरा (गनदेवी) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1998 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—
12-346GI/79

1. श्री राजेन्द्र मोछबलाल शाह, राजपुरिया बाग, गुजरात मंडल रोड़, बिले-पारले, बोम्बे-571 (अन्तरक)

2. मी० वुड पोलीमर लि० अंबालाल चुथाभाई पटेल, महात्मा गांधी रोड़, बीलीमोरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 418/6, 418/7 और सी० सं० नं० 1182 और 1181 है और माप में 405 चोरस मीटर्स है यं जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिहारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 21-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एम० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 19-9-1979
मोहर।

प्रारूप आई० टी० एस०एन०-----

आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा

269 ब (1) के अधीन सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 765 एन्वी 23/7-3/79-80---अतः सूक्ष्म, एस० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इस के पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० अधिक है

और ज़ाकी सं० र० स० नं० 418/8-9, सी० स० नं० 1182-1178 है तथा जो बिलीमोरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, गन्देवी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री राजेन्द्र-ओछवलाल शाह, राजपुरिआ बाग, गुजरात मण्डल रोड़, विले-पारले, बोम्बे-571 (अन्तरक)

2. मै० वुड पोलीमर लि० श्री अंबालाल चुंथाभाई पटेल, महात्मा गांधी रोड़, बीलीमोरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन ज़ाकी सं० स० नं० 418/8-9 और सी० स० नं० 1182 और 1178 है और जो साप में 404 चौरा पीटर्स है ये जमीन रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी गन्देवी के कार्यालय में सा० 21-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है ।

एस० सी० पारीख

सहायक प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 19-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० 766 अ.वी 23/7-3/79-80-

अतः मुझे एस० सी० पारीख
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है

और जिसकी सं० री० सं० नं० 418/4-5, सी० सं०
नं० 1182, 1180 है तथा जो बीलीमोरा में स्थित है
(और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित
है) रजिस्ट्री.र्ता अधिकारी के कार्यालय, बीलीमोरा में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख 21-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे
प्रतिफल अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बढ़ने में सुविधा
का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजेन्द्र श्रीधरलाल शाह, राजपुरिया बाग,
गुजरात मण्डल रोड़, वेले पारले, बोम्बे-571 (अन्तरक)

2. मै० बुड पोलीनीर लि० श्री अंबालाल चुगाशाह
पटेल, महात्मा गांधी रोड़, बिलीमोरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका रे० सं० नं० 418/4-5 और सी० सं०
नं० 1182 और 1180 है और जो माप में 404 चोरस
मीटर्स है। ये जमीन रजिस्ट्री.र्ता अधिकारी गन्देवी के कार्या-
लय में ता० 21-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-II, अहमदाबाद

तारीख : 19-9-1979

मोहर :

प्रसू० आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रैंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० जी० आर० 767 प्रे०वी० 23-19-1/

79-80--प्रतः मुझे, एस० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० ब्लाक नं० 310 एस नं० 374 और 375 है तथा जो सुराली विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बारडोली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रू से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्यात्:—

1. श्रीमती मुखीबेन हरोभाई पटेल, विलेज मढी,
ता० बारडोली। (अन्तरक)

2. श्री अनंतकुमार जगनलाल पटेल विलेज मढी, तह०
बारडोली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका नं० ब्लाक नं० 310 स० नं० 474 और 475 जो माप 14 एकर और 33 गुंठा है। और ये जमीन सुरेली गांव में है और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बारडोली के कार्यालय में ता० 16-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रैंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 19-9-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस्०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 771 श्रेणी० 23-7-3/79-80--अतः मुझे, एस्० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 469 के अतिरिक्त है तथा जो महादेवनगर बिलीमोरा में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गनदेवी, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-3-79 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि अत्र पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच हुए अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उत्पन्न बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्रीमती निरुबेन असभाई पटेल अनीलकुमार असभाई पटेल, महादेवनगर, बिलीमोरा। (अन्तरक)

2. श्री शंकरभाई मुलजीभाई पटेल द्वारा श्री बालीमोरा इण्डस्ट्रियल को०आप० सर्विस सोसायटी लि०, महादेवनगर, बिलीमोरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका नं० सं० नं० 489 ई और जो महादेवनगर बिलीमोरा में है। ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 30-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस्० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 19-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई टी एन एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 772/प्रि० वी०-23-7-3/

79-80—अतः मुझे, एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० नं० 469 कि अतिरिक्त है तथा जो महादेवनगर, बिलीमोरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गनदेवी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

1. श्रीमती निरुबेन जसभाई पटेल श्री अनीलकुमार जसभाई पटेल, महादेवनगर, बिलीमोरा। (अन्तरक)

2. श्री शंकरभाई मुलजीभाई पटेल द्वारा श्री बिलीमोरा इण्डस्ट्रियल को० आप० सर्विस सोसायटी लि०, महादेवनगर, बिलीमोरा। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्यी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसकी सं० नं० 469 है। और जो महादेवनगर बिलीमोरा में है। ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 31-3-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 19-9-1979

मोहर:

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 786 एन० 23/19-2/79-80—अतः मुझे एम० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० ब्लाक नं० एम० नं० 41 है तथा जो गांव कडोदरा में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कामरेज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-3-79 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री शीनाकाई रामजीभाई मोदी ठाकोरभाई जीना-भाई मोदी, कडोदरा, तालुक पलसाना। (अन्तरक)

2. (1) अमृतलाल हीरालाल पटेल
(2) ईश्वरलाल हीरालाल पटेल, कडोदरा, तालुक पलसाना। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका नं० ब्लाक नं० 40 सं० नं० 41 है, और जो गांव कडोदरा में है। और जो मापने में 5 अकर 9 गुंठा है और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कामरेज के कार्यालय में ता० 30-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 27-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अक्तूबर, 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 795 एष्यू० 23-19-7/79-80—अतः मुझे, एस० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक नं० 17-6-बी, सं० नं० 91 सब-प्लॉट है तथा जो नं० 5 अदवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-3-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिनी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मनन्तराय रतनलाल यागनोठ अटार्नी बल्सला निरंजन हिरा, मोती मंदिर, सुरत। (अन्तरक)

2. श्री कुमार अमलख मेहता, राज अपार्टमेंट, गोपीपुरा, काजी मेदान, सुरत। (अन्तरिनी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अत्रोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका नं० नोंद 17-6-बी सं० नं० 91, सब-प्लॉट नं० 5, अदवा सुरत है, और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुरत के कार्यालय में ता० 5-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एम० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 17-10-1979

मोहर :

प्रा.प. धार्. टी. एन. एस. ---
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अक्टूबर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 796 एक्वी 23-19-8/
79-80—प्रतः मुझे, एस० सी० पारीख
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० नं० 1379 अदवा एरीया है तथा जो
सुरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन 16-3-1979
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरिक्ष की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरक में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया या या किया जाना चाहिए था, डिपाने में
सुविधा के लिए;

आतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्--

13-346 GI/79

1. श्रीमती नलीनी बेन जयंतीलाल 98, शांती निकेतन,
सोसायटी, स्टेशन के पास, सुरत। (अन्तरक)

2. श्री विपिनचन्द्र हरीलाल ठक्कर हरीपुर, लीमाशेरी,
सुरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करना हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पात्रण:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-
भाषित है, वही अर्थ होगा जो उन अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 1379 है और जो अदवा
एरीया सुरत में है। ये जमीन माप में 392 चौरस वार
है। और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुरत के कार्यालय में
ता० 16-3-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 17-10-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अक्तूबर, 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 797 एक्वी 23-19-8/79-80—अतः मुझे एस० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 01380 प्लॉट ऑफ लेन्ड है। तथा जो अहवा एरीसा सुरत में स्थित है और इसस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-3-79 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री चन्द्रकान्त जयंतीलाल 98, शांति निकेतन सोसायटी, स्टेशन के पास, सुरत। (अन्तरक)

2. श्री मनहरलाल हरीनाल ठक्कर नीमडा शेरी, हरीपुरा, सुरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 1380 टी० पी० नं० 5, प्लॉट नं० 7 एफ० पी० नं० 562(पी०) वार्ड नं० 13 है। और जो अदवा लाइन सुरत में है। ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुरत के कार्यालय में ता० 16-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज-II, अहमदाबाद

तारीख : 17-10-1979

मोहर :

प्रकृष आई० टी० एन० एस्०-----

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

हाथीनाथ, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अक्टूबर, 1979

निदेश सं० पी० आर० 798 अक्रज० 23-19-7/

79-80 यतः मुझे, एम० सी० पारीख

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० न० 91 ब्लाक न० 17-6-बी, सब
प्लॉट है तथा जो न० 3 बार्ड न० 13 अहवा लार्डन
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय,
सुरत में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन तारीख 5-3-1979 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की वास्तविक उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमो करने या उसमें बचने में पुष्टि
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य धास्त्वों
को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रयाण :—

1. श्री मन्मतराय रतनलाल यागनीक अटार्नी आफ
संदीप निरंजन हीरा, मोटा मन्दिर, सुरत। (अन्तरक)

2. श्रीमती रंजनबेन अरविबकुमार शाह, निशा
अपार्टमेंट गोपीपुरा, काजी मैदान, सुरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्दितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

हरबटीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० न० 91 और ब्लाक न० 17-6-
बी, सब प्लॉट न० 3, बार्ड न० 13 है और जो अहवाका
सुरत में है। ये जमीन रजिस्ट्रार अधिकाारी सुरत के
कार्यालय में ता० 5-3-79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एम० सी० पारीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 17-10-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अक्टूबर, 1979

निर्देश सं० पी० आर० 799 अ्रेकज 23/19-7/

79-80—अतः मुझे, एस० सी० पारीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसको सं० न० 91 वार्ड न० 17-6-बी है तथा जो वार्ड न० 13, अहवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-3-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री अनुप निरजन हिरा भट्टार्मी श्री मनवंतराय रतनलाल पारीक मोश मन्दिर, सुरत। (अन्तरक)

2. श्रीमती प्रवीन बेन भणकभाई गांधी, हरोपुरा, गञ्जर फलीआ, सुरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० न० 91 और वार्ड न० 17-6-बी० के अतिरिक्त है और जो अहवा लारन सुरत में है और जो माप में 556.69 चोरस वार र। ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुरत में ता० 5-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 17-10-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अक्टूबर, 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 800 एक्सी० 23-19-7/79-80—अतः मुझे, एम० से० पारीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक

और जिसकी सं० सब प्लॉट नं० 4 वार्ड नं० 13 नोंध नं० 17-6-बी, है। तथा जो आठवा नान्दम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-3-979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अमल निरंजन हिरा, वाली वत्सला निरंजन हिरा घटानी मनन्तराय रतनलाल यागनिक, मोटा मन्दिर, सूरत। (अन्तरक)

2. श्रीमती निरुबेन रजनीकांत मेहुशा निशा अपार्टमेंट काजी मेदान, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका नं० स० नं० 91 सब प्लॉट नं० 4 वार्ड नं० 13 और नोंध नं० 17-6-बी है। और जो अठवा लाईन्स, सूरत में है। ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 5-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एम० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 17-10-79

मोहर:

प्रकरण आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद-380009, दिनांक 17 अक्टूबर 1979

निवेश सं० पी० आर० नं० 801/एक्यू० 23/19-7/
79-80-यतः, मुझे, एस० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सख्त प्राधिकार की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 91, सब प्लॉट नं० 2 नोंध नं० 17-6-बी है तथा जो वार्ड नं० 13 अठवा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रारकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्त दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परन्तु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में दर्शा नहीं किया गया है।--

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वजह, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा अंकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः धब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, यथावत् :--

1. श्री मानतराय रतनलाल यागनीक अटार्नी आफ निरंजन सत्वासुख हिरा माता मन्दिर, सूरत। (अन्तरक)

2. श्री कनुभाई हिरानाल शाह, सहोघरपुरा, थोमा शेरों सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में को, भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवत् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यथाहस्ताशरी के पाम विधि में किए जाने के लिए।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अर्थ में 50क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अलखुशी

जमीन जिसका सं० नं० 91, सब प्लॉट नं० 2, वार्ड नं० 13 नोंध नं० 17-6-बी, है। और जो अठवा सूरत में है। ये जमीन रजिस्ट्रारकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 5-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख
सख्त प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जेंट रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 17-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद-380009, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979

निदेश सं० पी० आर० नं० 808 एकुज० 23/7-4/
79-80—अतः मुझे, एस० सी० पारीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्यावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिनकी सं० एम० एच० नं० 694/1, 694, सं०
नं० 2779 टीका नं० 61 है तथा जो महादेवनगर, नवसारी
में स्थित है (और इससे जवाबदारी अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख 26-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए पत्ररहित की गई है और इसे पत्र विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक
रूप से अधिन नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धान की भावन उक्त
अधिनियम का अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी तथा उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या फिरो खा या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजन से अन्तरणों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या जिसे जाना जाता था, विषयों में सुविधा के
लिए;

अतः मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की धारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जयवंतराय मनोभाई देमाई 20, फालगुनी,
सरोजनी रोड, मांताकुज बम्बई-541 (अन्तरक)

2. श्रीमती कान्तीबाई सखाराम, देवीबेनहुन्दराज, नवसारी 1
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां कराई हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

व्यञ्जीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अन्तर्गत 20-क में परिभाषित
हैं वही अर्थ होगा, जो तब अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जिनका नं० एम० एच० नं० 694/1, 694
महादेवनगर सोसायटी सं० नं० 2779 टीका नं० 61
नवसारी में है। और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी
द्वारा ता० 26-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II- अहमदाबाद।

तारीख: 30-10-1979

मोहर:

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद-380009, दिनांक 30 अक्टूबर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 810 एकुज० 23/6-1/79-80—अतः मुझे एस० सी० पारीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसको सं० नं० 1232 से 1243 और प्लॉट नं० 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 और 17 है तथा जो फतेहगंज बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुमरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती दौलत बेहराम कान्हेकर पं० पी० बाड़ीआ कम्पाउन्ड, फतेहगंज, बड़ौदा-2। (अन्तरक)

2. पी० पी० बाड़ोदा को० आप० हाउसिंग सोसायटी लि० 205, यशकमल बिल्डिंग, स्टेसन रोड, बड़ौदा-5। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्थावर मिल्कन जो खुली जमीन के रूप में है, जिसका सं० नं० 1232 से 1243 तक और प्लॉट नं० 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 और 17 है। ये पूरी तरह से 9 सेल डोड में है जिसके नं० 1820 से 1828 है और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के द्वारा ता० 31-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II; अहमदाबाद।

तारीख : 30-10-1979
मोहर :

प्रकृष आर्डी० प्री० ए० ए० ए०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, बम्बई

बम्बई, दिनांक 22 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए०आर०-II/2781-8/अप्रैल-79—अतः मुझे
पी० एल० रंगटा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी० वी० एम० नं० 427-427.29 पार्ट है
तथा जो मलाड (इस्ट) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनु-
सूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकाारी
के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन तारीख 26-4-79 विलेख सं० नं० एम० 440/78
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए घन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल है, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और घन्तरक
(घन्तरकों) और घन्तरिणी (घन्तरिणी) कीच गेम
अन्तर्गत के लिए उद्य पाया गया प्रतिफल लिखित
दृश्य में उक्त घन्तरण लिखित में वास्तविक कथित
नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम
के अधीन उक्त घन्तरक के दायित्व में कमी
करने का उद्य बन्दा में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भू-संपत्ति अधिनियम, 1922
(1922 का 11) के उक्त अधिनियम,
या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रकाशनार्थ अधिनियम द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया गया था, उक्त अधिनियम में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा:—

14—346GI/79

1. श्री काशीप्रसाद जे० अडुक्रिया, महावीर प्रसाद जे०
अडुक्रिया ।

(अन्तरक)

2. श्री गंगा बक्ष जोखीराम सराफ, चारीट ट्रस्ट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि,
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एम० 440/78/बम्बई, उप-
रजिस्ट्रार अधिकाारी द्वारा दिनांक 26-4-79 के रजिस्टर्ड किया
गया है ।

पी० एल० रंगटा

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-II, बम्बई ।

तारीख: 22-11-79

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एन०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेन रेंज-II, बंबई

बम्बई, दिनांक 22 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए०आर०-II/2778-5/अप्रैल 79—अतः मुझे
पो० एल० हंगटा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, त्रिमका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिनका सं० प्लॉट नं० 12बी, सर्वे नं० 36, 73, 74, 78
(ए) हिस्सा नं० 1 है तथा जो जुहू में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय बंबई में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908
1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-4-79 विलेख नं०
एस० 2081/78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पश्चिम प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से न्यून नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई कितने घाय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
व्यापक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आब या किसी घन या घण्य अस्तित्वों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मंसर्स जमना लाल सन्स लि० ।

(अन्तरक)

2. मिस मॅक्सि पिन्टो ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जेन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जेन के अर्थात् में कोई भी आशय :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रचोदस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस 2081/78/बम्बई उप-
रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 19-4-79 को रजिस्टर्ड
किया गया है ।

पो० एल० हंगटा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जेन रेंज-II, बम्बई ।

तारीख: 22-11-79

मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सरकार के अधीन तथा दिल्ली नगर निगम में चिकित्सा पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित परीक्षा (1980)

नोटिस

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 1979

सं० फा० 14/4/79-प० I (ख)—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रेलवे, आयुध तथा आयुध उपस्कर कारखाना स्वास्थ्य सेवा और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा दिल्ली नगर निगम के अधीन कनिष्ठ वेतनमान पदों पर भर्ती के लिए 27 अप्रैल, 1980 को एक सम्मिलित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर विविध पदों के लिए भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

- (i) रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी—लगभग 75 रिक्तियां*।
- (ii) आयुध तथा आयुध उपस्कर कारखाना स्वास्थ्य सेवा में कनिष्ठ वेतनमान पद—लगभग 38 रिक्तियां*।
- (iii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कनिष्ठ वेतनमान पद—लगभग 350 रिक्तियां। (अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 52 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 26 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं।)
- (iv) दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II—लगभग 100 रिक्तियां (अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 15 रिक्तियां तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 7 रिक्तियां सम्मिलित हैं)।

इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

*अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां, यदि कोई हों, सरकार द्वारा निश्चित की जाएंगी।

ध्यान दें :—उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्रों में उन पदों का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए जिन के लिए वे वरीयता क्रम में विचार किए जाने के इच्छुक हैं। उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट उन पदों के वरीयता-क्रम में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

3. परीक्षा-केन्द्र :—अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोच्चिन, फटक, दिल्ली, दिसपुर (गोहाटी), हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोआ), पटियाला, पटना, पोर्टब्लेयर, शिमला, श्रीनगर, शिलांग और त्रिवेन्द्रम।

4. पात्रता की शर्तें :—

- (क) राष्ट्रिकता उम्मीदवार या तो
 - (i) भारत का नागरिक हो, या
 - (ii) नेपाल की प्रजा हो, या
 - (iii) भूटान की प्रजा हो, या
 - (iv) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या
 - (v) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ii), (iii), (iv) और (v) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसकी भारत सरकार ने पात्रता-प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

जिम उम्मीदवार के लिए यह पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसको परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता-पत्र दे दिए जाने के बाद ही दिया जाएगा।

(ख) आयु-सीमा :—पहली जनवरी, 1980 को 30 वर्ष से कम।

किन्तु 1980 में ली जाने वाली परीक्षा के लिए आयु सीमा में 1-1-1980 को 50 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

नोट :—1980 के बाद आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए ऊपरी आयु-सीमा में 50 वर्ष तक की छूट किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित स्थितियों में और छूट दी जा सकती है :—

- (i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक,
- (ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और वह 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,
- (iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का हो और वह 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से प्रव्रजन कर आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

- (iv) यदि उम्मीदवार अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित हो कर भारत में आया हुआ या आने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,
- (v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो और साथ ही अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ या आने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,
- (vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,
- (vii) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ भारत मूलक व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,
- (viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूलक भारत व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,
- (ix) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिप्रिय क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए,
- (x) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिप्रिय क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों और जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं,
- (xi) सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों,
- (xii) सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हों,
- (xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय

पार-पत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वित्तनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वित्तनाम जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

- (ग) शैक्षिक योग्यता :—इस परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार ने फाइनल एम० बी० बी० एस० परीक्षा के लिखित तथा प्रायोगिक भाग 21 जनवरी, 1980 को या उससे पहले उत्तीर्ण कर लिए हों, और

नोट 1:—ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अभी अनिर्धार्य रोटेटिंग इन्टरनैशियल पूरी करनी है, वे भी शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र हैं। किन्तु चयन हो जाने के बाद उनकी नियुक्ति अनिर्धार्य रोटेटिंग इन्टरनैशियल पूरी कर लेने के बाद ही की जाएगी।

नोट 2:—जिन उम्मीदवारों की फाइनल एम० बी० बी० एस० परीक्षा के लिखित तथा प्रायोगिक भाग का परिणाम घोषित नहीं हुआ हो और जिन उम्मीदवारों को अभी इन परीक्षाओं में बैठना हो वे इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

5. आवेदन पत्र के साथ देय शुल्क :—रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रु० 7.00) जिन आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाएगा उनको एक दम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ध्यान दें :—एक बार अदा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

6. आवेदन कैसे किया जाए :—केवल केन्द्रीय सरकार के अधीन तथा दिल्ली नगर निगम की चिकित्सा पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित परीक्षा (1980) हेतु निर्धारित प्रपत्र में छपे हुए आवेदन पत्र ही दिए जाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साथ लगे हुए हैं। आवेदन पत्र भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाने चाहिए। आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे विवरण निम्न स्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं :—

- () दो रुपए का मनीऑर्डर या संघ लोक सेवा आयोग के सचिव, को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेज कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के यहां से डाक द्वारा।

- (ii) दो रुपए नकद देकर आयोग के कार्यालय के काउन्टर पर।

सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से ही सरकारी नौकरी में हों, या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों या इसी

प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हों या गैर-सरकारी सेवाओं में नियुक्त हों, आयोग को सीधे आवेदन पत्र भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में, आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत में या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह परिवर्तन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

7. आयोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख :—

- (i) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 21 जनवरी, 1980।
 - (ii) विदेश में या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से 4 फरवरी, 1980।
8. प्रलेख, जो आवेदन के साथ प्रस्तुत हों :—

(क) सभी उम्मीदवारों द्वारा :—

- (1) ₹ 28.00 (अनुसूचित जानियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए ₹ 7.00) का शुल्क जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाक घर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में हों या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा नई दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हों।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे उस देश में भारत के उच्च आयुक्त या राजदूत या प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो के कार्यालय में निर्धारित शुल्क इस प्रकार जमा करें जिससे वह "051 लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" के खाते में जमा हो जाए और उसकी रसीद लेकर आवेदन पत्र के साथ भेज दें।

- (ii) आयु का प्रमाण-पत्र :—आयोग सामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्व-विद्यालय के यहां मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष

परीक्षा में उत्तीर्ण है, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र की अभि-प्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

अनुदेशों के भाग में आए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित है।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से वह मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के डाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र में लिखी जन्म की तारीख मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म की तारीख से भिन्न है, और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो आवेदन-पत्र रद्द किया जा सकता है।

नोट 1 :—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

नोट 2 :—उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने के बाद किसी बाद की परीक्षा में उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाएगी।

(iii) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र :—उम्मीदवारों को किमो प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसने 21 जनवरी 1980 अर्थात् आयोग के कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को या उससे पहले एम० बी० बी० एस० परीक्षा पास कर ली है।

(iv) उपस्थिति पत्रक (आवेदन पत्र के साथ संलग्न) विधिवत् भरा हुआ।

(v) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की एक

जैसी दो प्रतियां जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत् अंकित हों।

फोटों की एक प्रति आवेदन-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थित पत्रक पर निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए।

(vi) लगभग 11.5 से० मी० × 27.5 से० मी० आकार के तीन बिना टिकट लगे हुए लिफाफे, जिन पर उम्मीदवार का पता लिखा हो।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में, जहां उम्मीदवार या उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आम तौर पर रहते हों, उस जिले के किसी सक्षम (प्रमाण-पत्र के नीचे उल्लिखित) प्राधिकारी से परिशिष्ट I में दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण-पत्र का अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा :—

(i) पैरा 4 (ख) (ii) या 4 (ख) (iii) के अधीन शुल्क में छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) में विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) में आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है :—

- (1) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केंद्रों अथवा विभिन्न राज्यों में विस्थापित राहत शिविरों के कैम्प कमांडेंट।
- (2) उस क्षेत्र का, जिला मजिस्ट्रेट, जहां वह इस समय निवास कर रहा है।
- (3) अपने-अपने जिलों में शरणार्थी पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।
- (4) स्वयं प्रभारित सब डिविजन का सब डिविजनल अफसर।
- (5) उप-शरणार्थी-पुनर्वास-आयुक्त, पश्चिम बंगाल/निदेशक (पुनर्वास) कलकत्ता।

(ii) पैरा 4 (ख) (iv) अथवा 4 (ख) (v) के अधीन आयु में छूट का दावा करने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिए गए इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्टूबर, 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया है या आने वाला है।

(iii) पैरा 4 (ख) (vi) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया से आएं

हुए उम्मीदवार को या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित भारत मूलक उम्मीदवार को उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय निवास कर रहा है लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वास्तव में उपयुक्त देशों से आया है।

(iv) पैरा 4 (ख) (vii) अथवा 4 (ख) (viii) के अन्तर्गत आयु में छूट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय राजदूतावास, रंगून द्वारा लिए गए पहचान प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे, जिस क्षेत्र का वह निवासी है, उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह बर्मा में आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया है।

(v) पैरा 4 (ख) (ix) अथवा 4 (ख) (x) के अन्तर्गत आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक पुनःस्थापन, रक्षा मन्त्रालय से निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले

प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट
के रैंक नं०
श्री रक्षा सेवाओं में कार्य करते
हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष के दौरान/अशांतिग्रस्त क्षेत्र में
फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के
परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक :

*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें।

(vi) नियम 4 (ख) (xi) अथवा 4 (ख) (xii) के अन्तर्गत आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को, जो सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा दल, गृह मन्त्रालय से नीचे निर्धारित फार्म पर लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए 1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म:—

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट
 रैंक नं० श्री
 सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए, सन् 1971 के भारत-
 पाक शत्रुता संघर्ष के दौरान विकलांग हुए, और उस विकलांगता के
 परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।
 हस्ताक्षर
 पदनाम
 तारीख

(vii) नियम 4 (ख) (viii) के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले वियतनाम से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को, फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी है, उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वियतनाम से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और वियतनाम से जुलाई 1975 से पहले भारत नहीं आया है।

ध्यान दें :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ उपर्युक्त पैरा 8 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र आदि में से कोई एक मंगलन न होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया होगा तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी।

9. आवेदन प्राप्ति की सूचना:—इस परीक्षा के लिए निर्धारित फार्म में मिले सभी आवेदनों के पहुंचने की सूचना भेजी जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन पहुंचने की सूचना इस परीक्षा के आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख से एक महीने के अन्दर न मिले तो उसको प्राप्ति सूचना पाने के लिए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए।

10. आवेदन का परिणाम:—अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन की परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। अगर इस बात का पालन नहीं हुआ, तो उम्मीदवार अपने मामले में विचार किए जाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा।

11. परीक्षा में प्रवेश:—किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग से प्राप्त प्रवेश-प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

12. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी भी हालत में वे

किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर-बदल न करें और न फेर-बदल किए गए/गढ़े हुए प्रलेख को वे प्रस्तुत करें। अगर इस प्रकार के दो या अधिक प्रलेखों में या उनकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो उनको इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्मांकित कदाचार का दोषी है या दोषी घोषित हो चुका है:—

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किये गए प्रलेख प्रस्तुत करना या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना या
- (vi) उक्त परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अनियमित या अनुचित साधन अपनाना या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना या
- (viii) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या
- (xi) ऊपर के खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने के लिए किसी को उकसाया हो तो उस पर अपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और साथ ही:—

(क) यह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा वह

(ख) (i) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए (ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए;

स्थायी रूप से या कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है; और

(ग) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र होगा।

13. मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण:—उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ उपर्युक्त पैरा 8 में उल्लिखित

प्रमाणपत्रों की केवल प्रतिलिपियां ही प्रस्तुत करनी हैं जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हों अथवा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हों। लिखित परीक्षा का परिणाम 1980 के जुलाई महीने में घोषित किया जा सकता है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को इन प्रमाणपत्रों को व्यक्तित्व परीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखना चाहिए। जो उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनका और आगे विचार किये जाने का दावा स्वीकार नहीं होगा।

14. परीक्षा की योजना:—इस परीक्षा में निम्नलिखित का समावेश होगा:—

(क) लिखित परीक्षा:—उम्मीदवारों को निम्नलिखित चार विषयों से सम्बद्ध वस्तुपूरक प्रश्नों वाले एक प्रश्न-पत्र जिसके अधिकतम 200 अंक होंगे, में परीक्षा देनी होगी और प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। प्रश्न-पत्र में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे निम्नलिखित चार विषयों का अधिक सम्बन्ध हो:—

- | | |
|--|-----|
| (i) शिशु रोग विज्ञान सहित सामान्य आयु विज्ञान | 40% |
| (ii) क० ना० क० नेत्र विज्ञान ग्रणविज्ञान और विकलांग विज्ञान, सहित सर्जरी | 20% |
| (iii) शिशु कल्याण और परिवार नियोजन सहित निरोधक आयुविज्ञान और सामुदायिक स्वास्थ्य | 20% |
| (iv) प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान | 20% |

(ख) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे उनका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा 200 अंक

नोट:—परीक्षा का स्वरूप प्रश्नों के नमूने और उत्तर प्रश्नक के नमूने से सम्बन्ध ब्यारे उम्मीदवार सूचना पुस्तिका में परिशिष्ट III पर दिये गये हैं।

15. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवक्षा से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के पर्याप्त उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जा सकते हैं तो आयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों

के उम्मीदवारों को इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होने वाला साक्षात्कार लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में उनकी सामान्य जानकारी और क्षमता की परीक्षा करना होता है। और साथ-साथ जैसा कि किसी व्यक्तित्व-परीक्षण में होता है उम्मीदवारों की बौद्धिक जिज्ञासा समीक्षात्मक सूक्ष्म-बुद्धि की शक्ति संतुलित विवेचनशीलता मानसिक जागरूकता सामाजिक सामंजस्य की क्षमता चारित्रिक सत्यनिष्ठा स्वतः प्रेरणा और नेतृत्व की योग्यता का भी मूल्यांकन किया जाता है।

16. साक्षात्कार के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण के अंकों में क्रमशः 50% का महत्व देते हुए कुल मिला कर प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यता के क्रम से आयोग द्वारा उनकी एक सूची तैयार की जाएगी और जितने उम्मीदवारों को आयोग इस परीक्षा में योग्य पाता है उनमें से उतने ही की उसी क्रम से नियुक्ति के लिये अनुसंधित किया जाता है जितनी अनारक्षित रिक्तियों को इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरने का निश्चय किया जाता है।

परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों में से सामान्य स्तर के आधार पर जितनी रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं उतनी के लिये स्तर में छूट देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा अनुसंधित किया जा सकता है, बशर्ते कि परीक्षा में उनकी योग्यता के क्रम से निरपेक्ष रूप से वे इस सेवा में नियुक्ति के योग्य हों।

17. परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से उनका परीक्षा परिणाम किस प्रकार और किस रूप में सूचित किया जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं अपने विवेक से करेगा और परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में आयोग उसके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

18. इस नोटिस के उपबन्धों के अधीन सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता के क्रम से तैयार की गई सूची और उनके द्वारा अपने आवेदन-पत्रों में विभिन्न पदों के लिये बताई गई बरीयता के आधार पर विचार किया जायेगा।

19. परीक्षा में सफल होने मात्र से नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आवश्यक पृष्ठताछ के बाद सरकार इस बात से संतुष्ट न हो कि उम्मीदवार अपने चरित्र और पूर्ववत् के आधार पर उक्त सेवा में नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है। उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये यह भी एक शर्त होगी कि उसके अनिवार्य गेटेटिंग इन्टरनैशियल सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हो।

20. उम्मीदवार को मन और शरीर से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसी कोई भी शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जो उक्त सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य करने का बाधक सिद्ध हो सके। सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा में जो उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है उसकी नियुक्ति नहीं होगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिये योग्य घोषित किये गये सभी उम्मीदवारों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के पास शारीरिक परीक्षा के लिये भेजा जायेगा।

21. कोई भी व्यक्ति:—

(क) जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस सम्बन्ध में करार कर लेता है जिसका कोई पति या पत्नी जीवित है या

(ख) पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस सम्बन्ध में कोई करार कर लेता है;

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात में संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह उस व्यक्ति और विवाह से सम्बन्ध दूसरे व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के और भी आधार मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

22. आवेदन पत्र में सम्बन्ध पत्र व्यवहार:—आवेदन पत्र में सम्बन्ध सभी पत्र व्यवहार मन्त्रि मंडल लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस नई दिल्ली 110011 से किया जाये तथा उसमें नीचे लिखा व्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाये:—

(i) परीक्षा का नाम

(ii) परीक्षा का महीना और वर्ष

(iii) उम्मीदवार का रोल नम्बर अथवा यदि रोल नम्बर सूचित नहीं दिया गया हो तो जन्म की तारीख

(iv) उम्मीदवार का नाम (पुरा तथा बड़े अक्षरों में)

(v) आवेदन पत्र में दिया गया डाक का पता

ध्यान दें:—जिन पत्रों में उपरोक्त व्यौरा नहीं होगा संभव है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

23. पते में परिवर्तन:—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना उपर्युक्त पैरा 22 में उल्लिखित व्यौरे के साथ यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान

देने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

24. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं पर भर्ती की जा रही है उनके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिये गये हैं।

आर० ए० अहलूवालिया
उप सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म:—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*—

—नुपुत्र/मुपुत्री* श्री—

—जो गांव/कस्बा*

—जिला/मंडल*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*—के/की* निवासी है,

—जाति/जनजाति* के/की* है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950* ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950* ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951* ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951* ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (अशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र [पुनर्गठन अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित] ।

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956* ।

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 । अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित* ।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962* ।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) (अनुसूचित जातियां)

आदेश, 1962* ।

मंत्रालय (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964* ।

मंत्रालय (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश)

आदेश, 1967* ।

संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जातियां

आदेश, 1968* ।

संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जन-जातियां आदेश, 1968* ।

मंत्रालय (नगालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970* ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी*-----

और/या* उनका परिवार आम तौर से गांव/कस्बा*-----

जिला/मंडल*-----राज्य/
संघ राज्य क्षेत्र*-----में
रहते/रहती* हैं ।

हस्ताक्षर-----

**पदनाम-----

(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान-----

तारीख-----

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

नोट:--यहां "आम तौर से रहते/रहती हैं" शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल्स एक्ट, 1950 की धारा 20 में है ।

*लागू शब्द न हों, उन्हें कृपया काट दें ।

**जानि/जन जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी ।

(i) जिला मैजिस्ट्रेट/अनिश्चित जिला मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ डिप्टी कमिश्नर/रेडियनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट/ सिटी मैजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मैजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ।

प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं ।

(ii) चीफ प्रसीडेंसी मैजिस्ट्रेट/रेडियनल चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट ।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो ।

(iv) उस इलके का सब डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर से रहता हो ।

(v) रेडमिनिस्ट्रेटर/रेडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डवलपमेंट अफसर (लक्षदीप) ।

परिशिष्ट II

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं की भर्ती की जा रही है, उनके संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गये हैं ।

I. रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी

(क) पद अस्थाई है और ग्रुप 'क' में है । पद का वेतनमान रु० 700-40-900-६० रु०-40-1100-50-1250-६० रु०-50-1600 (परिशोधित वेतनमान) हैं । इसके अलावा समय-समय पर प्रवर्तित आदेशों के अनुसार प्रतिबन्धित प्रैक्टिस निषेध भत्ते भी होंगे फिलहाल ये दरें चालू हैं:--

1-5 स्टेज	रु० 150-प्र० मा०
6-10 स्टेज	रु० 200-प्र० मा०
11-15 स्टेज	रु० 250-प्र० मा०
16वीं स्टेज से आगे	रु० 300-प्र० मा०

निजी प्रैक्टिस को प्रतिबन्धित का निषिद्ध करते हुए समय-समय पर रेलवे मंत्रालय या अन्य उच्चतम प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करने के लिये उम्मीदवार बाध्य होगा । जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में हों, उनको उपर्युक्त वेतनमान में नियमानुसार प्रारंभिक वेतन दिया जायेगा । दूसरे लोगों को उपर्युक्त वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा ।

(ख) उम्मीदवार को दो साल की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा अगर आवश्यक समझा जाये तो सरकार इस अवधि को आगे बढ़ा सकती है । परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से समाप्त करने पर वह अस्थाई हैसियत से उनको आगे चलाया जाएगा ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि में और उसके बाद अस्थाई नियुक्ति के दौरान दोनों तरफ से एक महीने के नोटिस के द्वारा नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है । नोटिस के बढ़ने एक महीने का वेतन देने का अधिकार सरकार अपने पास रखेगी ।

(घ) उम्मीदवार को रेलवे मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और सभी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा ।

(ङ) उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों से नियन्त्रित होता और राज्य रेलवे भविष्य निधि (गैर अंशदायी) के समय-समय पर लागू नियमों के अधीन उस निधि का सदस्य बनेगा ।

(च) उम्मीदवार समय-समय पर प्रवर्तित और अपने स्तर के अधिकारियों पर लागू अवकाश नियमों के अनुसार अवकाश का अधिकारी होगा ।

(छ) उम्मीदवार समय-समय पर प्रवर्तित नियमों के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास और विशेष टिकट आदेशों का अधिकारी होगा ।

(ज) उम्मीदवार को उसकी नियुक्ति के बाद दो साल के अन्दर हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा ।

(म) नियमानुसार उपर्युक्त पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को, अपेक्षित होने पर, किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिये काम करना पड़ सकता है जिसमें किसी प्रशिक्षण पर व्यतीत अवधि शामिल है।

परन्तु उस व्यक्ति को

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ख) सामान्यतः 45 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ग) मंगणीय सेवा:—जो व्यक्ति इन नियमों के अधीन उन पदों पर नियुक्त होते हैं जिन पर भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2423-क [के० से० नि० 404-(ख)] में निर्धारित शर्तें लागू होती हैं, वे उस नियम में निहित उपबन्धों के लाभ के पात्र होंगे।

(घ) जो बातें ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में कही गई हैं उनमें और अन्य मामलों में उम्मीदवार भारतीय रेलवे स्थापना संहिता और समय-समय पर पारिशोधक/प्रवर्तित नियमों के अधीन कार्य करेगा।

(ट) प्रारम्भ में उम्मीदवार को पार्वस्थ स्टेशनों के रेलवे स्वास्थ्य केंद्रों/प्रौद्योगिकियों में नियुक्त किया जाएगा। सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी रेलवे में स्थानांतरित भी किया जा सकता है।

(ठ) उच्चतर ग्रेडों के वेतनमान और भत्ते सहित पदोन्नति की संभावनाएँ:—

सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी जो नियमित रूप से ग्रेड में नियुक्त होने के बाद पांच वर्ष की सेवा काल समाप्त करते हैं। प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे जिसका वेतनमान रु० 1100-1800 (परिशोधित) होगा और समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार प्रतिबन्धित प्रैक्टिस निषेध भत्ता भी मिलेगा।

(ड) कर्तव्य और दायित्व:—

सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी

(i) वह प्रतिबन्धित और आवश्यक होने पर भीतरी बाड़ों और बाहरी चिकित्सा विभाग का काम देखेगा।

(ii) वह लागू विनियमों के अनुसार उम्मीदवारों और सेवकों कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा करेगा।

(iii) वह अपने अधिकार क्षेत्र में परिवार गियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का काम देखेगा।

(iv) वह विक्रेताओं की जांच करेगा।

(v) वह अस्पताल के कर्मचारियों में अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(vi) वह अपनी विशेषज्ञता से सम्बन्ध कार्य, यदि कोई हो, करेगा और अपनी विशेषज्ञता से संबंधित विवरणियाँ और मांग पत्र तैयार करेगा।

(vii) वह सभी उपस्करों का रखरखाव और देखभाल अपने प्रभार में रखेगा।

नोट (1):—जब सहा० प्र० चि० अ० किसी प्रभाग के मुख्यालय में प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी के प्रभार के अधीन नियुक्त किया जाता है तो वह प्रभागीय चिकित्सा के सभी कर्तव्यों में उसे सहायता देगा किन्तु विशेष रूप से उसको कुछ कार्य और दायित्व भी सौंपे जा सकते हैं।

नोट (2):—सहा० प्र० चि० अ० को समय-समय-पर सौंपे गये अन्य कर्तव्य भी निभाने होंगे।

II. रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आयुध तथा आयुध उपस्कर कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद:—

(क) पद ग्रुप 'क' में अस्थाई है किन्तु यथावधि स्थाई किया जा सकता है। वेतनमान रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 है तथा माघ में समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार प्रतिबन्धित प्रैक्टिस निषेध भत्ता (प्र० नि० प०)। इस समय दर निम्नलिखित है:—

1-5 स्टेज	रु० 150/- प्रतिमास
6-10 स्टेज	रु० 200/- प्रतिमास
11 स्टेज से आगे	रु० 250/- प्रतिमास

(ख) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक परीक्षा पर रखा जाएगा। यह अवधि मशम प्राधिकारी की विवेका पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा अर्थात् संतोषजनक ढंग से समाप्त करने पर उन्हें स्थाई रिक्ति पर स्थाई किये जाने तक अस्थायी हैसियत से चलाया जाएगा।

(ग) उम्मीदवार को भारत में कहीं भी किसी आयुध कारखाना अस्पताल या औषधालय में नियुक्त किया जा सकता है।

(घ) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करना मना है।

(ङ) परीक्षा की अवधि में और उसके बाद अस्थाई नियुक्ति के दौरान दोनों तरफ से एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है। सरकार को नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देने का अधिकार होगा।

(च) उच्चतर ग्रेडों के वेतनमान और भत्तों सहित पदोन्नति के अवसर:—

(i) वरिष्ठ वेतनमान—वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा

कनिष्ठ वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष की सेवा रखने वाले अधिकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के लिए पात्र होंगे। वेतनमान रु० 1100-50-1600 है तथा साथ में निम्न-लिखित दरों पर प्रैक्टिस निषेध भत्ता:—

1--3 स्टेज	रु० 250/- प्रतिमास
4--5 स्टेज	रु० 300/- प्रतिमास
6--7 स्टेज	रु० 350/- प्रतिमास
8--9 स्टेज	रु० 400/- प्रतिमास
10--11 स्टेज	रु० 450/- प्रतिमास

(ii) सुपर टाइम ग्रेड II—प्रधान चिकित्सा अधिकारी/उप-निदेशक; स्वास्थ्य सेवा।

वरिष्ठ वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा और स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले अधिकारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी/उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-II में पदोन्नति के लिये विचार किये जा सकते हैं। वेतनमान रु० 1500-60-1800-100-2000 है तथा रु० 600/- प्र० मा० की दर से प्र० नि० मा०।

(iii) सुपरटाइम ग्रेड-I—निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं।

प्रधान चिकित्सा अधिकारी और उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर रु० 2250-125/2-2500 प्रतिमास तथा साथ में रु० 600/- प्र० मा० की दर से प्रैक्टिस निषेध भत्ते के वेतनमान वाले निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-I में नियुक्ति के पात्र होंगे।

(ख) कार्यस्वरूप—(I) महायक चिकित्सा अधिकारी:

- (i) वे प्रतिदिन और आवश्यक होने पर अस्पताल के बाड़ों के विभागों के अंतरंग रोगियों और औषधालयों/बहिरंग विभागों के रोगियों को देखेंगे।
- (ii) वे लासू नियमों के अनुसार कर्मचारियों और नौकरी के लिये आने वाले उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा करेंगे।
- (iii) वे सभी उपस्करों का रखरखाव और देखभाल अपने प्रभार में रखेंगे।
- (iv) वे अपने अधिकार क्षेत्र में परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य और कर्मचारियों के औद्योगिक स्वास्थ्य का कार्य देखेंगे।
- (v) वे अस्पताल और औषधालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिये उत्तरदायी होंगे।
- (vi) वे निम्नानुसार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी करेंगे।

(2) सी० डी० सी० ग्रेड-I—स्वास्थ्य सेवा महायक
प्रधान चिकित्सा अधिकारी।

- (क) मुख्यालय में पदस्थ स्वा० से० सं० नि०/स्वा० से० उ० नि० के निर्देष्ट पर चिकित्सा संबंधी सभी विषयों में कर्तव्य निभाने में उनकी सहायता करेगा।
- (ख) प्रभार अधिकारी के रूप में चिकित्सा अनुभाग को दैनंदिन कार्य करने में वह स्वा० से० नि०/स्वा० से० उ० नि० की सहायता करेगा।
- (ग) समय समय पर स्वा० से० नि०/स्वा० से० उ० नि० द्वारा सौंपे गये दूसरे कार्य भी उनको करने होंगे।
- (घ) चिकित्सा भण्डार और उपस्कर से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने में वह स्वा० से० नि० की सहायता करेगा।
- (ङ) व० चि० अ०—प्र० चि० अ० 75 पलंग वाले किसी कारखाना अस्पताल और वहाँ की चिकित्सा स्थापना के प्रभारी होंगे।
- (च) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में वे चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में कारखाना महाप्रबंधक के सलाहकार रहेंगे और आवश्यक अनुशासा करते रहेंगे।
- (छ) नियमानुसार वे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिये चिकित्सा का प्रबंध करेंगे।
- (ज) वे किसी संविधि या सरकारी आदेश के विहित या स्वा० से० नि० द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करेंगे।

(3) सुपरटाइम ग्रेड-II—स्वास्थ्य सेवा उप-निदेशक
और प्रधान चिकित्सा अधिकारी।

- (क) मुख्यालय में पदस्थ स्वा० से० उ० नि०/स्वा० से० नि० के द्वारा निर्दिष्ट उनके सभी कार्यों में उनकी सहायता करेगा।
- (ख) स्वा० से० नि० की गैर हाजिरी, छुट्टी या दौर को अवधि में वह कारखाना महानिदेशक के आदेशानुसार स्वा० से० नि० के रूप में कार्य करेगा।
- (ग) प्र० चि० अ०—प्र० चि० अ० 75 पलंग वाले किसी कारखाना अस्पताल और वहाँ की चिकित्सा स्थापना का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रहेगा।
- (घ) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में वे चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में कारखाना महाप्रबंधक के सलाहकार रहेंगे और आवश्यक अनुशासा देते रहेंगे।

- (ङ) नियमानुसार वे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिये वे चिकित्सा का प्रबंध करेंगे।
 (च) किसी संविधि या सरकारी आदेश में निहित या स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी वे करेंगे।

(4) सुपरटाइम ग्रेड-I—स्वास्थ्य सेवा निदेशक।

- (क) चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों में कारखाना महानिदेशक का चिकित्सा सलाहकार—व्यावसायिक और प्राविधिक—समस्त मामलों में कारखाना महानिदेशक संगठन की चिकित्सा स्थापना का नियंत्रक प्राधिकारी कारखाना महानिदेशक द्वारा प्रदत्त सभी प्रशासनिक अधिकारों का यह उपयोग करेगा।
 (ख) सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदनों/प्रतुञ्जताओं का कार्यान्वयन करने के लिये वह योजनायें तैयार करेंगे।
 (ग) नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में वह आवश्यकतानुसार कारखानों में कर्मचारियों का वितरण करेंगे।
 (घ) संघ लोक सेवा आयोग में वह सामान्यतः कारखाना महानिदेशक का प्रतिनिधित्व करेंगे।
 (ङ) सामान्यतः वर्ष में एक बार वह सभी कारखानों का निरीक्षण करेंगे या करा लेंगे और चिकित्सा स्थापना से संबंधित सभी मामलों में चिकित्सा प्रतिष्ठानों की कार्यविधि के संबंध में कारखाना महानिदेशक का प्रतिवेदन भेजेंगे।
 (च) वह स्वा० सं० उ० नि० की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखेंगे और समस्त प्र० चि० अ०, व० चि० अ० और स० चि० अ० की रिपोर्टों को समीक्षा करेंगे।

III. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन कनिष्ठ वेतनमान के पदों के संक्षिप्त विवरण:

(क) उम्मीदवारों को कनिष्ठ ग्युप 'क' वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा और नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वे परिवीक्षा के अधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षा की अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद उनको यथासमय कनिष्ठ वेतनमान (रु० 700-1300) में स्थाई बनाया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित किसी भी संगठन के अधीन किसी भी औपचाल्य या अस्थायी में भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है अर्थात् दिल्ली, बंगलौर, बंबई, मेरठ आदि में चालू के स० स्वा० से०, कोयला खान/माइका खान श्रम कल्याण संगठन, असम राइफल, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, डाक-तार विभाग आदि। प्रयोगाला और परामर्श सेवा सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस निषिद्ध है।

(ग) निम्नलिखित वेतनमान प्राप्य हैं:—

कनिष्ठ ग्युप 'क' वेतनमान

परिशोधित वेतनमान : रु० 700-40-900-३० रो०-40-1100-50-1300।

1-5 स्टेज	प्र० नि० भ०
	रु० 150 प्र० मा०
6-10 स्टेज	रु० 200 प्र० मा०
11वीं स्टेज से आगे	रु० 250 प्र० मा०

जो अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करते हों, वे वरिष्ठ वेतन में पदोन्नति के पात्र होंगे।

वरिष्ठ वेतनमान ग्युप 'क'

परिशोधित वेतनमान :	रु० 1100-50-1600
	प्र० नि० भ०
1 से 3 स्टेज तक	रु० 250 प्र० मा०
4 से 5 स्टेज तक	रु० 300 प्र० मा०
6 से 7 स्टेज तक	रु० 350 प्र० मा०
8 से 9 स्टेज तक	रु० 400 प्र० मा०
10 से 11 स्टेज तक	रु० 450 प्र० मा०

वरिष्ठ वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी रु० 1500-2000 के वेतनमान में सुपरटाइम ग्रेड-II में नियुक्ति के पात्र हो जाएंगे बशर्ते कि उन्होंने सरकारी के पास स्नातकोत्तर योग्यताओं के साथ आवश्यक योग्यताएं हों।

विशेषज्ञों का ग्रेड-II

परिशोधित वेतनमान :	रु० 1100-50-1500	-३० रो०
	60-1800	प्र० नि० भा०
1 से 3 स्टेज तक	रु० 300 प्र० मा०	
4 से 6 स्टेज तक	रु० 350 प्र० मा०	
7 से 9 स्टेज तक	रु० 400 प्र० मा०	
10 से 12 स्टेज तक	रु० 450 प्र० मा०	
13 से 14 स्टेज तक	रु० 500 प्र० मा०	

विशेषज्ञों के ग्रेड-II में आठ वर्ष की सेवा पूरी करने वाले और आवश्यक योग्यताओं से युक्त अधिकारी पदोन्नति पर भरी जाने वाली 50 प्रतिशत रिक्तियों में विशेषज्ञ के ग्रेड-I में पदोन्नति के लिये विचार क्षेत्र में आते हैं।

विशेषज्ञों का ग्रेड-I

परिशोधित वेतनमान :	रु० 1800-100-2000/125/2-2250
	प्र० नि० भ० रु० 600 प्र० मा०

सुपर टाइम ग्रेड-II

परिशोधित वेतनमान :	रु० 1500-60-1800-100-2000।
	प्र० नि० भा०—रु० 600 प्र० मा०

विशेषज्ञों के ग्रेड-I या सुपरटाइम ग्रेड-II के पदधारी अधिकारी नियमित रूप से इनमें से जो किसी भी ग्रेड में छह वर्ष की सेवा पूरी करने पर सुपरटाइम ग्रेड-I स्तर-II पर पदोन्नति के विचार क्षेत्र में आते हैं।

सुपर टाइम ग्रेड I स्तर I

परिशोधित वेतनमान: रु० 2250-125/2-2500।

प्रे० नि० भ०—रु० 600 प्र० मा०

सुपरटरम ग्रेड I स्तर I

परिशोधित वेतनमान: रु० 2500-125-2750

प्रा० नि० भ०—रु० 600 प्र० मा०

सुपरटाइम ग्रेड-I स्तर I की रिक्तियों को उन्हीं अधिकारियों से भरा जाएगा जो सुपरटाइम ग्रेड-I स्तर II में दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। अगर यह संभव नहीं हुआ तो सुपरटाइम ग्रेड-I स्तर II और विशेषज्ञों के ग्रेड-I सुपरटाइम ग्रेड-II में कुल मिलाकर 8 वर्ष की सेवा से युक्त या वह भी संभव नहीं हुआ तो विशेषज्ञों के ग्रेड-I और सुपरटाइम ग्रेड-II में से किसी भा ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा से युक्त अधिकारियों से भरा जाएगा।

IV. सामान्य छुट्टी चिकित्सा अधिकारों, ग्रेड II-, दिल्ली नगर निगम:

- (क) वर्ग 'क' का पद अस्थाई है किन्तु यथावधि स्थाई हो सकता है। वेतनमान रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 तथा साथ में समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार प्रतिबंधित प्रैक्टिस निषेध-भत्ता (प्रे० नि० भ०) है। वर्तमान दरें इस प्रकार हैं:
- 1—5 स्टेज— रु० 150/- प्र० मा०
6—10 स्टेज— रु० 200/- प्रा० मा०
11 स्टेजों से आगे— रु० 250/- प्रा० मा०

- (ख) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा। यह अवधि सक्षम प्राधिकारों के विवेकानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लेने के बाद वह स्थाई रिक्ति पर स्थाई किए जाने के अवधि तक अस्थाई पद पर कार्य करता रहेगा।
- (ग) उम्मीदवार को दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में किसी भी अस्पताल/श्रीपधालय/प्र० एवं शि० क० तथा परिवार कल्याण केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किया जा सकता है।

(घ) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करना मना है। परिवीक्षा की अवधि तथा उसके बाद अस्थाई हैसियत से नियोजन की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी भी ओर से नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। दिल्ली नगर निगम को नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन देने का अधिकार है।

परिशिष्ट-III**संघ लोक सेवा आयोग****उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका****क. वस्तु पूरक परीक्षण**

आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं, उसको "वस्तु पूरक परीक्षण" कहा जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में आपको उत्तर फेलाकर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिये कई संभाव्य उत्तर दिये जाते

हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) आपको चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि हो।


ख. परीक्षण का स्वरूप

प्रश्न पत्र "परीक्षण पुस्तिका" के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3.....के क्रम से प्रश्नांश होंगे। हर प्रश्नांश के नीचे a, b, c..... क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे। आपका काम प्रत्येक प्रश्न के लिये एक सही था यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं तो उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। (अंत में दिए गए नमूने के प्रश्नांश देख लें)। किसी भी स्थिति में, प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।

ग. उत्तर देने की विधि

उत्तर देने के लिये आपको अलग से एक उत्तर पत्रक परीक्षा भवन में दिया जाएगा। आपको अपने उत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे। परीक्षण-पुस्तिका में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गये उत्तर जांचे नहीं जाएंगे।

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्याएं 1 से 200 तक चार खण्डों में छापी गई हैं। प्रत्येक प्रश्नांश के सामने a, b, c, d, e के क्रम से प्रत्युत्तर छपे होंगे। परीक्षण-पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको उस प्रत्युत्तर के अक्षर को दर्शाने वाले आयत को पेंसिल से काला बनाकर उसे अंकित कर देना है, जैसा कि संलग्न उत्तर पत्रक के नमूने पर दिखाया गया है। उत्तर पत्रक के आयत को काला बनाने के लिये स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।



इसलिये यह जरूरी है कि 1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिये केवल अच्छी किस्म की एच० बी० पेंसिल (पेंसिलों) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें।

2. अगर आपने गलत निशान लगाया है, तो उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें। इसके लिये आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं।

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी न हो जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ या सलबट आदि पड़ जाये और वह टेढ़ा हो जाए।

घ. कुछ महत्वपूर्ण नियम

1. आपको परीक्षा आरंभ करने के किये निर्धारित समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण-पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दें, आपको परीक्षण-पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दण्ड दिया जाएगा।

5. उत्तर पत्रक पर नियत स्थान पर परीक्षा/परीक्षण का नाम, अपना रोल नम्बर, केन्द्र, विषय, परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या स्याही से साफ-साफ लिखें। उत्तर पत्रक पर आप कहीं भी अपना नाम न लिखें।

6. परीक्षण पुस्तिका में दिये गये सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। संभव है कि इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नम्बर कम हो जायें। अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के लिये आपको कोई त्वर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्भ या समाप्त करने का कह दें तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र साथ लाएं आपको अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शार्पेनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी। आपको परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या कागज का टुकड़ा, पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी। कच्चे काम के लिये आपको एक अलग कागज दिया जाएगा। आप कच्चा काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नम्बर और तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को पास कर दें।

ड. विशेष अनुदेश

जब आप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब निरीक्षक से आपको उत्तर पत्रक मिलेगा। उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर दें। यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण-पुस्तिका देंगे। प्रत्येक परीक्षण-पुस्तिका पर हाथिये में सील लगी

होगी जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने के पहले उसे कोई खोल नहीं पाये। जैसे ही आपको परीक्षण-पुस्तिका मिल जाये तुरन्त आप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है और सील लगी हुई है। अन्यथा, उसे बदलवा लें। जब यह हो जाए व आपको उत्तर पत्रक के संबद्ध खाने में अपनी परीक्षण-पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी। जब तक पर्यवेक्षक परीक्षण-पुस्तिका की सील तोड़ने को न कहें तब तक आप उसे न तोड़ें।

च. कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना है, फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का, दक्षता से उपयोग करें। संतुलन के साथ आप जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ें, पर लापरवाही न हो। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों तो चिंता न करें। आपको जो प्रश्न अत्यंत कठिन मालूम पड़ें, उन पर समय व्यर्थ न करें। दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें।

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर दे। आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर आपको अंक दिये जायेंगे। गलत उत्तरों के लिये अंक नहीं काटे जायेंगे।

प्रश्न इस तरह बनाये जाते हैं कि उनसे आपकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा, जानकारी, सूझ-बूझ और विश्लेषण क्षमता की परीक्षा हो। आपके लिये यह लाभदायक होगा कि आप संगत विषयों को एक बार सरसरी निगाह से देख लें और इस बात से आश्वस्त हो जायें कि आप अपने विषय को अच्छी तरह समझते हैं।

छ. परीक्षण का समापन

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बंद करने को कहें आप लिखना बन्द कर दें।

जब आपका उत्तर लिखना समाप्त हो जाए तब आप अपने स्थान पर तब तक बैठें रहें जब तक निरीक्षक आपके यहां आकर आपकी परीक्षण-पुस्तिका और उत्तर पत्रक न ले जाएं और आपको "हाल" छोड़ने की अनुमति न दें। आपको परीक्षण-पुस्तिका और उत्तर पत्रक परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।

नमूने के प्रश्न

- मौर्य वंश के पतन के लिये निम्नलिखित कारणों में से कौन-सा उत्तरदायी नहीं है?
 - अशोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे।
 - अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुआ।
 - उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई।
 - अशोकोत्तर युग में आर्थिक रिक्तता थी।

2. संसदीय स्वरूप की सरकार में
- विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।
 - विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है।
 - कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
 - न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
 - कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।
3. पाठशाला के छात्र के लिये पाठ्येतर कार्य-कलाप का प्रयोजन
- विकास की सुविधा प्रदान करना है।
 - अनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है।
 - नियत कक्षा-कार्य से राहत देना है।
 - शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है।
4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है :
- शुक्र
 - मंगल
- (c) बृहस्पति
- (d) वृष
5. वन और वाद के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित में से कौन-सा विवरण स्पष्ट करता है?
- पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं, मिट्टी का क्षरण उतना अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है।
 - पेड़ पौधे जितने कम होते हैं, नदियां उतनी ही गाढ़ से भरी होती हैं, जिससे बाढ़ होती है।
 - पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं, नदियां उतनी ही कम गाढ़ से भरी होती हैं, जिससे बाढ़ रोकी जाती है।
 - पेड़ पौधे जितने कम होते हैं उतनी ही धीमी गति से बर्फ पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 25th October 1979

No. A. 35014/1/79-Admn. II.—The Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints the following 2 permanent Section Officers of CSS cadre of Union Public Service Commission to officiate on an *ad hoc* basis on deputation to the posts indicated each for a period of three months w.e.f. 10.10.1979, or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri J. S. Sawhney-S.O.(Spl)---Examination scrutiny and co-ordination.
2. Shri H. M. Biswas—S.O. (Spl) - Examination rules and arrangements.

2. On their appointment to the post of Section Officer (Special), the pay of S/Shri J. S. Sawhney and H. M. Biswas will be regulated in terms of the Ministry of Finance Department of Expenditure O.M. No. F. 10 (24)-E. III/60, dated 4.5.1961, as amended from time to time.

S. BALACHANDRAN, Under Secy.
for Secretary.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 8th November 1979

No. A-19035/5/79-Ad.V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment is pleased to appoint Shri Chamari Ram, Crime Assistant, Central Bureau of Investigation to officiate as Office Superintendent in the Central Bureau of Investigation on *ad-hoc* basis with effect from the afternoon of 11th September, 1979 and until further orders.

No. A-19036/4/79-Ad.V.—Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby appoints Shri S. K. Pant Inspector, Central Bureau of Investigation, Zone-VI to officiate as Deputy Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation with effect from 27 Sept. 1979 (Forenoon) until further orders.

No. A-19035/7/79-Ad.V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment is pleased to appoint Shri S. K. Sharma, Crime Assistant, Central Bureau of Investigation, to officiate as Office Superintendent in the Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 6th September, 1979 and until further orders.

Q. L. GROVER,
Adm. Officer (E) C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE
POLICE FORCE

New Delhi-110001, the 12th November 1979

No. O.II-1437/79-Estt.—The Director General CRPF is pleased to appoint Dr. (Miss) Umarani Narzary as Junior Medical officer in the CRPF on *ad-hoc* basis with effect from 22.10.79 for a period of three months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

No. O.II-1447/79-Estt.—The Director General CRPF is pleased to appoint Dr. Nibaran Mohanty as Junior Medical Officer in the CRPF on *ad-hoc* basis with effect from 29-10-79 (Forenoon) for a period of six months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

A. K. BANDYOPADHYAY, Asstt. Director (Adm.)

16—346/79

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 9th October 1979

No. E-38013(2)/1/79-Pers.—On transfer from Ranchi, Shri V. K. Bhalla, IPS(MP-62) assumed the charge of the post of Comdt, CISF Unit, Bank Note Press, Dewas w.e.f. the forenoon of 6th October 1979 vice Shri C.P. Singh who on repatriation to M.P. State relinquished the charge of the said post w.e.f. the same date.

A. N. BHALLA,
Asstt. Inspector General (Personnel)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 12th November 1979

No. 11/98/79 Ad.I-23541.—The President is pleased to appoint Shri Ashoke Joshi, Chief Secretary to the Andaman & Nicobar Islands Administration, to the post of Director of Census Operations, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair, in an *ex-officio* capacity, with immediate effect, until further orders.

2. His headquarters will be at Port Blair.

P. PADMANABHA,
Registrar General

DIRECTORATE OF PRINTING

New Delhi, the 7th November 1979

No. H(4)/AII.—The Director of Printing is pleased to appoint Shri P. R. Halder, Accountant, Govt. of India Press, Temple Street, Calcutta, to officiate as Assistant Manager (Admn.) in the Government of India Forms Store, Calcutta, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, with effect from the afternoon of 15-10-79, until further orders.

M. M. JOSHI,
Dy. Dir. (Admn.).

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-16, the 8th November 1979

No. 53/79/G.—Shri K. S. Ghai (Substantive and Permanent S.O. Gr. I) retired from service w.e.f. 7th July, 1978 (AN) consequent on his permanent absorption in Bharat Heavy Electricals Ltd., New Delhi w.e.f. the same date.

V. K. MEHTA,
Asstt. Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 12th November 1979

No. CER/1/79.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 22 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CER/1/68, dated 2nd May, 1968, namely :—

In para 2 of the said Notification—

For the existing 'Note', at the end, the following shall be substituted namely :—

"Note.—The production of controlled dhoti, controlled saree, controlled long cloth and controlled shirting is subject to the Textile Commissioner's Notification No. CER/2/77, dated 15-4-77."

No. CLB I/5/79.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 34 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, and with the previous sanction of the Central Government, I hereby make the following further amendments in the Textile Commissioner's Notification No. CLB I/5/65/A, dated 4th March, 1966 namely :—

1. In the table appended to the said Notification in column 1 of Serial No. 8A.

For "Notification No. TCS.I/20, dated the 22nd September, 1949" Read "Notification No. CER/2/77, dt. 15-4-1977."

2. In the table appended to the said Notification in column 1 of Serial No. 8B.

For "Notification No. 9(9)TEX-I/49, dated the 15th April, 1950 and No. 9(9) CT(A)/54, dated the 26th August, 1954" Read "Notification No. CER/10/77, dated 15-4-77".

M. W. CHEMBURKAR,
Jt. Textile Commissioner.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 5th November 1979

No. EST I-2(690)/4291.—Shri C. V. Nagaraja Rao, Accounts Officer, Pay & Accounts Office (Textiles), Ministry of Industry, Bombay, has retired from service from the afternoon of 30th September, 1979 on attaining the age of superannuation.

J. C. HANSDAK,
Deputy Director (Administration)

(DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES)

DIRECTORATE OF VANASPATHI, VEGETABLE OILS & FATS

New Delhi, the 18th October 1979

No. A-11013/1/79-Estt.—Shri P. S. Rawat officiating Senior Hindi Translator in the Department of Civil Supplies, has been appointed in the Directorate of Vanaspathi, Vegetable Oil and Fats as Hindi Officer w.e.f. 28th September, 1979 (AN) in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on purely temporary and *ad hoc* basis till 29th February, 1980.

A. K. AGARWAL,
Chief Director

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110011, the 8th November 1979

No. 14/9/79-M(T).—In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules 1959, I. K. V. Soundara Rajan, Director (Monuments) hereby direct that no fee shall be charged for entry into the Buddhist Monuments at Sanchi. Distt. Raipur (M.P.) from 24th November, 1979 to 26th November, 1979 on account of the 27th Anniversary Celebration of Chetiyā Giri Vihare.

K. V. SOUNDARA RAJAN,
Director (Monuments)
for Director General

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

New Delhi-1, the 7th November 1979

No. F.15-8/78-A.1.—The Director of Archives, Government of India, hereby appoints Miss Shanta Iwnati, regular temporary Hindi Officer (Class II Gazetted), in a substantive capacity with effect from 6.5.78.

The 8th November 1979

No. F.11-23/79-A.1.—The Director of Archives, Government of India, hereby appoints Shri Gorakh Nath, Permanent Assistant Microphotographer (Grade I) to officiate as Microphotographer (Class II Gazetted) on purely *ad hoc* basis with effect from the 5.11.79 (F.N.) and until further orders.

This *ad hoc* appointment will not confer any right for claim for regular appointment and will not count for the purpose

of seniority and for eligibility for promotion to the next higher grade.

B. S. KALRA,
Administrative Officer,
National Archives of India,
for Director of Archives.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 5th November 1979

No. 6-52/79-DC.—Consequent on deputation abroad under the WHO Fellowship programme Dr. A. C. Das Gupta, Associate Pharmaceutical Chemist, Central Drugs Laboratory, Calcutta, relinquished the charge of the post with effect from 12-9-79 (A.N.).

Dr. Gupta who was before his deputation abroad holding the post of Biochemist in the same office on an *ad hoc* basis will be deemed to have been reverted to his substantive post of Associate Pharmaceutical Chemist w.e.f. 12-9-79 (A.N.).

SANGAT SINGH,
Deputy Director Administration

New Delhi, the 6th November 1979

No. A.19019/9/77/NICD/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. M. Ramachandran, Assistant Director (Biochemistry), National Institute of Communicable Diseases, Delhi retired from Government Service on the afternoon of 30th September, 1979.

No. A. 12026/27/79-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt) Avinash Talwar on her return from foreign service with the Govt. of Nigeria on 1st August, 1979, to the post of Junior Staff Surgeon (Dental) under the Central Govt. Health Scheme with effect from the forenoon of the same date, on an *ad hoc* basis and until further orders.

The 7th November 1979

No. A.38012/2/79-(HQ)Admn.I.—The President is pleased to permit Km. N. Mani Rao, Deputy Assistant Director General (National Health Programme) in the C.H.E.B., Directorate General of Health Services, New Delhi to retire voluntarily from Government Service on the afternoon of 30th September, 1979 under the provision of Fundamental Rule 56(K).

S. I. KUTHIALA,
Deputy Director Administration (O&M)

New Delhi, the 12th November 1979

No. A.19019/19/79CGHS-I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. Om Prakash to the post of Ayurvedic Physician in the Central Government Health Scheme on a temporary basis with effect from the forenoon of 22nd October, 1979.

N. N. GHOSH,
Dy. Director Admn. (CGHS)

KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA

(KRISHI VIBHAG)

VISTAR NIDESHALAYA

New Delhi, the 7th November 1979

No. F. 3-48/79-Estt.(I).—The ad hoc appointments of S/ Shri S. L. DHIR, K. R. Vij and O. P. Bhasin in the posts of Superintendents (Grade I) are further continued beyond 31-10-1979 and upto 30-11-1979.

No. F. 2-1/79-Estt.(I).—The ad hoc appointment of Shri O. P. Gupta in the post of Assistant Editor (Hindi) is further extended w.e.f. 1-11-1979 to 30-11-1979.

B. N. CHADHA,
Director Administration

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

The 26th September 1979

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 7th November 1979

No. A-19025/19/79-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri Ashish Kumar Chakrabarti, Senior Inspector has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer (Group II) in this Directorate at New Delhi w.e.f. 8th October, 1979 (FN), until further orders.

The 9th November 1979

No. A-19023/11/79-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri S. C. Sarkar is appointed to officiate as Marketing Officer (Group I) in this Directorate at Faridabad w.e.f. 16-10-79 (forenoon), until further orders.

B. L. MANIHAR,
Director of Administration,
for Agricultural Marketing Adviser

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-85, the 18th September 1979

No. 5/1/79-Estt.II/3545.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Admn. Officer-II/Asstt. Personnel Officer for the period shown against their names:

Sl. Name & Designation No.	Appointed to officiate as	Period	
		From	To
1. Shri J.R. Karnik, Asstt. Personnel Officer	Admn. Officer-II	18-6-79	19-7-79
2. Shri N. Raman, Assistant	Asstt. Personnel Officer	18-6-79	27-7-79
3. Shri L. B. Gawde, Assistant	Do.	18-7-79	28-8-79
4. Shri G. Gopakumar, S.G.C.	Do.	18-6-79	19-7-79
5. Shri S. R. Pinge, S.G.C.	Do.	21-7-79	20-8-79

The 21st September 1979

No. 5/1/79/Estt. II/3573.— Controller, Bhabha 'Atomic' Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Security Officers for the period shown against their names:

Sl. Name & Designation No.	Appointed to Officiate as	Period	
		From	To
1. Shri S. N. Sen, Asstt. Security Officer	Security Officer	19-6-79 (FN)	21-7-79 (AN)
2. Shri P. E. Job, Asstt. Security Officer	Security Officer	25-6-79 (FN)	27-7-79 (AN)

No. R-487/Estt.II/3590.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri Mathur Venkateswaran Ranganathan, permanent Assistant Administrative Officer (Rs. 650—960) retired from Government service with effect from 31-8-1979 (AN).

The 25th October 1979

No. B-618/Estt.II/3955.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri Sadanand Dhondiram Bhonsale, permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant Accounts Officer in Bhabha Atomic Research Centre retired from Government service with effect from 31-8-1979 (AN).

No. S-41/Estt.II/3625.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri Padmanabha Pillai Chandra Sekhar, permanent Security Officer in BARC, retired from Government service with effect from 31-8-1979 (AN).

Kum. H. B. VIJAYAKAR,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 26th October 1979

No. PPED/4(699)/79-Adm.—Consequent on his resignation having been accepted by the Director, PPED, Shri B. K. Sarkar, a permanent Scientific Assistant 'B' and officiating Scientific Officer/Engineer-Grade 'SB' of the Power Projects Engineering Division, relinquished charge of his post in this Division on the afternoon of 18th September, 1979.

B. V. THATTE,
Administrative Officer

MADRAS ATOMIC POWER PROJECT

Kalpakkam-603 102, the 2nd November 1979

No. MAPP/8(16)/78-Rectt.—Director, Power Projects Engineering Division appoints Shri R. Subramanian, a permanent Stenographer in Bhabha Atomic Research Centre and officiating Superintendent as Assistant Personnel Officer in the Madras Atomic Power Project vice Shri V. K. Santhanam granted leave with effect from the forenoon of March 1, 1979 to October 9, 1979 AN.

K. BALAKRISHNAN,
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 6th November 1979

No. A.12025/8/77-ES.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Jai Vir Singh as Air Safety Officer (Engg.) in the Civil Aviation Department in an officiating capacity with effect from 11-9-1979 and until further orders and to post him in the office of Regional Director, Bombay Region, Bombay.

R. N. DAS,
Asstt. Director of Administration
for Director General of Civil Aviation.

New Delhi the 8th November 1979

No. A.32013/10/79-EC.—The President is pleased to appoint Shri Suresh Chandra, Senior Technical Officer, DGCA (HQ) to the grade of Assistant Director of Communication with effect from 27.9.79 (FN) for a period of six months or till the vacancy is available on ad-hoc basis whichever is earlier and to post him in the same office.

No. A.38012/1/79-EC.—Shri B. K. Bose, Asstt. Comm. Officer, Aeronautical Communication Station, Calcutta relinquished charge of his office on the 30-9-79 (AN), on retirement from Government service, on attaining the age of superannuation.

The 12th November 1979

No. F.23014/1/79-EC.—The President is pleased to place the services of Shri R. V. Israni, Assistant Technical Officer, Aeronautical Communication Station, Gauhati on deputation on foreign service terms with the International Airport Authority of India as Assistant Engineer (Radio) w.e.f. 1-10-79 (AN).

No. A.32014/2/79-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri Victor Chandran, Communication Assistant, ACS, Bombay to the grade of Assistant Communication Officer on ad hoc basis with effect from

18-10-79 (FN) vice Shri P. S. R. Pillai, Assistant Communication Office, ACS, Bombay granted earned leave.

R. N. DAS,
Assistant Director of Administration

VANA ANUSANDHAN SANSTHAN EVAM
MAHAVIDYALAYA

Dehra Dun, the 13th November 1979

No. 16/52/75-Ests-I.—The resignation of his appointment as Research Officer tendered by Dr. V. K. Sood has been accepted by the President, Forest Research Institute & Colleges, w.e.f. the afternoon of 25th October, 1979.

GURJIAL MOHAN,
KUL SACHIV,

Vana Anusandhan Sansthan Evam Mahavidyalaya

NARCOTICS DEPARTMENT

Gwalior, 13th November 1979

No. 4.—Shri H. C. Kapoor, Administrative Officer, is hereby appointed, in substantive capacity, to the grade of Asstt. Chief Accounts Officer/Administrative Officer, Group 'B', in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from 1-8-1976 against the post sanctioned vide Department of Revenue & Banking, New Delhi's letter F.No. A-11012/12/76-Ad.IV dated 6-4-1977.

M. M. BHATNAGAR,
Narcotics Commissioner of India

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Secunderabad, the 26th October 1979

No. P(G) 185/EL.—The following officers of the Electrical Department are confirmed in Class II Service of that Department as Asst. Electrical Engineers

Sl. No.	Name	Design.	Date from which confirmed.
---------	------	---------	----------------------------

S/Shri

1.	T. S. Subbanna	Offg. DEE/UBL	22-6-78
2.	S. Sarangapani	Offg. DEE/GTL	31-7-78
3.	M. Prabhakaran	Offg. DEE/WP/Gun-tapalli	23-3-79

N. NILAKANTA SARMA
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Orissa Manufacturers Association Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO-521/79-3380(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Orissa Manufacturers Association Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Mishra Dairy and Agriculture Company Private Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/645/79-3381(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Mishra Dairy and Agriculture Com-

pany Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Indo-Castings Private Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO-659/79-3382(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Indo-Castings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s East Coast Refractories Private Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO-670/79-3383(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s East Coast Refractories Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Nayak Extractions Private Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/673/79-3384(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Nayak Extractions Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Hirakhanda Enterprisers Private Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO-512/79-3385(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Hirakhanda Enterprisers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Pravati Private Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/451/79-3386(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Pravati Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Orissa Retail Dealers' Association Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/508/79-3387(2). Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Orissa Retail Dealers' Association Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Panposh Financial Chit Fund Private Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/390/79-3588(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Panposh Financial Chit Fund Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Movers Savings and Finance Company Private Limited*

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/729/79-3389(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s Movers Savings and Finance Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

D. K. PAUL,
Registrar of Companies, Orissa

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Finsar Private Limited, Jabalpur*

Gwalior-474001, the 7th November 1979

No. 1067/Liqn/CP/3882.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act, 1956 that Finsar Private Limited, Jabalpur has been ordered to be wound up by an order dated 11-9-79 passed by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur and the Official Liquidator, Indore has been appointed as the Liquidator of the Company.

S. K. SAXENA,
Registrar of Companies,
Madhya Pradesh, Gwalior

*In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s Burmah Shell Provident Trust Private Limited*

Bombay, the 7th November 1979

No. 15128/560(3).—Notice is hereby given pursuant to subsection (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Burmah Shell Provident Trust Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

L. M. GUPTA,
Asstt. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
57, RAMTIRATH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 9th November 1979

Ref. No. A-78/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Land and building (Ground-floor) of House No. 92/191 situated at Gautam Budh Marg, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 30-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) British Indian Association Avadh through Sri Himanshu Dhar Singh and Sri Krishna Pal Singh, President and Vice President respectively. (Transferor)
- (2) Shri Amar Nath Pahwa. (Transferee)
- (3) Shri B. N. Bhargava and above sellers. (Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The ground-floor portion along with the land of the house property No. 92/191 situated at Bans Mandi, Lucknow and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1457/79 which have duly been registered in the office of the Sub Registrar, Lucknow on 30-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
57, RAMTIRATH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 9th November 1979.

Ref. No. S-18/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

92/8, situated at Gautam Budh Marg, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow on 19-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- S/Shri
- (1) 1. Radhey Krishna Agarwal;
2. Radhey Shyam Agarwal;
3. Manoj Kumar Agarwal; and
4. Smt. Bina Agarwal. (Transferor)
 - (2) Smt. Saraswati Devi. (Transferee)
 - (3) Sellers and 15 tenants
S/Shri
 1. Dasrath Pd. Sonkar;
 - (2) Mewa Lal Sonkar;
 3. Harish Chandra Sonkar;
 4. Lakhon Sonkar;
 5. Gurbachan Singh;
 6. Barati;
 7. Salig Ram Sonkar;
 8. Mohd. Hanif;
 9. Nazir Ahmad;
 10. Rasul Ahmad;
 11. Jamil Ahmad;
 12. Ramu;
 13. Hira Lal;
 14. Bhai Lal; and
 15. Kedar Nath Sonkar. (Persons in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 92/8, including building and land, situated at Gautam Budh Marg, Qaiser Bagh, Lucknow and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1165 which have duly been registered in the office of the Sub Registrar, Lucknow on 19-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Joginder Singh Sachdeva
S/o S. Kartar Singh
R/o 71, West Avenue Road, Punjabi Bagh,
Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Maharani Fashions,
G-96, Mansarovar Garden, New Delhi
Through its partner Shri Chander Mohan Sharma &
Shri Vashdev H. Dadlani.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

New Delhi-110001, the 12th November 1979

Ref. No. IAC/Acq.II/3-79/1237/5078/3716.—Whereas, I,
R. B. L. AGGRAWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.
D-9, situated at Kirti Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on March 1979
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reasons to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of
the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and or;

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A one and a half storeyed house built on a piece of free-
hold plot of land bearing Plot No. 9, in Block D, measuring
500 sq. yds. situated in the colony known as Kirti Nagar,
area of village Bassai Datapur Delhi State Delhi bounded as
under :—

North : House on Plot No. D-8.
South : House on Plot No. D-10.
East : Service Lane
West : Road.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

R. B. L. AGGRAWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 12-11-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 12th November 1979

Ref. No. IAC/Acq.II/3-79/5116,3716.—Whereas, I, R. B. L. AGGRAWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 2/1 Block 41 situated at Singh Sabha Road, Delhi-7 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on March 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the deduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

17—346G1/79

S/Shri
(1) 1. Arjun Singh
2. Gurbachan Singh
Sons of S. Karam Singh,
2/4, Block 41, Shakti Nagar,
Delhi-7.

(Transferor)

(2) Smt. Gulshan Malhotra
W/o Shri Ravinder Malhotra,
R/o 7360, Prem Nagar, Delhi-7.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2/1 in Block 41 measuring 310 sq. yds. situated at Singh Sabha Road, Delhi-7, bounded as under :—

North : Road
South : House property No. 2/2
East : Road
West : Plot No. 3/1

R. B. L. AGGRAWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 12-11-1979
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Shri Ram Nath S/o Shri Nanak Chand,
R/o R/19, Rishab Nagri, Model Town,
Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Smt. Manik Devi W/o Shri Gauri Datt Sharma,
213, Tagore Park,
Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 12th November 1979

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

Ref. No. IAC/Acq-II/3-79/4985/3716.—Whereas, I, R. B. L. AGGRAWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

R/19 situated at Rishab Nagri Model Town, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Plot No. R-19, (Rishab Nagri) Model Town Delhi with building consisting of 7 rooms, varandah, 4 kitchens, 3 latrines, bath, court-yard, single storeyed temporary built house number one, with cement sheets of old construction with water and electric connections measuring 300 sq. yds. in the area of village Dhirpur, Delhi State and bounded as under :—

North : Road 24 ft.
South : Open Park Lane
East : Plot No. 13
West : Plot No. 20

R. B. L. AGGRAWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12-11-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 12th November 1979

Ref. No. IAC/Acq.II/III/3-79/5029/3716.—Whereas, I, R. B. L. AGRAWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. F-11/11 situated at Model Town Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 16-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Nanak Chand S/o Shri Jai Ram,
R/o 164, Mahatama Gandhi Road,
Calcutta-7,
Now F-11/11, Model Town Delhi-9.

(Transferor)

(2) Shri Kuldip Singh S/o Mahinder Singh,
R/o F-2/21, Model Town,
Delhi-9.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold property No. F-11/11, measuring 292.82 sq. yds. situated in the colony known as Model Town area of village Malakpur Chhaoni, Delhi State, Delhi and bounded as under:—

North : Road
South : Property No. F-10/11
East : Road
West : Property No. F-11/10

R. B. L. AGRAWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 12-11-1979

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 12th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/3-79 5024/3716.—Whereas I, R. B. L. AGRAWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C-5/14 situated at Rana Pratap Bagh, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on March 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Gian Prakash Chopra S/o Shri Ram Lal
R/o Hans Raj College Premises,
Delhi University, Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Savitri Devi Singhal
W/o Shri Om Prakash Singhal
R/o D-6/2A, Rana Pratap Bagh,
Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property on plot No. C-5/14 situated at Rana Pratap Bagh, Delhi-110007 measuring 233.33 sq. yds. bounded as under :—

East : Plot No. C-5/13 (building)
West : Plot No. C-5/15 (building)
North : Plot No. C-6/16 (building)
South : Road

R. B. L. AGRAWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 12-11-1979
Seal :

FORM ITNS ———

(1) Shri Vimal Kumar alias Khem Chand
S/o Shri Risal Singh
R/o 15/28, Punjabi Bagh,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Brij Lal, Satish Kumar & Yash Varinder Kumar
Sons of Gulab Rai
R/o 6/60, Punjabi Bagh,
Delhi.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 12th November 1979

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

Ref. No. IAC/Acq.II/3-79/4987/3716.—Whereas, I,
R. B. L. AGRAWAL,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition
Range, Bihar, Patna
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.
15 on Road No. 7 situated at
Punabi Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908), in the office of the Registering Officer at
Delhi on 5-3-1979
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

House built on freehold plot of land, bearing Plot No. 15
on Road No. 7, in Class D, measuring 279.55 sq. yds.
situated in the colony known as Punjabi Bagh area of village
Bassai Darapur Delhi State Delhi bounded as under :—

North : Service Lane
South : Road No. 7
East : House on plot No. 13
West : Plot No. 17

R. B. L. AGRAWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—

Date : 12-11-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 5th October 1979

Ref. No. 17A/Acq/Ghaziabad/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dadri on 21-4-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Harbhajan Singh s/o Shri Atma Singh
R/o 57 Golf Link, New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Maya Chandani w/o Shri H. D. Chandani
R/o Dakshneshwari Flat No. 30,
8th Floor, 10 Haily Road, New Delhi (51). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. B-20, Area 599.22 Sq. metre.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-10-1979
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Kishan Lal Khurana s/o Shri Shankar Das
R/o Moti Bazar Hardwar,
Distt. Saharanpur.

(Transferor)

(2) Smt. Swarn Kumari w/o Shri Kishan Lal Tewari,
R/o Nirmala Chhaoni, Hardwar,
Distt. Saharanpur.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 15th September 1979

Ref. No. 770-A/Acq/Saharanpur/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hardwar on 31-8-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property situated in Nirmala Chhaoni, Mayapur Hardwar Pargana Jwalapur. Distt. Saharanpur.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-9-1979
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Raja Mohan Singh,
Tiloi Estate, Rai-Bareilly.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri J. M. Kapoor,
R/o 8 Haily Road, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 22nd September 1979

Ref. No. 787-A/Acq/Dehradun/79-80.—Whereas, I,
B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the said Act) have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at
Dehradun on 30-7-79

for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property,
and I have reason to believe that the fair market value of
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con-
sideration and that the consideration for such transfer as
agreed to between the parties has not been truly stated in the
said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing Khasra No. 839 and 840 situated in
Village Bharuwala Grant Pargana Central Doon District
Dehradun.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-9-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 22nd September 1979

Ref. No. 788A/Acq/Dehradun/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 30-7-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
18--346GI/79

(1) Rani Soni Mati Devi
Through General Attorney Raja Mohan Singh,
Tiloi Estate Raibareilly.

(Transferor)

(2) Shri J. M. Kapoor,
8 Haily Road, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All land situated in Bharuwala Grant Khasra No. 841,828, 829 and 837.

B. C. CHATURVEDI

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-9-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 16th October 1979

Ref. No. 869-A/Acq/Hardwar/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hardwar on 28-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate, proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Akhara Panchayati Niranjani,
Mayapur Hardwar
Through Shri Mahant Roopgiri Ji,
Hardayal Giri Ji, Secretary of above Akhara.
(Transferor)(2) Smt. Nirmal Jyoti Shishya
Brahmlin Swami Nirmal Ji Maharaj
R/o Sewak Newas Kankhal Hardwar,
Distt. Saharanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 2530 Sq. Ft. situated in Niranjani Akhara, Kankhal.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 16-10- 1979

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Gyan Singh s/o Shri Atma Singh,
R/o 57 Golf Link, New Delhi.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Anju Jain w/o Shri Vijay Kumar Jain,
R/o 21 Todarmal Lane Bengali Market,
New Delhi.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,**

**ACQUISITION RANGE,
KANPUR**

Kanpur, the 5th October 1979

Ref. No. 906-A/Acq/Ghaziabad/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dadri on 9-3-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or.
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 579.71 Sq. Metres No. 188 situated in Suryanagar, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Date : 5-10-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 5th October 1979

Ref. No. 907-A/Acq/Ghaziabad/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dadri on 9-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Dr. C. Prakash s/o Ch. Takan Ram,
Karanbir, Deepak Prakash minor
son of Dr. C. Prakash,
R/o 162 Civil Line near Session Court, Rohtak.
(Transferor)
- (2) Shyam Lal Raina s/o Shri Dharam Chand Raina,
Smt. Tarawati Bhatt
W/o Late Sri Kant Bhatt,
R/o F-76 Green Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 28 measuring 800 Sq. Metres situated in Block C, Suryanagar, T.F.A. Sector No. 7, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-10-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 17th October 1979

Ref. No. 980-A/Acq/Ghaziabad/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 24-3-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Narain Das s/o L. Dhannu Mal,
R/o 1241 Rang Mahal,
Near Novalty Cinema, Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Aruna Kumari
W/o Shri Anil Kumar,
2. Smt. Shakuntala Devi
W/o Shri Radhey Shyam,
R/o 120 Pakki Morri, Ghaziabad,
3. Smt. Pushpa Devi
W/o Sri Ram Kumar,
4. Smt. Nirmala Devi
W/o Sri Ram Newas,
R/o 125 Pakki Morri, Ghaziabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed building No. 22 (old) and 40 (new) situated in Sihani Galli, Moh. Mirza Jan, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 17-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 5th October 1979

Ref. No. 1061-A/Acq/Dehradun/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Dehradun on 26-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

- (1) 1. Smt. Saraswati Devi
R/o 11/4 Pusa Road, New Delhi,
 2. Smt. Anju Mathur
W/o Major U. P. Mathur,
Army Air Transport Support School, Agra,
 3. Smt. Rajni Talwar
W/o Shri Deepak Talwar,
C/o Tata Export, Indore,
 4. K. Manju Dayal
R/o 35 Subhash Road, Dehradun,
 5. K. Indu Dayal
R/o 11/4 Pusa Road, New Delhi,
 6. Sri Vijay Dayal
R/o 35 Subhash Road, Dehradun and
 7. Sri Harishwar Dayal,
R/o 35 Subhash Road, Dehradun. (Transferor)
- (2) Shri Ravinder Nath, Advocate
R/o 2 Convent Road, Dehradun. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 1656.76 Sq. Metres, forming part of property No. 35, Subhash Road, Dehradun.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 19th September 1979

Ref. No. 263/Acq/Agra/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 21-6-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Ravindra Prakash Baghawan
S/o Late Bansi Ram Baghwan,
R/o 15/24 Chornha Shahganj Agra Hall Bi-pass
Road, Nai Abadi, Ferozabad, Distt. Agra.
(Transferor)
- (2) S/Shri Kalyan Das, Asan Das, Devi Das,
Nand Kishore, Ghanshiam Das
Sons of Shri Mew Ram,
R/o 10/19 Coalhigh, Sahganj,
Agra.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Fk Kita house Pukhta, Juj double storeyed Number Hall 15/24, Katra Shahganj, Agra.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 19-9-1979
Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 16th October 1979

Ref. No. 1235/Acq/Aligarh/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Aligarh on 19-3-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Narendra Kumar Bansal
S/o Shri Anandi Lal Bansal,
R/o Paththar Bazar, Aligarh. (Transferor)
- (2) Smt. Abha Rani
W/o Shri Anand Kumar Gupta,
V. & P.O. Izzatpur, Distt. Aligarh. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 12 Bigha 6 Biswa 6 Biswansi

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 16-10-1979

Seal :

FORM ITNS

1. Mst. Ram Shree W/o Ram Das
R/o Narholi Bhindarwa Pargana,
Etawah, Dist. Etawah,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

2. S/Shri Ramesh Baboo, Munna Lal, Kamlesh Baboo,
sons of Shri Atar Singh r/o Chakuri V. Bhindarwa
Pargana Etawah and Shri Chandra Pal s/o Dipti Singh
r/o Kachhuli Khirogi, Tehsil Karhal, Distt. Mainpuri,

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Kanpur, the 22nd October 1979

- (a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 1218/Acq/Etawah/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Etawah on 7-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
19—346GI/79

THE SCHEDULE

464
— Lagan Rs. 303/-
5-15

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd October 1979

Ref. No. 1259/Acq/FZBDI78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ferozabad on 5-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

1. S/Shri Rajendra Sahai, Virendra Sahai, Mahendra Sahai sons of M. Ganga Sahai r/o V. Dholpura Tehsil Ferozabad, Distt. Agra.

(Transferor)

2. S/Shri Rarman Singh, Gajadher Singh, Ved Singh sons of Shri Ram Lal Yadav r/o V. Dholpura, Teh. Berozabad, Distt. Agra.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

V. Dholpura Tehsil Ferozabad Khasra No. 323, Area 6 Bigha 8 Biswa 15 Biswansi Pukhta Lagani Rs. 73/40, Khasra No. 323 area 7 Biswa 13 Biswansi Pukhta Lagani Bhumidhari Lagan 4.35 Salana Kita Do Area 6 Bigha 16 Biswa 8 Biswansi Pukhta. In the east there is land of Shri Megh Singh, Baboo Ram, Het Singh, and Chak Road in the North, South and West.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979,

Seal :

FORM ITNS

1. Smt. Amar Kaur w/o S. Ajit Singh.

(Transferor)

2. S/Shri Charan Singh and Harbans Singh sons of Shri Dhian Singh r/o 118/219, Kaushalपुर, Kanpur.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 24th October 1979

Ref. No. 1254/KPR/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 6-4-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Property No. 118/123-B Kaushalपुर, Kanpur,

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date: 24-10-1979.

Seal:—

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd October 1979

Ref. No. 915-A/G. Bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 12-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Smt. Kamla Devi alias Kamlo, w/o Shri Lok Chandra through Shri Haryant Kumar Choudhry Late Shri Sher Singh Mukhtar-a-am, Smt. Kamloo Devi at present r/o Bombay 3, Shri Suresh Kumar Choudhry s/o Late Chhabil Das Choudhry r/o 5 G. T. Road, Ghaziabad.
(Transferor)
2. Shri Khacheroo Singh s/o Vecr Narain, Dharam Vir s/o Nikhil Ram r/o V. Duran Pargana, Dadri, Distt. Ghaziabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khata No. $\frac{1230}{1 (III)2}$ 5747½ Sq. Yds. situated in Shahpur Bamheta, Pargana Dasna, Teh. and Distt. Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979.

Seal :

FORM ITNS

1. S/Shri Malkhan and Ganga Ram Jat R/o Kujhh-Kharad, Pargana and Tehsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

2. S/Shri Onkar, Yogendra, Davendra Adults, Vishesh Kumar, Minor age 8 years son of Shyam Singh under guardianship of Jahan Singh s/o Ganga Ram Jat r/o Kharar Pargana and Tehsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar.
(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Kanpur, the 22nd october 1979

Ref. No. 959-A/M. Nagar/78-79.—Whereas, I, B.C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE and situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nudhana on 23-3-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultured Land	1462	1235	1236	1237	1238	1239
Khasra No.	61)2)3	51+14)51	51+14	II)+6
	1246	1419	1448	1451	1454	1489
					1508	1247
						1246
	I)1	I)1	II) II)2+8	II)4	52+10	III)1
)3
						I)2

15 Kita, 121) 1+12 Lagani 125/- Salana situated in Kharar, Pargana and Tehsil Budhana Distt Muzaffarnagar.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 22-10-1979.

Seal :

FORM ITNS

1. S/Shri Kunwar Krishna, Shri Lalit Kumar sons of Shri Dhumi Lal alias Dhumi Mal r/o 79 F Kamla Nagar, Delhi present r/o Model Town, Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

2. Shri Nirpal Kumar Jain s/o Shri Inder Ratan Jain r/o 95/184A, B-Dayanand Nagar, Model Town, Ghaziabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR**

Kanpur, the 22nd October 1979

Ref. No. 979A/G. Bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE and situated at AS PER SCHEDULE

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 29-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi Number 95/184 A & B, situated in Dayanand Nagar, Model Town, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979.

Seal :

FORM ITNS—

1. Shri Kadma s/o Har Deva Jat, V. Nirpura, Pargana Barnawa, Tehsil Sardhana, Distt. Meerut.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

2. S/Shri Suraj Singh, Jaipal Singh, Rajpal Singh sons of Raghbir Singh, Pritam Singh s/o Kadma Jat, Nirpura Pargana, Barnawa, Tehsil Sardhana, Distt. Meerut.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd october 1979

Ref. No. 1009-A/Meerut/78-79.—Whereas I. B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE and situated at AS PER SCHEDULE

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Sardhana on 26-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 10 I) 4-15 Lagan 104.80 223
226
[II]2] situated in V. Nirpura Pargana, Tehsil Sardhana, Distt. Meerut. 9III)2-15

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref. No. 1261/Acq/Ferozabad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. AS PER SCHEDULE and situated at AS PER SCHEDULE

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ferozabad on 31-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. S/Shri Swadhin Pd., Ram Sewak, Jagdish Pd, Raghuraj Pd. sons of Shri Ram Ji, Smt. Sushila Devi widow of Shri Pravin Dutta, Sri Promod Chandra s/o Shri Swadhin Pd r/o Shyamli, Ferozabad.

(Transferor)

2. Smt. Jayanti Devi Bansal w/o Shridhar Lal, Shri Suresh Chander s/o Shridhar Lal r/o Julesar Road, Ferozabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building situated at V. Datoji, near Labour Colony, Ferozabad.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-11-1979.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur(the 2nd November 1979

Ref. No. 1260/Acq/Ferozabad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule, situated at As per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ferozabad on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

20—346GI/79

(1) S/Shrs Swadhin Pd, Ram Sewak, Jagdish Pd. Raghbir Pd. sons of Shri Ramji, Smt. Sushila Devi, widow of Shri Pravin Dutta, R/o Suyargali Kasba Ferozabad, (Transferors)

(2) Shri Shridhar Lal, s/o Shri Shanker Lal Ji, Smt. Urmila Devi, w/o Shri Suresh Chand, Shri Suresh Chand, r/o Jalesar Road, Ferozabad. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ek Kita Ahata, situated at Village Detoji near Labour Colony, Ferozabad.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-11-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref. No. 1212/Acq/Mathura/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. As per Schedule, situated at As per Schedule has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mathura on 19-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Bahadur Singh,
s/o Bhanwar Singh,
r/o Village Magori, Post Khas,
Teh. & Dist. Mathura. (Transferor)
- (2) Shri Ghamandi Singh, s/o Shri Murali Dhar,
Prahlad Singh, Ramesh Chandra Balig and
Jitendra Singh Nabalig & Bilayat Jagan Prasad,
r/o Magori, Post Khas,
Teh. & Dist. Mathura. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land No. 42A, situated at Manjã Pura,
Tehsil & Distt. Mathura.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur

Date : 2-11-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref. No. 747/Acq/Agra/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule, situated at As per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Agra on 23-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kailash Nath Prasad Badya
s/o Munshi Kallu Prasad,
r/o Hall Nadan Mahal Road near Ram Nath
Thiater Building, Lucknow. (Transferor)

(2) Smt. Pushpa Devi w/o Narain Prasad &
Smt. Nina Kumari w/o Ashok Kumar, and
Anil Kumar s/o Shri Prakash Narain,
r/o 63 Pratap Pura Cantt, Agra. (Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 33/28, situated at Adarsh Nagar
Rakab Ganj, Ward, Agra.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 2-11-1979

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref. No. 746/Acq/Agra/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at As per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 12-2-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sarvati Devi widow of
Brijbasi Lal Saxena, r/o
A. 3, 36/2, New Agra.

(Transferor)

(2) Smt. Sushma Sharma w/o
Shri Krishna Gopal Sharma,
r/o Suryanagar Hall 1/A 3, New Agra.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Number 1/3 Nagarmahapalika Number 36/2
(92) New Agra.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-11-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref No 390/Acq/Aligarh/78 79—Whereas I, B C CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing No

As per Schedule situated at As per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Aligarh on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Shri Inderjeet Singh s/o
Shri Parmanand Vohra,
r/o Sartar Daman, Jeetganj,
Aligarh

(Transferor)

(2) Mohd Feroz,
s/o Haji Abdul Nazeer,
r/o Usman Bara, Jatayan,
Aligarh

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Four Qita houses with Balakhana and Staires, situated in Vegetable Market, Mohd. Ali Road, Aligarh.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date 2-11-1979

Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,****ACQUISITION RANGE,
KANPUR**

Kanpur, the 3rd November 1979

Ref. No. 916-A/Ghaziabad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule, situated at As per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 9-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Brij Lal s/o Shri Gulab Ram, r/o 860-A, Gupta Colony, G.T. Road, Ghaziabad,
Partner M/s Everest Foundry and Engg. Co., Mukandnagar, Hapur Road, Ghaziabad, (Partners at present Shri Brij Lal above mentioned and Shri Surendra Kumar s/o Shri Brij Lal) through Shri Surendra Kumar s/o Shri Brij Lal, r/o 86A Gupta Colony, G.T. Road, Ghaziabad.
(Transferor)(2) M/s. Baboo Ram Sri Chand, Kabari, 151 Chandrapuri, Sihani Gate Ghaziabad, through Partner Hari Chand Gupta, s/o Lala Baboo Ram, r/o 151 Chandrapuri, Sihani Gate, Ghaziabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
-
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 142-B measuring 2204 Sq. Yds, Mukandnagar, Hapur Road, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, KanpurDate : 3-11-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th September 1979.

Ref. No. AP No. 619/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. as per Schedule situated at Mansa (and more fully described in the scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Mansa on May 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Shanker Dass
S/o Shri Ram Parshad
S/o Shri Sada Mal
R/o B-14, Sethi Colony, Jaipur. (Transferor)
- (2) Shri Rajinder Kumar
S/o Shri Hans Raj
C/o M/s. Madan Lal Chuni Lal
Grain Market, Mansa. (Transferee)
- (3) As per No. 2 above.
[person in occupation of the property]
- (4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential plot of land measuring 302.22 sq. yds, as mentioned in the registration deed No. 738 of 5/79 of the S.R. Mansa.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 10-9-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA**

Bhatinda, the 10th September 1979

Ref. No. AP No. 620/79-80.—Whereas, I, **SUKHDEV CHAND** being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Mansa (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Mansa on May 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Jugal Kishore
S/o Shri Ram Parshad,
Mansa. (Transferor)
- (2) Shri Piara Lal
S/o Shri Nohar Chand,
Document writer,
Tehsil Office, Mansa. (Transferee)
- (3) As per No. 2 above.
[person in occupation of the property]
- (4) Any body interested in the property.
[Person whom the undersigned knows
to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential plot of land measuring 32'×85' i.e. 302.22 sq. yds. as mentioned in the Registration deed No. 739 of 5/79 of the S.R. Mansa.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 10-9-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 12th October 1979

Ref. No. AP No. 636/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at Harjinder Nagar, Faridkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot on April 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
21—346GI/79

(1) Smt. Sudesh
w/o Shri Mool Raj
s/o Shri Paras Ram
r/o Faridkot.

(Transferor)

(2) Shri Kikkar Singh
s/o Shri Bishan Singh
s/o Shri Chanan Singh
r/o vill. Panjraian Khurud Teb. Faridkot.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single story residential house as mentioned in the Registration deed No. 93 of 4/79 of the S.R. Faridkot.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 12-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 12th October 1979

Ref. No. AP No. 637/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at Sibian Teh. Moga (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moga on April 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Rikhi Ram
s/o Shri Daulat Ram
s/o Shri Ralla Ram
r/o vill. Sibian Teh. Moga. (Transferor)
- (2) S/Shri Mukhtiar Singh, Jugraj Singh, Gurmel Singh, Harbans Singh and Ishar Singh
ss/o Shri Bishan Singh
r/o Vill. Malka Teh. Moga. (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Anybody interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 7 K 13 M at village Sibian as mentioned in the Registration deed No. 315 of 4/79 of the S.R. Moga.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda.
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 12-10-1979

Seal :

FORMS ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 12th October 1979

Ref. No. AP. No. 638/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per Schedule situated at Behbal Khurud (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Faridkot on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Hazura Singh
s/o Shri Bajinder Singh
s/o Shri Hazura Singh
r/o Kotkapura. (Transferor)
- (2) Shri Ram Lubhaya
s/o Shri Maghi Mal
s/o Shri Bagha Mal
r/o vill. Behbal Khurud Teh. Faridkot. (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Anybody interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice in the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential house as mentioned in the Registration deed No. 183 of 4/79 of the S.R. Faridkot.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 12th October 1979

Ref. No. AP. No. 639/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per Schedule situated at Nawanshahar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nawanshahar on May 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurparkash, Gurdial S/o Shri Gurdas Ram S/o Shri Bhana r/o Railway Road, Nawanshahar. (Transferor)

(2) Shri Purshotam Lal, Ashwani Kumar S/o Shri Des Raj S/o Shri Nihal Chand r/o Nawanshahar Mohalla Tandoran Teh. Nawanshahar. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 19 M bearing Khasra No. 5611/1439 situated in the abadi of Nawanshahar, Teh. Nawanshahar as mentioned in the Registration deed No. 462 of 5/79 of the S.R. Nawanshahar.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 12-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th September 1979

Ref. No. AP No. 617/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at Muktsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muktsar on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwan Sahai S/o Shri Devi Sahai S/o Shri Gopal Sahai r/o Muktsar.

(Transferor)

(2) Shri Rikhi Ram S/o Shri Kapoor Chand S/o Shri Lakhu Ram; Shri Raj Kumar S/o Shri Rikhi Ram S/o Shri Kapoor Chand; Shri Narinder Kumar, Rajesh Kumar S/o Shri Wazir Chand S/o Shri Sohan Lal C/o Aggarwal Pipe Store, Railway Road, Muktsar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storey house with two small shops constructed over a plot of land 223.67 sq. yds. as mentioned in the registration deed No. 186 of 4/79 of the S.R. Muktsar.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 10-9-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th September 1979

Ref. No. AP No. 618/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No as per Schedule situated at Bank Road, Muktsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muktsar on April 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Chaman Lal S/o Shri Bahali Ram S/o Shri Govind Ram; Smt. Kalian Devi W/o Shri Bahali Ram; Smt. Darshna Devi d/o Shri Bahali Ram r/o Muktsar. (Transferor)
- (2) Shri (Dr.) Darshan Paul Bansal S/o Shri Siri Ram r/o Bank Road, Muktsar. (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storey residential house-cum-shop constructed over a plot of land 105.2 sq. yds.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 10-9-1979
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Kuldeep Kaur w/o Shri Harjinder Singh r/o vill. Bakaianwala Teh. Fazilka, (Transferor)

(2) Smt. Ranu d/o Shri Prem Kumar r/o vill. Dharagwala Teh. Fazilka. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA**

Bhatinda, the 27th September 1979

Ref. No. AP. No. 634/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. as per Schedule situated at Nai Suraj Nagri, Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter VXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Built up property as mentioned in the Registration deed No. 279 of 4/79 of the S.R. Abohar.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 27-9-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 11th October 1979

Ref. No. AP. No. 635/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. per Schedule situated at Gandhi Chowk, Muktsar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred, under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Muktsar on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Ram Parkash S/o Shri Natha Singh r/o Muktsar at present Ferozepur.
(Transferor)
- (2) S/Shri Vijay Kumar, Adarsh Kumar Ss/o Shri Sham Sunder S/o Shri Gurcharan Singh c/o Grover Medical Hall, Gandhi Chowk, Muktsar.
(Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Anybody interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop with two rooms at first floor constructed over a plot of land measuring 13½' x 60' i.e. 90 sq. yds as mentioned in the Registration deed No. 272 of 4. 79 of the S.R. Muktsar.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, BhatindaDate: 11-10-1979
Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 23rd October 1979

Ref. No. AP. No. 648/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Near Bus Stand, Bhatinda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Bhatinda on April 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

346GI/79

(1) Shri Mohinder Singh
s/o Shri Hardev Singh
s/o Shri Amar Singh
r/o Mansa Road near Bus Stand, Civil Station,
Bhatinda.

(Transferor)

(2) Shri Jagdev Singh
s/o Shri Karnail Singh and Karnail Singh
s/o Shri Bishan Singh
r/o Bhatinda.

(Transferee)

(3) As per No. 2 above.

[person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A commercial-cum-residential property as mentioned in the registration deed No. 422 of 4/79 of the S.R. Bhatinda.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 23-10-1979

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE- BHATINDA

Bhatinda, the 23rd October 1979

Ref. No. AP. No. 647/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per schedule situated at Near Bus Stand, Bhatinda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at Bhatinda on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harnam Kaur
w/o Shri Bakhtawar Singh
s/o Shri Kunda Singh
r/o Bhatinda.

(Transferor)

(2) S/Shri Balwant Singh and Gurdev Singh
ss/o Shri Karnail Singh
s/o Shri Bishan Singh
r/o Vill. Manawalla.

(Transferee)

(3) As per No. 2 above.
[person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Commercial cum residential property as mentioned in the Registration deed No. 421 of 4/79 of the S.R. Bhatinda.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 23-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd October 1979

Ref. No. AP. No. 646/Moga/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Moga (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Moga on April 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Harnek Singh, Major Singh, Ahit Singh, Iqbal Singh ss/o Shri Chanan Singh r/o Patti Usang Moga Mehal Singh. (Transferors)

(2) Shri Darshan Singh s/o Shri Natha Singh, Shri Dara Singh s/o Shri Natha Singh, c/o M/s. Dara Machinery Store, Majestic Cinema Road, Moga. (Transferees)

(3) As per No. 2 above. [person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Two vacant plots of land one measuring 1 K 2 M & 2 Sarsai and other 1 K 2 M 2½ sarsai as mentioned in the Registration deed Nos. 308 and 308 of 4/79 of the S. R. Moga.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd October 1979

Ref. No. AP. No. 645/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Moga

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Moga on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) S/Shri Harnek Singh, Major Singh, Ajit Singh, Iqbal Singh s/o Shri Chanan Singh r/o Patti Usang Moga Mehal Singh. (Transferors)
- (2) Shri Darshan Singh s/o Shri Natha Singh, Shri Dara Singh s/o Shri Natha Singh, c/o M/s. Dara Machinery Store, Majestic Cinema Road, Moga. (Transferee)
- (3) As per No. 2 above. [person in occupation of the property]
- (4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two vacant plots one measuring 1 K 2 M & 2 Sarsai and other measuring 1 K 2 M 2½ Sarsai as mentioned in the Registration deed Nos. 308 and 309 of 4/79 of the S. R. Moga.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd October 1979

Ref. No. AP. No. 644/FDK/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Kotkapura (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Joginder Singh
s/o Shri Chanda Singh
s/o Shri Dhian Singh
r/o Khachran Teh. Faridkot. (Transferor)
- (2) Shri Mohinder Singh
s/o Shri Gurdeep Singh
s/o Shri Chet Singh
r/o Ajit Gill. (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above.
[person in occupation of the property]
- (4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 700 sq. yds as mentioned in the Registration deed No. 106 of 4/79 of the S. R. Faridkot.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-10-1979

Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX****ACQUISITION RANGE, BHATINDA**

Bhatinda, the 6th November 1979

Ref. No. AP. No. 656(79-80)/FZR.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Bazar No. 3, Ferozepur Cantt. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ferozepur on 28-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Naresh Kumar
s/o Shri Mohan Lal
Basti Balochanwali,
Ferozepur City. (Transferor)
- (2) Shri Kamal Kumar
s/o Shri Jagdish Parshad and
Kaushalya Devi,
Gali No. 6, Ferozepur Cantt. (Transferee)
- (3) As mentioned at No. 2 above.
[person in occupation of the property]
- (4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows
to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop No. 297 in Ferozepur Cantt. as mentioned in sale deed No. 6001 dated 28-3-79 registered with the S.R. Ferozepur.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-11-1979
Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX****ACQUISITION RANGE, BHATINDA**

Bhatinda, the 6th November 1979

Ref. No. AP. No. 655/FZR/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Main Bazar, Delhi Gate, Ferozepur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ferozepur on 27-3-1979 apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Ram Lal S/o Shri Gasita Mal & Smt. Phulanwati W/o Shri Ram Lal, Neemwali Gali, Ferozepur City. (Transferor)
- (2) Shri Suraj Parkash S/o Shri Ram Lal, R/q Neemwali Gali, Ferozepur City. (Transferee)
- (3) As mentioned at No. 2 above. [person in occupation of the property]
- (4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house at Ferozepur City as mentioned in the sale deed No. 5990 dated 27-3-79 registered with the S.R. Ferozepur.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-11-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 6th November 1979

Ref. No. AP No. 654/(79-80)FZR.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Kanshi Nagri, Circular Road, Ferozepur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at Ferozepur on 21-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shrimati Sukhjit Kaur
w/o Shri Sukhdev Singh,
Kanshi Nagri Ferozepur City. (Transferor)
- (2) 1. Shri Sadhu Ram
S/o Shri Bogga Mal and
Smt. Saroj Rani
W/o Shri Sadhu Ram
r/o Tara Singh wala Ferozepur
½ share each.
2. Smt. Lajwanti
W/o Shri Benarsi Dass,
R/o Kili, Teh. Ferozepur.
½ share. (Transferees)
- (3) As per No. 2 above.
[person in occupation of the property]
- (4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows
to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house as mentioned in the sale deed No. 5915 dated 21-3-79 registered with the S.R. Ferozepur.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-11-1979
Seal :

FORM TINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II,
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 27th July 1979

Ref. No. P.R. No. 691 Acq. 23-1458/19-7/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nondh No. 663, Wd. No. 9, situated at Siddhmata Sheri, Wadi Falia, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 2-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

23—346GI/79

- (1) 1. Shri Naren Kantilal Thakor,
"Rameshvar" Block B. 43,
Swami Vivekanand Road,
Shantacruz, Bombay-56.
2. Minor Hetal Naren Thakor,
"Rameshvar" Block B. 43,
Swami Vivekanand Road,
Guardian—Shakuntalaben Naren Thakor,
Shantacruz, Bombay-56.

(Transferors)

- (2) Shri Bhupendra Babubhai Zaveri,
Wadi Falia, Siddhmata Sheri,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Nondh No. 663, Wd. No. 9, Wadi Falia, Siddhmata Sheri, Surat admeasuring 123 sq. yds. duly registered with registering authority at Surat on 21-3-1979 at Regn. No. 1388.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II, Ahmedabad.

Date : 27-7-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 20th August 1979

Ref. No. P.R. No. 712 Acq. 23-1491/19-7/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nondh No. 790, Ward No. 6, situated at Mahidharpura, Chhaparia Sheri, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 3-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Hemantkumar Ranchhoddas, Karta of HUF, Ghudiyali Pole, Baroda.
 2. Vijaykumar Ranchhoddas Karta of his HUF, Ghudiyali Pole, Baroda.
 3. Zaverchand Nathalal, Karta of his HUF, Chhaparia Sheri, Mahidharpura, Surat.
 4. Bharatkumar Nathalal, Karta of his HUF, Chhaparia Sheri, Mahidharpura, Surat.
 5. Jayantilal Chunilal, Karta of his HUF, and his son Urfe Vipul Jayantilal, Navapura Mahollo, Rajpipla, Dist. Baroach.
 6. Ramanlal Chunilal, and Prabhavatiben Ramanlal, Ghudiyali Pole, Baroda.
- (Transferors)
- (2) Shri Natverbhai Manorbhai Patel, Mahidharpura, Chhaparia Sheri, Surat.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building, situated at Nondh No. 790, Ward No. 6, Chhaparia Sheri, Mahidharpura, Surat duly registered with registering authority at Surat on 3-3-1979, admeasuring 126 sq. yds.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad,

Date : 20-8-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AHMEDABAD.

Ahmedabad-380009, the 21st August 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2113(844)/12-2/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Ward No. 10, Plot No. 68, situated at Station Road, Bhuj (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhuj on 9-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. S/Shri Kanabi Naran Valaji Jesani:
2. Kanabi Kesara Valaji Jesani.
3. Kanabi Motaji Valaji Jesani,
Village : Baladiya, Dist. Bhuj. (Transferors)
- (2) Sonara Jafar Hajiamad,
Abadasa, Taluka : Nahiya, Kutch.
Name of the tenants. (Transferee)
- (3) 1. M/s. Honest Elect Agency
2. Shri T. C. Umman
3. Harji Hirji Varsani
4. Manilal Nayalchand Vora
5. Manilal Nayulchand Vora
6. M/s. Kutch Automobiles
7. C. J. Auto Flect.
8. M/s. Haji Hirji Varsani
9. Archeological Deptt.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A building standing on land adm. 205-21 sq. mtrs. bearing Plot No. 68, Ward No. 10, situated at Station Road, Bhuj and fully described in the sale deed registered vide R. No. 896 dt. 9-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 21-8-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 7th September 1979

Ref. No. P.R. No. 720 Acq. 23-1430/19-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 275, situated at Bardoli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bardoli on 22-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Khushalbhai Nathubhai Patel,
2. Lallubhai Chhitabhai P.A. Holder of Naginbhai Lallubhai, Village : Siker, Tal. Valod, Dist. Surat. (Transferor)
- (2) Shri Gordhanbhai Durlabbhai, Partner of M/s. Limber Agency, Delad, Tal. Kamrej, Dist. Surat. (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 275, admeasuring Acre 0 Guntha 11, situated at Bardoli duly registered with registering authority at Bardoli on 22-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 7-9-1979
Seal :

FORM ITNS(1) Fatmabibi Ismail Bharucha,
Nagina Lane, Big Bizar, Pander,
Surat.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX****ACQUISITION RANGE-II,
AHMEDABAD**(2) 1. Kadarbhai Mamadbhai,
Chowk Bazar, Sidhivad,
Surat.2. Ibrahim Abdul Sattar Chandivala,
Bhaga Talav, Sidhivad,
Surat.

(Transferees)

Ahmedabad-380 009, the 15th September 1979

Ref. No. P.R. No. 729 Acq. 23-19-7/79-80.—Whereas
I, S. C. PARIKH,being the Competent Authority under Section 269B of
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingSurvey No. 4, Sub. Plot No. 1, 2, 3, & 4,
situated at Rander(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908), in the office of the Registering Officer at
Surat on 12-3-1979for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—Objections, if any to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);**THE SCHEDULE**Land bearing Survey No. 4, Sub-plot No. 4, situated at
Rander duly registered with registering authority at Surat
on 12-3-1979.

S. C. PARIKH

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—

Date : 15-9-1979

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 15th September 1979

Ref. No. P.R. No. 730 Acq. 23-19-7/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 4, Sub-plot No. 1, 2, 3, & 4, situated at Rander, Sub-dist. Choryasi, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Surat on 12th March 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Mominbi Ismail Bharucha,
Nagina Lane, Near Big Bazar,
Rander, Surat.

(Transferor)

(2) 1. Kadarbhai Mamadbhai,
Chief Promoter,
Memnagar Coop. Housing Society Ltd.
Chowk Bazar, Sidhivad, Surat.

2. Ibrahim Abdul Sattar Chandivala,
Bhaga Talav, Sidhivad,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Rander bearing Survey No. 4, Sub-plot No. 1 duly registered with registering authority at Surat on 12-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 15-9-1979.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 15th September 1979

Ref. No. P.R. No. 731 Acq. 23/19-7/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 4, Sub-plot No. 1, 2, 3, & 4, situated at Rander, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 12-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1951 (27 of 1951);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Aynahabibi Ismail Bharucha,
Nagina Lane, Big Bazar,
Rander, Surat.

(Transferor)

(2) 1. Kadarbhai Mamadbhai,
Chawk Bazar, Sidhivad, Surat,
2. Ibrahim Abdul Sattar Chandivala,
Bhaga Talav, Sidhivad,
Surat.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Rander bearing S. No. 4, Sub-plot No. 2, duly registered with registering authority at Surat on 12-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date: 15-9-1979
Seal:—

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 15th September 1979

Ref. No. P.R. No. 732 Acq. 23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 4, Sub-plot No. 1, 2, 3, & 4, situated at Rander (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 12-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) ~~Khanjibhai~~ Ismail Bharucha,
Nagina Lane, Big Bazar,
Rander, Surat.

(Transferor)

(2) 1. Kudubhai Mamadbhai,
Chowk Bazar, Sidhivad, Surat.
2. Ibrahim Abdul Sattar Chandivala,
Bhaga Talav, Sidhivad,
Surat.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 4 Paiki, Sub-plot No. 3, situated at Runder, duly registered with registering authority at Surat on 12-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 15-9-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th September 1979

Ref. No. P.R. No. 861 Acq. 23-I-2221/1-1/79-80.—
Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. S. 82, D-Block, situated at Capital Commercial Centre, Ellisbridge, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 15-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

24—346G1/79

(1) Mr. Sadhuram Gordhdandas,
N. J. Cloth Market,
Kalapur-Kotni-Rang,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Smt. Sarojani Priyakant Buch,
Minor Milan Priyakant Buch
Minor Girindra Priyakant Buch
Buch Mansion, Nr. Mitu Ambika Hotel,
Navrangpura, Ahmedabad-9.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop No. 82-S in Block-D of the Capital Commercial Centre, Adm. 26.45 sq. mt. situated at Ellisbridge, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 2382/79 dt. 15-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 25-9-1979

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 3rd October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2248(863)/1-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Final Plot No. 167, Sub-Plot No. 9-A of T.P.S. 4, situated at Maninagar, Ahmedabad-8 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 29-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chhotalal Bhikhabhai Mehta,
51-53, Mirza Street,
Rajmilan, 5th Floor, Bombay. (Transferor)(2) Mahavir Flat Owners Association,
through : Organisers :
1. Shri Manekchand Lunkaram,
5-B, Pathey Flat, Daxini Society,
Maninagar, Ahmedabad.
2. Shri Motilal Shivlal Jain,
Ram Park, Daxini Society,
Maninagar, Ahmedabad. (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 835 sq. yds. bearing Final Plot No. 167, Sub-Plot No. 9-A of TPS. 4, situated at Khokhra Mehmadawad, Taluka : City, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 2970 dt. 29-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 3-10-1979

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2307(864)/10-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 39/G/5, Plot No. 18/1, Shed 'A' situated at Opp. Motor House, Patel Colony, Jamnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jamnagar on 19-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Abbasbhai Taiyabali,
Sanghadiya Bazar,
Jamnagar. (Transferor)
- (2) Shri Hatimbhai Isufeli,
Grain Market,
Kalawad. (Transferee)
- (3) United Brass Industries,
Patel Colony, Plot No. 18/1,
Opp. Motor House,
Jamnagar. [Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Shed "A" standing on land adm. 125-41-50 sq. mtrs. together with common plot of land adm. 660-48-50 sq. mtrs. bearing S. No. 39-G-5, plot No. 18/1, situated Opp. Motor House, Patel Colony, Jamnagar and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 534 dt. 19-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 4-10-1979

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Abbasbhai Taiyabali,
Sanghadiya Bazar,
Jamnagar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2307(865)/10-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S. No. 39-G-5 Paiki Shed 'B' Plot No. 18/1, situated at Patel Colony, Opp. Motor House, Jamnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jamnagar on 19-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(2) Shri Mansurbhai Isufali,
Grain Market,
Kalawad,
Jamnagar.

(Transferee)

(3) Metro Furniture Works,
Patel Colony, Plot No. 18/1,
Opp. Motor House,
Jamnagar.

[Person in occupation of the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Shed "B" standing on land measuring 125-41-50 sq. mtrs. together with common plot of land adm. 660-88-50 sq. mtrs. bearing S. No. 39-G-5, plot No. 18/1, situated Opp. Motor House, Patel Colony, Jamnagar and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 532 dt. 19-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 4-10-1979

Seal :

FORM ITNS-----

(1) Shri Abbasbhai Taiyabali,
Sanghadiya Bazar,
Jamnagar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANEGOM HOUSE,
ASHIRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009(2) Vora Sabirbhai Isufali,
Grain Market,
Kalavad.

(Transferee)

(3) Metro Electric Wood Works, Patel Colony, Jam-
nagar. [Person in occupation of the property]

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1979

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned--Ref. No. Acq. 23-I-2307(866)/10-1/79-80.--Whereas
I, S. C. PARIKH,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing
No. 39-G-5, Paiki Plot No. 18/1, Shed 'C',
situated at Patel Colony, Opp. Motor House, Jamnagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Jamnagar on 19-3-1979for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid
property, and I have reason to believe that the fair market
value of the property as aforesaid exceeds the apparent
consideration therefor by more than fifteen per cent of
such apparent consideration and that the consideration
for such transfer as agreed to between the parties has not
been truly stated in the said instrument of transfer with the
object of:--(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer; and /
or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

THE SCHEDULE

A Shed "C" standing on land adm. 125-41-50 sq mtrs.
together with common plot of land adm. 660-88-50 sq.
mtrs. bearing S. No. 39-G-5, plot No. 18/1, situated Opp.
Motor House, Patel Colony, Jamnagar and as fully des-
cribed in the sale-deed registered vide R. No. 533 dt.
19-3-1979.S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons namely:--Date : 4-10-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2250(868)/1-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

3/4th undivided share in open land bearing FP No. 444 of TPS 21 situated at Chhadawad, Near U.K. Bank Flats, Ambawadi, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 23-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chandulal Ambalal Shah,
Gangughia's Pole, Sankedisheri,
Ahmedabad.
Smt. Pushpaben Kantilal Shah,
Sethni Pole, Sankadisheri,
Ahmedabad.

(Transferors)

(2) 1. Smt. Nitaben Nitinkumar Shah
2. Hemantbbhai Chandulal Shah
3. Shri Babubhai M. Modi
4. Shri Sailesh Natverlal Vora
5. Hiraben Sunderlal Kothari
6. Dinesh Ratilal Shah,
C/o Dinesh N. Mehta,
1151, Behind Alif's Masjid,
Bhadra, Ahmedabad.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open land admeasuring of 3/4th of 760 sq. yds. with construction upto plinth level in an area of 80 sq. mtrs. bearing S.P. No. 14-A, F.P. No. 444, of T.P.S. 21, situated near U.K. Bank Flats, Ambawadi, Ahmedabad, Chhadawad, and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 760 dated 23-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 6-10-1979

Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.**ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 16th October 1979

(1) Shri Pirzada Saiyyed Mohmād Badamiya Khalafshamiya,
Opp. Khetiwadi Camps,
Junagadh. (Transferor)(2) 1. Shri Chandrakant Popatlal Lakhani,
M.G. Road, Junagadh.2. Smt. Saryu Chandrakant Lakhani,
M.G. Road, Junagadh.3. Shri Chetankumar Babulal Lakhani,
M.G. Road, Junagadh. (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. Acq. 23-I-2182(869)/11-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing and bearing S. No. 270, situated at Junagadh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Junagadh on 12-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

THE SCHEDULE

Bagayati land bearing S. No. 270 adm. 1 Acre 10 Gunthas, situated at Junagadh, duly registered by Registering Officer, Junagadh vide sale-deed No. 265/12-3-79 i.e. property as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assst. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 16-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 16th October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2182(870)/11-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- S. No. 270, situated at Junagadh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Junagadh on 9-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Pirzade Saivved Badamiya Khalafshamiya,
Opp. Khetiwadi Camps,
Junagadh. (Transferor)
- (2) 1. Shri Chandrakant Popatlal Lakhani,
M.G. Road, Junagadh.
2. Shri Saryu Chandrakant Lakhani,
M.G. Road, Junagadh.
3. Shri Atulkumar Anantrai Lakhani,
M. G. Road, Junagadh. (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bagayati land bearing S. No. 270 adm. 1 Acre 10 Gunthes, situated at Junagadh, duly registered by Registering Officer, Junagadh vide sale-deed No. 262/9-3-1979 i.e. property as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 16-10-1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 16th October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2182(871)/11-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 270, situated at Junagadh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Junagadh on 9-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

25--346GI/79

(1) Shri Pirzada Saiyyed Mohmad Badamiya Khalafshamiya,
Opp. Khetiwadi Camps,
Junagadh.

(Transferor)

(2) 1. Mahantshri Gopalanandji Gurushri Pramanandji
Place of Bilnath Mahadev,
Junagadh.
2. Shri Chandrakant Popatlal Lakhani,
M.G. Road, Junagadh.
3. Shri Pravinchandra asanji Shah,
M.G. Road, Junagadh.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bagayati land bearing S. No. 270 adm. 1 Acre 10 Gunthas, situated at Junagadh, duly registered by Registering Officer, Junagadh vide Sale deed No. 261/9-3-1979 i.e. property as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 16-10-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th September 1979

Ref. No. P.R. No. 749. Acq. 23-19-8/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Nondh No. 728, Ward No. 6,
situated at Gale Mandi, Moti Sheri, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Ishverlal Vishwanath Bhatt,
Gale Mandi, Moti Sheri,
Surat. (Transferor)

(2) Rameshchandra Chhotubhai Patel,
Gale Mandi, Moti Sheri,
Surat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Nondh No. 728 Ward No. 6, Gale Mandi, Moti Sheri, Surat duly registered on 1-3-1979 with registering Officer at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17-9-1979

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Farasram Shivlal,
Faram Mahollo, Rastompura,
Surat.

(Transferor)

(2) Vasantlal Balubhai,
Faram Mahollo, Rastompura,
Surat.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th September 1979

Ref. No. P.R. No. 750 Acq. 23-19-8/79-80.—Whereas
I. S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Nondh No. 5156 Wd. No. 2, situated at Faram Mahollo, Rustampura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Wd. No. 2, Nondh No. 5156 paiki Block No. 1, at Faram Mahollo, Rustampura, Surat duly registered on 1-3-1979 at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17-9-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th September 1979

Ref. No. P.R. No. 751 Acq. 23-19-8/79-80.—Whereas
I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Nondh No. 5156, paiki Block No. 3, situated at Faram Mahollo, Rustampura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Farasram Shivalal,
Faram Mahollo, Rastompura,
Surat.

(Transferor)

(2) Shri Navinchandra Babubhai,
Faram Mahollo, Rastompura,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Nondh No. 5156 Wd. No. 2, at Faram Mahollo, Rustampura, Surat duly registered on 1-3-1979 at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17-9-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th September 1979

Ref. No. PR No 752.-Acq23-19-8/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nondh No. 5756 paiki Block No. 5, situated at Faram Mahollo, Rastompura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Farasram Shivilal,
Faram Mahollo, Rustompura,
Surat. (Transferor)
- (2) Arvind Babubhai;
Faram Mahollo, Rustompura,
Surat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Nondh No. 5756 paiki Block No. 5, at Faram Mahollo, Rustompura, Surat duly registered on 1-3-1979 at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th September, 1979
Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th September 1979

Ref. No. P.R. No. 753 Acq. 23/19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Nondh No. 5756, Wd. No. 2 paiki Block No. 2, situated at Faram Mahollo, Rastompura, Surat

(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Farasram Shivalal,
Faram Mahollo, Rustompura,
Surat. (Transferor)
- (2) Mahendrakumar Babubhai;
Faram Mahollo, Rustompura,
Surat. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Nondh No. 5156 paiki Block No. 2, Wd. No. 2, Surat, duly registered on 1-3-1979 at Surat situated at Faram Mahollo, Rustampura, Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th September, 1979
Seal :

FORM III

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th September 1979

Ref. No. P.R. No. 754 Acq. 23/19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Nondh No. 5156 paiki Block No. 4, situated at Ward No. 2 Faram Mahollo, Rustampura, Surat (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Farasram Shivilal,
Faram Mahollo, Rustompura,
Surat.

(Transferor)

(2) Pravinchandra Dhansukhlal;
Faram Mahollo, Rustompura,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Nondh No. 5156 Ward No. 2 at Faram Mahollo, Rustampura, Surat duly registered on 1-3-1979 at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th September, 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 757 Acq.23/7-5/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Survey No. 872 paiki situated at Pardi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on February, 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) Hasmukhlal Nagindas;
Paldi, Dist. Valsad.

(Transferor)

- (2) Partner of M/s. Gayatri Land Vikas Co.
Shri Vinodrai Sombhai Naik,
Pardi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 872 paiki Acre 2 guntha 8, duly registered on 13-3-1979 with registering authority at Pardi.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 760 Acq.23/7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Tika No. 6/2 Survey No. 46/A situated at Bazar Mahollo, Billimora (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 31-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
26—346GI/79

(1) Doctor Sorabji Dohabhai Billimora,
Station Road, Billimora.
(Transferor)

(2) 1. Mohanlal Uttamchand Parekh;
2. Kantilal Uttamchand Parekh;
Untadi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Billimora bearing Tika No. 6/2, S. No. 46-A registered on 31-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 761 Acq.23/7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Rev. Sur. No. 418 paiki City Survey No. 1182 paiki situated at Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Bagwandas Ochavlal Shah alias Katvala; P.A.—Rajendra Ochavlal Shah alias Katvala; Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Vile Parle, Bombay-57.

(Transferor)

(2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. Sur. No. 418 paiki, City Sur. No. 1182 paiki 721-69-69 sq. mts. land situated at Billimora, duly registered on 21-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS —————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 762 Acq.23/7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Rev. Sur. No. 418 paiki City Survey No. 1182 paiki situated at Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Rajendra Ochhavlal Shah alias Katvala; P.A. Holder of Divyakant Ochhavlal; Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Vile Parle, Bombay-57.

(Transferor)

(2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Shri Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 418 paiki City Sur. No. 1182 paiki land situated at Billimora admeasuring 556-44-56 sq. mts. duty registered with registering authority at Gandevi on 2-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 763 Acq.23/7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Rev. Sur. No. 418/3, City Sur. No. 1182 paiki Muni. H. No. 3610 situated at Billimora (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajendrakumar Ochhavlal Shah—alias Katvala P.A. Holder of Kanaiyalal Ochhavlal Shah alias Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Katvala, Vile-Parle, Bombay-57.

(Transferor)

(2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 418/3 paki City S. No. 1182 paki, Muni. House No. 3610 City Sur. No. 1181 admeasuring 505-85-86 sq. mts. registered on 21-3-1979 with registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 764Acq. 23-7-3/79-80.—Whereas, I
S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Rev. Sur. No. 418/6, 7, City S. No. 1182 paiki 1181 situated at Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Rajendra Ochhavlal Shah alias Katvala; P.A. Holder of Ashok Ochhavlal Shah; Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Vile Parle, Bombay-57. (Transferor)
- (2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. S. No. 418/6, 418/7, City S. No. 1182 paiki 1181, admeasuring 404 sq. mts. registered on 21-3-79 with registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 765 Acq.23/7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Rev. Sur. No. 418/8-9 City S. No. 1182 paiki 1178 situated at Billimora

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Rajendra Ochhavlal Shah alias Katvala; P.A. Holder of Dwarkesh Ochhavlal Shah; Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Vile Parle, Bombay-57. (Transferor)
- (2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Shri Ambalal Chunthabhai Patel Mahatma Gandhi Road, Billimora. (Transferee)

Objections if any, to the question of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. Sur. No. 418/8-9, City S. No. 1182 paiki 1178 admeasuring 404 sq. mts. registered on 21-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 766 Acq.23/7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. Rev. Sur. No. 418/4-5, City S. No. 1182 paiki 1180 situated at Billimora (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 169C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Rajendra Oshavlal Shah alias Katvala; Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Vile-Parle, Bombay-57. (Transferor)
- (2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Shri Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. Sur. No. 418/4-5, City Sur. No. 1182 paiki 1180 admeasuring 404 sq. mts., registered on 21-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

- (1) Bhukiben Haribhai Patel;
Village Madhi, Tal. Bardoli. (Transferor)
- (2) Shri Anantkumar Jagannlal Patel;
Village Madhi, Taluka Bardoli. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.**

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 767 Acq.23-10-1/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Block No. 310, S. No. 374 and 375 situated at Surali village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bardoli on 16-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Block No. 310, S. No. 474 and 475 ad-measuring 14 Acre 33 Gunthas of land situated at village Surali duly registered on 16-3-1979 at Bardoli.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 771 Acq.23-7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH being the competent authority under section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. Survey No. 469 palki situated at Mahadevnagar, Billimora (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Gandevi on 30-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

27- 346GI/79

- (1) Niruben Jashbhai Patel;
Anilkumar Jashbhai Patel;
Mahadevnagar, Billimora. (Transferor)
- (2) Shri Shankerbhai Muljibhai Patel;
C/o Shri Billimora Industrial Coop.
Service Society Ltd.,
Mahadevnagar, Billimora. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 489 situated at Mahadevnagar Billimora duly registered on 30-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 772 Acq.23-7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Survey No. 469 paiki situated at Mahadevnagar, Billimora (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Niruben Jashbhai Patel;
Anilkumar Jashbhai Patel;
Mahadevnagar, Billimora. (Transferor)
- (2) Shri Shankerbhai Muljibhai Patel;
C/o Shri Billimora Industrial Coop.
Service Society Ltd.,
Mahadevnagar, Billimora. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Sur. No. 469 situated at Mahadevnagar, Billimora, duly registered on 31-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 19th September, 1979

Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX**ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 27th September 1979

Ref. No. P.R. No. 786 Acq.23/19-2/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Block No. S. No. 41
situated at Village Kadodara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Kamrej on 30-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Zinabhai Ramjibhai Mbd; Thakorbai Zinabhai Modi; Kadodara, Tal. Palsana.

(Transferor)

- (2) 1. Amratlal Hiralal Patel; 2. Ishvarlal Hiralal Patel; Kadodara, Tal. Palsana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Block No. 40, S. No. 41, situated at Village Kadodara admeasuring 5 Acre 9 guntha of land duly registered on 30-3-79 at Kamrej.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 27th September, 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 795 Acq.23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nondh No. 17-6-B, Sur. No. 91, Sub-plot No. 5, situated at Athwa, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 5-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Manantra Rai Ratanlal Yagnik,
Attorney of Vatsala Niranjan Heera;
Mota Mandir, Surat. (Transferor)
- (2) Kumar Amulakh Mehta;
Raj Apartment, Gopipura,
Kaji Medan, Surat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Nondh No. 17-6-B, S. No. 91, Sub-plot No. 5, Athwa, Surat duly registered on 5-3-79 with the registering authority, at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II. Ahmedabad

Date : 17th October 1979
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 796 Acq.23-19-8/79-80.--Whereas I,
S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 1379 situated at Athwa area, Surat (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 16-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Naliniben Jayantilal;
98, Shanti-ni-ketan Society,
Near Station, Surat.

(Transferor)

(2) Bipinchandra Harilal Thakkar;
Haripura, Limda Sheri, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 1379 situated at Athwa area Surat admeasuring 392 sq. yds. duly registered on 16-3-1979 with the registering authority at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 797 Acq.23-19-8/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 1380 Plot of land, situated at Athwa area, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 16-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chandrakant Jayantilal;
98, Shanti-ni-ketan Society,
Near Station, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Manharlal Harilal Thakkar;
Limda Sheri, Haripura, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 1380 T.P. No. 5, Plot No. 7, F.P. No. 562(P) Wd. No. 13, Athwa Line, Surat duly registered on 16-3-1979 with registering authority at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 708 Acq.23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 91, Nondh No. 17-6-B, Sub-plot No. 3, situated at Wd. No. 13, Athwa Lines, Surat, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Surat on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manantrai Ratanlal Yagnik,
Attorney of Sandip Niranjan Heera;
Mota Mandir, Surat.
(Transferor)

(2) Ranjanben Arvindkumar Shah;
Nisha Apartment, Gopipura, Kaji Medan,
Surat.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 91, Nondh No. 17-6-B, sub-plot No. 3, Wd. No. 13, Athwa, Surat duly registered on 5-3-1979 with the registering authority at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No P.R. No. 799 Acq.23/19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 91, Nondh No. 17-6-B Wd. No. 13, situated at Athwa, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 5-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Anup Niranjana Hira,
Attorney—Shri Manantra Ratanlal Yagnik,
Mota Mandir, Surat. (Transferor)
- (2) Pravinaben Champakbhai Gandhi;
Haripura, Gajjar Falia, Surat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 91, Nondh No. 17-6-B paiki situated at Athwa, Surat admeasuring 556.69 sq. yds. duly registered on 5-3-1979 with the registering authority at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 800 Acq.23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Sub-Plot No. 4, Wd. No. 13, Nondh No. 17-6-B situated at Athwa Lines, Surat (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

28—346GI/79

(1) Minor Anal Niranjn Heera;
Guardian Vatsala Niranjn Heera;
Attorney : Manantrai Ratanlal Yagnik,
Mota Mandir, Surat. (Transferor)

(2) Niruben Rajnikant Mehta;
Nisha Apartment, Kaji Medan,
Surat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 91, Sub-plot No. 4, Wd. No. 13, Nondh No. 17-6-B, Athwa Lines, Surat duly registered on 5-3-1979 with the registering authority at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 801 Acq-23/19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 91, Sub-plot No. 2, Nondh No. 176-B Wd. No. 13 situated at Athwa, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely —

(1) Shri Manantrai Ratanlal Yagnik,
Attorney of Niranjan Satvasukh Heera,
Mota Mandir, Surat.

(Transferor)

(2) Kanubhai Hiralal Shah;
Mahidharpara, Thoba Sheri,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 91, Sub-plot No. 2, Wd. No. 13, Nondh No. 17-6-B, Athwa, Surat duly registered with the registering authority at Surat on 5-3-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979

Seal :

FORM ITNS

(1) Jashvantrai Manibhai Desai;
20, Falgunj, Sarojini Road,
Santa Cruz, Bombay-54.

(Transferor)

(2) Smt. Kantibai Sakharam,
Smt. Deviben Hundraj,
Navsari.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 30th October 1979

Ref. No. P.R. No. 808 Acq.23/7-4/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

M. H. No. 694/1, 694, S. No. 2779 Tika No. 61, situated at Mahadevnagar, Navsari (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on 26-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing M. H. No. 694/1, 694 Mahadevnagar Society, S. No. 2779, Tika No. 61, Navsari, duly registered on 26-3-1979 at Navsari.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 30th October, 1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 30th October 1979

Ref. No. P.R. 810 Acq.23/6-1/79-80.—Whereas, I,
S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

City Sur. Nos. 1232 to 1243 and Plot Nos. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 and 17 situated at Fatehganj, Baroda

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Baroda on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Dolat Behram Contractor;
P.P. Wadia Compound, Fateh Ganj,
Baroda-2.

(Transferor)

(2) P. P. Wadia Coop. Housing Society Ltd.,
205, Yashkamal Building, Station Road,
Baroda-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being open plots of land bearing City Survey Nos. 1232 to 1234 and Plot Nos. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 and 17 and fully described respectively in 9 sale deeds Nos. 1820 to 1828 registered in the office of Sub-Registrar, Baroda on 31-3-79.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 30-10-79.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 22nd November 1979

Ref. No. ARII/2781.8/April/79.—Whereas I, P. L. ROONGTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. C.T.S. No. 427-427, 29 Part situated at Malad(E) (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Bombay on 26-4-79 Document No. S. 440/78. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

- (1) Kashiprasad J. Adukia, Mahabirprasad J. Adukia (Transferor)
- (2) Gungabux Jokhram Saraf Charity Trust. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S. 440/78/Bom. and registered on 26-4-79 with the Sub-Registrar, Bombay.

P. L. ROONGTA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Bombay.

Date : 22-11-1979.

Seal :

FORM ITNS ———

(1) M/s Jamnalal Sons Ltd.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

2. Miss Maxy Pinto.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER,
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 22nd September 1979

Ref. No. ARII/2781.8/April 79.—Whereas I, P. L. ROONGTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 12-B Survey Nos. 36, 73, 74, 78 A, Hissa No. 1 situated at Juhu (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908); in the office of the Registering Officer at Bombay on 19-4-1979 Document Nos/207, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269 D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S. 2081/78/Bom and registered on 19-4-79 with the Sub-Registrar, Bombay.

P. L. ROONGTA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Bombay.

Date : 22-11-1979.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna-800001, the 2nd November 1979

Ref. No. III-363/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Touzi No. 2610, 2612, Khata No. 170 situated at Raipura, Dist. Saran, (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saran on 2-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Sri Raghunath Prasad S/o Sri Binda Prasad Sah,
2. Smt. Kamla Devi W/o Raghunath Prasad and
3. Tarkeshwar Pd. Gupta S/o Binda Prasad and
4. Smt. Drapadi Devi W/o Tarkeshwar Pd. Gupta,
Village and P.O. Garkha, Dist. Saran
(Transferor)
- (2) M/s. Shree Durgha Bhawani Cold Storage Pvt. Ltd.
Raipura Bazar, P.S. Amnoor, Dist. Saran
Through Sri Om Prakash Gupta
S/o Raghunath Prasad,
Village and P.O. Garkha, Dist. Saran
(Transferee)
- (3) Shri Raghunath Prasad S/o Sri Binda Prasad Sah,
Village and P.S. Garkha, Dist. Saran.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 18 Kathas 11 Dhurs situated at Raipura bearing Touzi No. 2610, 2612, P.S. Amnoor more fully described in Deed No. 2615 dated 2-3-1979 registered with the District Sub-Registrar, Saran.

J. NATH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 2-11-1979
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMBINED EXAMINATION (1980) FOR RECRUITMENT TO MEDICAL POSTS UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT AND IN THE MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

NOTICE

New Delhi, the 1st December 1979

No. F.14/4/79-E.I.(B).—A combined examination will be held by the Union Public Service Commission on 27th April, 1980 for recruitment to Junior Scale Posts in the Railways, Ordnance and Ordnance Equipment Factories Health Service, Central Health Service and in the Municipal Corporation of Delhi.

2. The approximate number of vacancies in the various posts required to be filled on the results of the examination is given below :—

- (i) Assistant Divisional Medical Officer in the Railways—approx. 75 vacancies*.
- (ii) Junior Scale posts in Ordnance and Ordnance Equipment Factories Health Service—approx. 38 vacancies*.
- (iii) Junior Scale Posts in Central Health Service—approx. 350 vacancies (includes 52 vacancies reserved for Scheduled Castes and 26 reserved for Scheduled Tribes candidates).
- (iv) General Duty Medical Officers, Grade II in the Municipal Corporation of Delhi—approx. 100 vacancies (includes 15 vacancies reserved for Scheduled Castes and 7 reserved for Scheduled Tribes candidates).

The number of vacancies is liable to alteration.

*The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates, if any, will be determined by Government.

N.B.—Candidates should specify clearly in their applications the posts for which they wish to be considered in the order of preference. No request for alteration in the preferences indicated by candidates in respect of posts for which they desired to be considered, would be entertained unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of declaration of the results of the written examination.

3. *Centres of Examination.*—Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati) Hyderabad, Jaipur, Jammu, Lucknow, Madras, Nagpur, Panaji (Goa), Patiala, Patna, Port Blair, Shillong, Simla, Srinagar and Trivandrum.

4. *Conditions of Eligibility.*

(a) Nationality

A candidate must either be—

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Nepal, or
- (iii) a subject of Bhutan, or
- (iv) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

(b) *Age Limit.*—Age below 30 years as on 1st January, 1980.

The age limit is, however, relaxable upto 50 years as on 1-1-1980 for the examination to be held in 1980.

NOTE.—THE RELAXATION UPTO 50 YEARS IN THE UPPER AGE LIMIT WILL NOT BE ADMISSIBLE FOR THE EXAMINATIONS TO BE HELD AFTER 1980 UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

The upper age limit is further relaxable as follows :—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person, from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;
- (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon agreement of October, 1964;
- (vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;
- (viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;
- (ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area; and released as a consequence thereof;
- (x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof;
- (xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe; and
- (xiii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(c) *Educational Qualification*

For admission to the examination, a candidate should have passed the written and practical parts of the final M.B.B.S. Examination on or before 21st January, 1980.

NOTE 1.—Candidates who have yet to complete the compulsory rotating internship are educationally eligible for admission to the examination but on selection they will be appointed only after they have completed the compulsory rotating internship.

NOTE 2.—Candidates whose results at the written and practical parts of the final M.B.B.S. examination have not been declared and candidates who have yet to appear at these examinations are NOT eligible for admission to this examination.

5. *Fee to be paid with the application.*—Rs. 28/- (Rs. 7/- for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates). Applications not accompanied by the prescribed fee will be summarily rejected.

N.B.—Fee once paid will not be refunded nor held in reserve for any other examination or selection.

6. *How to Apply.*—Only printed applications on the form prescribed for the Combined Examination (1980) for recruitment to Medical Posts under the Central Government and in the Municipal Corporation of Delhi, appended to the Notice will be entertained. Completed applications should be sent to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011. Application forms and full particulars of the examination can be had—

- (i) By post from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11001, by remitting Rs. 2/- by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to Secretary, U.P.S.C. at New Delhi G.P.O.
- (ii) On cash payment of Rs. 2/- at the counter in the Commission's office.

All candidates whether already in Government Service or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application even if submitted to the employer before the closing date will not be considered.

Persons already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees are, however required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination

7. **LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN THE COMMISSION'S OFFICE.**

- (i) From candidates in India 21st January, 1980.
- (ii) From candidates abroad or in Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep 4th February, 1980

8. **DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION.**

(A) By all candidates :—

- (i) Fee of Rs. 28/- (Rs. 7/- Scheduled Castes/Tribes candidates) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India Payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India Main Branch, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad as the case may be for credit to the account Head "051 Public Service Commission—Examination fees" and the receipt attached with the application.

- (ii) *Certificate of Age.*—The date of birth ordinarily accepted by the Commission is that entered in the

Matriculation Certificate or in the Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may submit an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent Certificate.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes, the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the attested/certified copy of the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application may be rejected. Further they are warned that if the date of birth stated in the application is inconsistent with that shown in the Matriculation Certificate/Higher Secondary Examination Certificate and no explanation is offered the application may be rejected.

NOTE 1.—A candidate who holds a completed Secondary School Leaving Certificate need submit an attested/certified copy of only the page containing entries relating to age.

NOTE 2.—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

(iii) *Certificate of Educational Qualification.*

The candidates must submit an attested/certified copy of the Certificate issued by the Authority (i.e. University or other examining body) to show that he has passed the M.B.B.S. Examination on or before 21st January, 1980 i.e. the closing date for receipt of applications in the Commission's office.

- (iv) Attendance Sheet (attached with the application form) duly filled in.

- (v) Two identical copies of recent passport size (5 cm. × 7 cm. approx) photographs of the candidate duly signed on the front side.

One copy of the photograph should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance Sheet in the space provided therein.

- (vi) Three self-addressed, unstamped envelopes of size approximately 11.5 cms × 27.5 cms.

(B) By Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates :—

Attested/certified copy of certificate in the form given in Appendix I from any of the competent authorities (mentioned under the certificate) of the District in which he or his parents (or surviving parent) ordinarily reside, in support of claim to belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(C) *By candidates claiming age concession.*—(i) A displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) claiming age concession under para 4(b)(ii) or 4(b)(iii) should produce an attested/certified copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964, and 25th March, 1971 :—

- (1) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States;

- (2) District Magistrate of the Area in which he may for the time being be resident;
- (3) Additional District Magistrates in charge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;
- (4) Sub-Divisional Officer, within the Sub-Division in his charge;
- (5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation), in Calcutta.

(ii) A repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka claiming age concession under para 4(b)(iv) or 4(b)(v) should produce an attested/certified copy of a certificate from the High Commission for India in Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964.

(iii) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or who is repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia, claiming age concession under para 4(b)(vi) should produce an attested/certified copy of a certificate, from the District Magistrate of the area in which he may, for the time being be resident, to show that he is a *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(iv) A repatriate of Indian origin from Burma, claiming age concession under para 4(b)(vii) or 4(b)(viii) should produce an attested/certified copy of the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st June, 1963, or an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(v) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession under para 4(b)(ix) or 4(b)(x) should produce, an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Director General, Resettlement, Ministry of Defence, to show that he was disabled while in the Defence Services, in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. _____ Shri _____ of Unit _____ was disabled while in the Defence Services, in operations during hostilities with a foreign country/ in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature.....
Designation.....
Date.....

*Strike out whichever is not applicable.

(vi) A candidate disabled while in the Border Security Force claiming age concession under para 4(b)(xi) or 4(b)(xii) should produce an attested/certified copy of a certificate, in the form prescribed below from the Director General, Border Security Force, Ministry of Home Affairs, to show that he was disabled while in the Border Security Force in operations, during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. _____ Shri _____ of Unit _____ was disabled while in the Border Security Force in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a result of such disability.

Signature.....
Designation.....
Date.....

(vii) A repatriate of Indian origin who has migrated from Vietnam claiming age concession under para 4(b)(xiii) should produce an attested/certified copy of a certificate from the Dist. Magistrate of the area in which he may for the time being be a resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Vietnam and has migrated to India from Vietnam not earlier than July 1975.

N.B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under paragraph 8 above without a reasonable explanation for its

absence having been given, his candidature is liable to be cancelled and no appeal against its cancellation will be entertained.

9. *Acknowledgement of Application.*—All applications received in the prescribed form for this examination will be acknowledged. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of application for the examination he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

10. *Result of Application.*—If a candidate does not receive from the Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

11. *Admission to the Examination.*—The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. *Action against Candidates found guilty of misconduct.*—Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding the discrepancy should be submitted.

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination; or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or
- (x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or
- (xi) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :—
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period—
 - (i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government, from any employment under them; and
 - (c) If he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

13. *Original Certificates Submission of.*—CANDIDATES ARE REQUIRED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ONLY COPIES OF CERTIFICATES MENTIONED IN PARA 8 ABOVE ATTESTED BY GAZETTED OFFICER OF GOVERNMENT OR

CERTIFIED BY CANDIDATES THEMSELVES AS CORRECT, THE RESULT OF THE WRITTEN EXAMINATION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF JULY, 1980. CANDIDATES WHO QUALIFY FOR INTERVIEW FOR THE PERSONALITY TEST ON THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED ABOVE. THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES IN READINESS FOR SUBMISSION AT THE TIME OF THE PERSONALITY TEST. THE CANDIDATURE OF THE CANDIDATES WHO FAIL TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THE TIME OF THE PERSONALITY TEST WILL BE CANCELLED AND THE CANDIDATES WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CONSIDERATION.

14. *Scheme of Examination.*—The examination will comprise :—

(A) *Written Examination.*—The candidates will take the examination in one paper of three hours duration containing objective type questions covering the following four subjects and carrying a maximum of 200 marks. The questions in the paper will be so designed as to give the following weightage to the four subjects—

- | | |
|--|-----|
| (i) General Medicine including Paediatrics | 40% |
| (ii) Surgery including E.N.T., Ophthalmology, Traumatology and Orthopaedics | 20% |
| (iii) Preventive Medicine and Community Health including Child Welfare and Family Planning | 20% |
| (iv) Obstetrics and Gynaecology | 20% |

(B) Personality Test of candidates who qualify in the written examination 200 marks.

NOTE.—Details regarding the nature of the examination, sample questions and specimen answer sheet are given in the "Candidates' Information manual" at Appendix III.

15. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

The interview for Personality Test will be intended to serve as a supplement to the written examination for testing the General knowledge and ability of the candidates in the fields of their academic study and also, in the nature of a personality test to assess the candidates intellectual curiosity critical powers of assimilation, balance of judgment and alertness of mind, ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capacity for leadership.

16. After the interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination and the personality test with 50% weightage respectively and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided

by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18. Subject to other provisions contained in this Notice, successful candidates will be considered for appointment on the basis of the order of merit assigned to them by the Commission and the preferences expressed by them for various posts at the time of their application.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedent is suitable in all respects for appointment to the service. The appointment will be further subject to the candidate satisfying the appointing authority of his having satisfactorily completed the compulsory rotating internship.

20. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A Candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. All candidates who are declared qualified for the Personality Test will be physically examined by the medical board set up by the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health).

21. No person :

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.
- shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

22. *Communications regarding applications.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS.

- NAME OF EXAMINATION.
- MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.
- ROLL NO. OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.
- NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).
- POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

23. *CHANGE IN ADDRESS.*—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 22 ABOVE. ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES, THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

24. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

R. S. AHLUWALIA,
Deputy Secretary

APPENDIX—I

The form of the certificate to be produced by Schedule Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____ son/daughter* of _____ of village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ belongs to the _____ Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Area (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1968*

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*.

2. Shri/Shrimati/Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of District/Division* of the State/Union Territory* of _____

Signature.....

**Designation.....

(with seal of office)

Place.....State/Union Territory*.

Date

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term “ordinarily reside(s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, ‘Lakshadweep’.

APPENDIX—II

Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given below.

I. Assistant Divisional Medical Officer in the Railways.—

(a) The post is temporary and in Group A. The scale of the post is Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1250—EB—50—1600 (Revised Scale) plus restricted non-practising allowance as per orders in force from time to time. The rates at present are :—

1—5 Stages—Rs. 150/- P.M.

6—10 Stages—Rs. 200/- P.M.

11—15 Stages—Rs. 250/- P.M.

16th stage onwards Rs. 300/- P.M.

The candidate will be bound to observe the orders which the Ministry of Railways or any higher authority may issue from time to time, restricting or prohibiting private practice by him. The candidates in Government service will be given initial pay in the above mentioned scale according to rules; others will be given the minimum of the pay scale mentioned above.

(b) A candidate will be appointed on probation for a period of two years which may be extended by the Government if considered necessary. On satisfactory completion of the probationary period, he will continue in a temporary capacity.

(c) The appointment can be terminated by one month's notice on either side during the period of probation and thereafter while employed in a temporary capacity. The Government reserve the right to give one month's pay in lieu of notice.

(d) A candidate will have to undergo training as prescribed by the Ministry of Railways and pass all the Departmental Examinations.

(e) A candidate will be governed by the Railway Pension Rules and shall subscribe to the State Railway Provident Fund (Non-contributory) under the rules of that Fund as in force from time to time.

(f) A candidate will be eligible for leave in accordance with the leave rules as in force from time to time and applicable to officers of his status.

(g) A candidate will be eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the Rules in force from time to time.

(h) A candidate will be required to pass a Hindi test within two years of his appointment.

(i) Under the rules every person appointed to the above post shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of such appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of 45 years.

(j) *Reckoning Service*—The persons who are recruited under these rules to posts to which the conditions prescribed in Rule 2423—A (C.S.R. 404-B) of the Indian Railway Establishment Code are applicable, shall be eligible to the benefit of the provisions contained in that rule.

(k) A candidate will be governed in respect of the matters specifically referred to above as well as other matters by the provisions of the Indian Railway Establishment Code and the extant orders as amended/issued from time to time.

(1) In the first instance a candidate will be posted to the Railway Health Units/Dispensaries at wayside Stations. A.D.M.Os. are also liable to transfer to any Railway.

(m) Prospects of promotion including Pay Scales and allowances attached to the higher grades—

A.D.M.Os. with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis are eligible for promotion to the post of Divisional Medical Officer (Senior Scale) in the Scale of Rs. 1100—1800 (RS), plus restricted non-practising allowance as per rules/orders in force from time to time.

(n) Duties and Responsibilities—

Assistant Divisional Medical Officer :

- (i) He will attend the indoor wards and out-patient department daily and as required.
- (ii) He will carry out physical examination of candidates and of employees in service in accordance with the regulations in force.
- (iii) He will look after family planning, public health and sanitation in his jurisdiction.
- (iv) He will carry out examination of vendors.
- (v) He will be responsible for discipline and proper discharge of duties of the Hospital Staff.
- (vi) He will carry out duties assigned to his speciality, if any and will prepare returns and indents connected with his speciality.
- (vii) He will maintain and upkeep all equipments, in his charge.

NOTE (1) : When an ADMO is posted at the Headquarters of a division under the charge of a Divisional Medical Officer, he will assist the Divisional Medical Officer in all his duties, but may be specially assigned with certain duties and responsibilities.

NOTE (2) : ADMOs will also be required to perform such other duties as may be assigned to them from time to time.

II. Posts of Assistant Medical Officer in the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Health Service under the Ministry of Defence—

(a) The Post is temporary in Group A but likely to be permanent in due course. The scale of pay is Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 plus restricted non-practising allowance (NPA) as per orders in force from time to time. The rates at present are—

1 — 5 stages	Rs. 150/- per month
6 — 10 stages	Rs. 200/- per month
11 stages onward	Rs. 250/- per month.

(b) The candidate will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be curtailed or extended at the discretion of the competent authority. On satisfactory completion of the probation period he will continue in the temporary post till confirmed against the permanent vacancy.

(c) The candidate can be posted anywhere in India in any one of the Ordnance Factory Hospitals or Dispensaries.

(d) Private practice of any kind whatsoever is prohibited.

(e) The appointment can be terminated on one month's notice on either side during the period of probation and thereafter while employed in temporary capacity. The Government reserves the right to give one month's pay in lieu of notice.

(f) Prospects of promotion including pay scales and allowances attached to the higher grades—

(i) SENIOR SCALE—SENIOR MEDICAL OFFICER/ ASSISTANT DIRECTOR OF HEALTH SERVICES.

Officers who have put in at least 5 years service in the junior scale will become eligible to senior scale—Senior Medical Officer/Assistant Director of Health Service. The scale of pay is Rs. 1100—50—1600 plus NPA.—

1 — 3 stages	Rs. 250/- per month
4 — 5 stages	Rs. 300/- per month

6 — 7 stages	Rs. 350/- per month
8 — 9 stages	Rs. 400/- per month
10—11stages	Rs. 450/- per month

(ii) SUPER-TIME GR. II—PRINCIPAL MEDICAL OFFICER/DEPUTY DIRECTOR OF HEALTH SERVICES.

Officers who have put in 3 years of service in the senior scale and possess post-graduate qualifications can be considered for promotion to Super-time Gr. II—Principal Medical Officer/Deputy Director of Health Service. The scale of pay is Rs. 1500—60—1800—100—2000 plus Rs. 600/- NPA.

(iii) SUPER-TIME GR. I—DIRECTOR OF HEALTH SERVICES.

Principal Medical Officers and Deputy Director of Health Service, on completion of 3 years of service will be eligible for appointment of Super-time Gr. I—Director of Health Service with the pay scale of Rs. 2250—125/2—2500 per month plus Rs. 600/- NPA.

(g) Nature of duties—(1) ASSISTANT MEDICAL OFFICERS.

- (i) They will attend to indoor patients in wards/departments of hospitals and out patients in dispensaries/out patient departments daily and as required.
- (ii) They will carry out medical examination of employees and candidates for examination in accordance with the regulations in force.
- (iii) They will maintain and upkeep all equipment in their charge.
- (iv) They will look after the Family Welfare, Public Health and Industrial Health of employees in their jurisdiction.
- (v) They will be responsible for training, discipline and proper discharge of duties of the hospital and dispensary staff.
- (vi) They will perform such other duties as are allotted to them by the Medical Officer-in-Charge as per rules.

(2) GDO GR. I—ASSISTANT DIRECTOR OF HEALTH SERVICES AND SENIOR MEDICAL OFFICER.

- (a) ADHS posted at the Hqrs. will assist the DHS/DDHS in the discharge of their duties on all medical matters as directed by them.
- (b) He will assist the DHS/DDHS in the day to day work of the Medical Section as the Section Officer.
- (c) He will perform such other duties as may be assigned to him by the DHS/DDHS from time to time.
- (d) He will assist the DHS in dealing with all questions relating to Medical Stores & equipments.
- (e) SMO—SMOs will be incharge of any factory hospital with less than 75 beds and Medical Estt. there.
- (f) As M.O. Incharge they will be advisers to the GM of Fys. on all medical matters and make recommendation as considered necessary.
- (g) They will arrange medical attention to the employees and their families as per rules.
- (h) They will perform such other duties as may be laid down under any statute or Govt. orders or delegated to him by the DHS.

(3) SUPER-TIME GRADE II—DY. DIRECTOR OF HEALTH SERVICES AND PRINCIPAL MEDICAL OFFICER.

- (a) DDHS posted at the Hqrs. will assist the DHS in the discharge of the latter's duties in matters as directed by him.
- (b) He will act as DHS under orders of DGOF in the latter's absence or leave, tour etc.
- (c) PMO—PMO will be M.O. Incharge of any Factory hospital with 75 beds or above and the Medical Estts. there.
- (d) As M.O. Incharge they will be advisers to the GM of Fys. on all medical matters and make recommendation as considered necessary.

- (e) They will arrange medical attention to the employees and their families as per rules.
- (f) They will perform such other duties as may be laid down under any statute or Govt. orders or delegated to him by the DHS.

(4) **SUPER-TIME GRADE I—DIRECTOR OF HEALTH SERVICES.**

- (a) Medical Adviser to DGOF on all Medical and health matters. Controlling authority of the Medical Establishment in DGOF Organisation on all Professional and Technical matters. He will exercise the administrative powers as delegated to him by the DGOF.
- (b) He will work out the plans for implementation of the reports/recommendations accepted by Govt.
- (c) As the Controlling authority he will distribute the personnel according to the requirement of Factories.
- (d) He will normally represent the DGOF on the UPSC.
- (e) He will normally once a year make or caused to be made inspection of all factories and report to the DGOF on the working of Medical installation there on all matters connected with Medical Estts.
- (f) He will initiate ACR's or DDHS and will review the reports of all PMO's, SMO's and AMOs.

III. **Junior Scale posts in the Central Health Service :**

(a) Candidates will be appointed to Junior Group 'A' scale and they will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be curtailed or extended at the discretion of the competent authority. They will be confirmed in Junior Scale (Rs. 700—1300) in their turn after the satisfactory completion of probation.

(b) The candidates can be posted anywhere in India in any dispensary or hospital under any organisation participating in the Central Health Service viz., C.G.H.S. operating at Delhi, Bangalore, Bombay, Meerut etc., Coal Mines/Mica Mines Labour Welfare Organisations, Assam Rifles, Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, P&T department etc. Private Practice of any kind whatsoever including lab. and Consultant Practice is prohibited.

(c) The following are the rates of pay admissible :

Junior Group 'A' Scale

Revised Scale : Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

	N.P.A.
1 to 5 stages	Rs. 150 per month
6 to 10 stages	Rs. 200 per month
11th stage onwards	Rs. 250 per month

Officers who have put in at least 5 years' service in the Junior Scale will become eligible for promotion to Senior Scale.

Senior Scale Group 'A'

Revised Scale Rs. 1100—50—1600.

	N.P.A.
1 to 3 stages	Rs. 250 per month
4 to 5 stages	Rs. 300 per month
6 to 7 stages	Rs. 350 per month
8 to 9 stages	Rs. 400 per month
10 to 11 stages	Rs.450 per month

Officers having 10 years' service in the Senior Scale will be eligible for appointment to Supertime Grade II in the scale of Rs. 1500—200, provided the candidate possesses the requisite qualifications, including post-graduate qualification where necessary.

Specialists Grade II

Revised Scale : Rs. 1100—50—1500—EB—60—1800.

	N.P.A.
1 to 3 stages	Rs. 300 per month

4 to 6 stages	Rs. 350 per month
7 to 9 stages	Rs. 400 per month
10 to 12 stages	Rs. 450 per month
13 to 14 stages	Rs. 500 per month

Officers having 8 years' service in Specialist Grade II and possessing the requisite qualification may be considered for promotion to Specialist Grade I against 50% of vacancies to be filled through promotion.

Specialist Grade I

Revised Scale : Rs. 1800—100—2000—125/2—2250—Rs. 600 per month.

Supertime Grade II

Revised Scale : Rs. 1500—60—1800—100—2000—Rs. 600 per month.

Officers holding posts in Specialist Grade I or Supertime Grade II who have rendered 6 years' service in the either grade on a regular basis may be considered for promotion to Supertime Grade I level II.

Supertime Grade I Level II

Revised Scale : Rs. 2250—125/2—2500—Rs. 600 per month.

Supertime Grade I Level I

Revised Scale : Rs. 2500—125/2—2750—Rs. 60 per month.

Vacancies in Supertime Grade I Level I shall be filled from amongst officers in Supertime Grade I Level II with 2 years' service in the grade, failing which with 8 years' combined service in Supertime Grade I Level II and Specialist Grade I/Supertime Grade II combined together, and failing both officers in Specialist Grade I and Supertime Grade II with 8 years' service in either grade.

IV. **General Duty Medical Officers, Grade II in the Municipal Corporation of Delhi :**

(a) The post is temporary in Category A, but likely to be permanent in due course. The scale of pay is Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 plus restricted non-practising allowance (NPA) as per orders in force from time to time. The rates at present are :

1-5 stages	Rs. 150/- P.M.
6-10 stages	Rs. 200/- P.M.
11 stages onward	Rs. 250/- P.M.

(b) The candidate will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be curtailed or extended at the discretion of the competent authority. On satisfactory completion of the probation period, he will continue in the temporary post till confirmed against the permanent vacancy.

(c) The candidate can be posted any where within the jurisdiction of the Municipal Corporation of Delhi in any one of the hospitals/Dispensaries/M&CW and Family Welfare Centres/Primary Health Centres.

(d) Private practice of any kind whatsoever is prohibited.

(e) The appointment can be terminated on one month's notice on either side during the period of probation and thereafter while employed in temporary capacity. The Municipal Corporation of Delhi reserves the right to pay one months' pay in lieu of notice.

APPENDIX III

CANDIDATES INFORMATION MANUAL

A. **OBJECTIVE TEST**

Your examination will be what is called an 'OBJECTIVE TEST'. In this kind of examination (test) you do not write detailed answers. For each question (hereinafter referred to as item), several possible answers (hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one response to each item.

This Manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.


B. NATURE OF THE TEST

The question paper will be in the form of a TEST BOOKLET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2, 3, ... etc. Under each item will be given suggested responses marked a,b,c, ... etc. Your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, then the best response. (see "sample items" at the end.) In any case, in each item you have to select only one response; if you select more than one, your answer will be considered wrong.

C. METHOD OF ANSWERING

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in the examination hall. You have to mark your answer on the answer sheet. Answers marked on the Test Booklets or in any paper other than the answer sheet will not be examined.

In the answer sheet, number of the items from 1 to 200 have been printed in four 'Parts'. Against each item, responses, a,b,c,d,e, are printed. After you have read each item in the Test Booklet and decided which of the given response is correct or the best, you have to mark the rectangle containing the letter of the selected response by blackening it completely with pencil as shown below (to indicate your response). Ink should not be used in blackening the rectangles on the answer sheet.



1. You bring and use only good quality *HB* pencil(s) for answering the items.
2. If you have made a wrong mark, erase it completely and re-mark the correct response. For this purpose, you must bring along with you an eraser also;
3. Do not handle your answer sheet in such a manner as to mutilate or fold or wrinkle or spoil it.

D. SOME IMPORTANT REGULATIONS

1. You are required to enter the examination hall twenty minutes before the prescribed time for starting of the examination and get seated immediately.
2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after the commencement of the test.
3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have passed after the commencement of the examination.
4. After finishing the examination, submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigilator/Supervisor. **YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.**
5. Write clearly in ink the name of the examination/test, your Roll No., Centre, subject, date and serial number of the Test Booklet at the appropriate space provided in the answer sheet. You are not allowed to write your name anywhere in the answer sheet.
6. You are required to read carefully all instructions given in the Test Booklet. You may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the answer sheet is ambiguous then you will get no credit for that item response. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.
7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring a *HB* pencil, an eraser, a pencil sharpener, and a pen containing blue or black ink.

You are not allowed to bring any scrap (rough) paper, or scales or drawing instrument into the examination hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your answer sheet at the end of the test.

E. SPECIAL INSTRUCTIONS

After you have taken your seat in the hall, the invigilator will give you the answer sheet. Fill up the required information on the answer sheet with your *pen*. After you have done this, the invigilator will give you the Test Booklet. Each Test Booklet will be sealed in the margin so that no one opens it before the test starts. As soon as you have got your Test Booklet, ensure that it contains the booklet number and it is sealed, otherwise get it changed. After you have done this, you should write the serial number of your Test Booklet on the relevant column of the Answer Sheet. You are *not* allowed to break the seal of the Test Booklet until you are asked to do so by the supervisor.

F. SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed, it is important for you to use your time as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can, without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All questions carry equal marks. Answer all the questions. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you. There will be no negative marking.

The questions are designed to measure your knowledge, understanding and analytical ability, not just memory. It will help you if you review the relevant topics, to be sure that you UNDERSTAND the subject thoroughly.

G. CONCLUSION OF TEST

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. After you have finished answering, remain in your seat and wait till the invigilator collects the Test Booklet and answer sheet from you and permits you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet and the answer sheet out of the examination Hall.

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS)

1. Which one of the following causes is NOT responsible for the down fall of the Maurvan dynasty ?
 - (a) the successors of Ashoka were all weak.
 - (b) there was partition of the Empire after Asoka.
 - (c) the northern frontier was not guarded effectively.
 - (d) there was economic bankruptcy during post-Asokan era.
2. In a parliamentary form of Government :—
 - (a) the Legislature is responsible to the Judiciary.
 - (b) the Legislature is responsible to the Executive.
 - (c) the Executive is responsible to the Legislature.
 - (d) the Judiciary is responsible to the Legislature.
 - (e) the Executive is responsible to the Judiciary.
3. The main purpose of extra-curricular activities for pupils in a school is to :—
 - (a) facilitate development.
 - (b) prevent disciplinary problems.
 - (c) provide relief from the usual class room work.
 - (d) allow choice in the educational programme.
4. The nearest planet to the Sun is :
 - (a) Venus
 - (b) Mars

-
- (c) Jupiter
- (d) Mercury
5. Which of the following statements explains the relationship between forests and floods ?
- (a) the more the vegetation, the more is the soil erosion that causes floods.
- (b) the less the vegetation, the less is the silting of rivers that causes floods.
- (c) the more the vegetation, the less is the silting of rivers that prevents floods.
- (d) the less the vegetation, the less quickly does the snow melt that prevents floods.